कुरुक्षेत्र

फरवरी : 1977

मूल्य : 50 पैसे

नरक का भी स्वर्ग बना दिया ★ राम अवतार शर्मा

एक समय मुरलीधर नामक व्यक्ति को जब यमदूत पकड़ कर यमराज के समक्ष ले गए तो यमराज ने अपने दूतों से उससे पृथ्वी पर जीवन का वृत्तान्त पूछा। यमदूतों ने उत्तर दिया—यह मुरलीधर पृथ्वी पर कड़ी मेहनत करता था। अपनी एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाकर अपने बच्चों का भरण-पोषण करता था, लेकिन इसने कभी भी ईश्वर का भजन नहीं किया। यमदूतों ने पुनः कहा—हममें से एक ने मनुष्य का रूप धारण कर मुरलीधर से पूछा—तुम प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करते? इस पर मुरलीधर ने कहा कि परिश्रम ही भगवान है। भगवान को हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं—चाहे देवता के रूप में, चाहे परिश्रम के रूप में। मैं भगवान को परिश्रम के रूप में पूजता हूं। यमराज ने आदेश दिया—इसने जीवन भर ईश्वर का भजन नहीं किया है, अतः इसे तुरन्त ही नरक में भेज दो।

मुरलीधर को आदेश प्राप्त कर यमदूतों ने तुरन्त ही महान पीड़ा सहन करने के लिए नरक में भेज दिया। वहां उसे नरक में वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन यमराज ने मुरलीधर का हाल देखना चाहा और यमदूतों से नरक में चलने के लिए कहा। नरक में पहुंचकर उसने अपने दूतों को डांटा और कहा—मैंने तुम्हें नरक में चलने के लिए कहा था, स्वर्ग में चलने के लिए नहीं। यमदूतों ने उत्तर दिया—महाराज, यह नरक ही तो है। यमराज ने कहा—यह नरक इतना स्वच्छ और सुन्दर किसने बनाया है? इस नरक में लोग इतने प्रेम से किस प्रकार रहने लगे हैं? इस पर यमदूत ने कहा—महाराज, इसका श्रेय तो उस मुरलीधर को ही है। उसी ने अपने कठिन परिश्रम से इस नरक का कायापलट किया है।

यमराज के आदेश से मुरलीधर को बुलाया गया। पूछने पर मुरलीधर ने कहा—महाराज, जब मैं यहां आया तो सब लोग ईश्वर की पृथक्-पृथक् रूप में पूजा किया करते थे, भगवान से अपने कष्ट निवारण तथा शीघ्र ही स्वर्ग में जाने के लिए प्रार्थना करते थे। मैंने इन सब लोगों को इकट्ठा रहना सिखाया तथा इस नरक को भी हमने अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया है और अपनी आवश्यकताओं को सहकारिता से प्राप्त किया है।

यमराज ने मुरलीधर से कहा—तुम धन्य हो। तुम्हें तो नरक में न भेजकर स्वर्ग में ही भेजना चाहिए था परन्तु तुमने तो नरक को भी स्वर्ग बना दिया और तुम्हारे परिश्रम एवं सहयोग से दूसरे नरकवासियों का भी कल्याण हो गया। तुम्हारा कहना सत्य है कि परिश्रम ही भगवान है। परिश्रम से नरक भी स्वर्ग बन जाता है।

अतः हमें भी अपने ग्रामीण विकास हेतु सहयोग से कठिन परिश्रम करना चाहिए जिससे हमारा देश भी स्वर्ग बन सके।

कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक का पत्र

'कुरुक्षेत्र' का दिसम्बर अंक सामने है। एक ही पत्र में इतनी सारगर्भित एवं उपयोगी सामग्री देखकर सम्पादन कला की प्रशंसा को मन चाहता है। राष्ट्रीय जीवन में उपस्थित अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक, एवं कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाशित लेख सामान्य एवं प्रबुद्ध पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

'भारत में सभी को मानव अधिकार' (कृष्णा दुलारी) एवं संविधान संशोधन: जनता की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक' (गिरीश माथुर) का लेख अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, युगीन आवश्यकता के अनुरूप है। 'राष्ट्रीय बचत सफलता और चुनौतियां' भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में नई तेजी 'बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई का विकास' आदि लेख ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में आए सुधारों के परिचायक हैं तो 'शिक्षित ग्रामीण युवक और उनकी समस्याएं'—नामक लेख युवा शक्ति का मार्ग दर्शक है। इस उपयोगी सामग्री के बीच 'विराट निर्माण का स्वप्न' (सावित्री परमार) नामक कविता सुन्दर है। सभी स्थायी स्तम्भ अपने पूर्ण गौरव के साथ प्रस्तुत हैं। 'कुरुक्षेत्र' नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का परिचायक बन कर आ रहा है। इसकी सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई।

अशोक कुमार गर्ग,
गाजियाबाद-201001 (उ० प्र०)

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 माघ 1898 अंक 4

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

नरक का भी स्वर्ग बना दिया — आवरण पृष्ठ 2
राम अवतार शर्मा
ग्रामीण क्षेत्रों का पुनरुत्थान — 2
संजीत राय
गांवों में रोजगार के लिए मछली पालन — 5
डा० बी० आर० पी० सिन्हा
राष्ट्रीय एकता: कुछ अछूते प्रश्न — 8
एस० पी० शुक्ल
टेक्नोलोजी गांवों की ओर — 10
विश्वम्भर प्रसाद
आर्थिक व्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका — 12
एन० रामचन्द्रन
ग्रामीण-विकास में उद्योगों का योगदान — 14
आई० जे० नायडू
युवक और राष्ट्रीय विकास — 15
श्री शंकर घोष
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण-कार्यक्रम — 16
आध्यात्मिक जीवन में प्रदूषण — 18
डा० राजारमन्ना
खेल है यह तारों का — 21
अनिल भारती
मेरे हाथ—मेरी भैंस — 23
जगदीश नारायण महरोत्रा
भूमि सुधारों की प्रगति — 25
बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिकारी-जिमकार्बेट — 27
कैलाश चन्द्र मिश्र
बन्दर का न्याय — 29
रामकृष्ण सुधाकर
कहानी : लाल मिट्टी — 30
विजय शास्त्री
साइकिल पर चलकर बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार — 32
श्रीराम ओझा
साहित्य समीक्षा — 33
पाठकों की राय : युवकों में जागरण से नई क्रान्ति का जन्म — 34
पन्नालाल शर्मा
केन्द्र के समाचार — 35

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक : पी० श्रीनिवासन

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

आवरण पृष्ठ : बलराम मण्डल

सम्पादकीय

भारतीय नारी जागरण के पथ पर

भारतीय नारी ने वैदिक काल से लेकर आज तक अपने जीवन में अनेक उलटफेर देखे हैं। वैदिक काल में देश के सामाजिक जीवन में जहां उसे बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था वहां पौराणिक काल में आकर उसे अपने जीवन में काफी बुरे दिन देखने पड़े और मध्यकाल में आकर तो उसकी स्थिति इतनी गिर गई कि उसे 'पैर की जूती' समझा जाने लगा और उसे पर्दे में बन्द कर दिया गया। लोग इस सूत्र को भूल गए कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। सती प्रथा, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के कारण नारी को तो दुःख भोगने ही पड़े परन्तु हमारा देश तथा सारा समाज भी पद्दलित हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों को मौका मिला और हमें गुलामी के कड़वे घूंट चखने पड़े।

परन्तु 19वीं सदी में समय ने फिर पलटा खाया और स्वामी दयानन्द, राजाराम मोहन राय आदि विभूतियों ने नारी स्वतन्त्रता की घोषणा की। जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जब महात्मा गांधी के हाथ में देश का नेतृत्व आया तो उन्होंने अपने आन्दोलन की कार्यवाहियों में नारी को प्रमुख स्थान दिया। भारत की सैकड़ों-हजारों नारियां स्वतन्त्रता की लड़ाई में जेलों में गईं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उन्होंने अपनी शानदार भूमिका निभाई। आज स्थिति यह है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री एक महिला हैं और उन्होंने गत डेढ़ वर्ष की अवधि में देश की जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से पतनशील देश को ऊंचा उठाने में जो करिश्मा दिखाया वह दुनियां के इतिहास में बेजोड़ है। अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला परिषद् के एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि इस समानता के युग में नारी की राष्ट्र एवं समाज में भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सलाह है कि एशिया की स्त्रियों को पश्चिम की महिलाओं का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए।

आपातस्थिति की इस डेढ़ वर्ष की अवधि में भारत की नारी की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। दहेज प्रथा के विरोध में देश में जनमत तैयार हो चुका है और कानून द्वारा भी दहेज लेना-देना एक अपराध मान लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री का विचार है कि इस तरह की सामाजिक बुराइयां कानून से इतनी दूर नहीं की जा सकतीं जितनी सामाजिक दबाव से। अतः समाज में इन बुराइयों के प्रति चेतना पैदा करना नितान्त जरूरी है और इसलिए आज देश में दहेज विरोधी अभियान जोरों से चालू है। कालेजों में बहुत सी युवतियां शपथें ले चुकी हैं कि वह दहेज लेने वाले युवकों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगी। इसी तरह कालेजों में बहुत-से छात्रों ने भी दहेज न लेने की शपथें ली हैं।

महेन्द्रपाल सिंह

ग्रामीण क्षेत्रों का पुनरुत्थान

संजीत राय,

इस विषय पर चर्चा करने का अधिकार मुझे है, ऐसा मानने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि मैं राजस्थान के अजमेर जिले में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का, हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों का और पंजाब के रोपड़ जिले के गावों का पुनरुत्थान करने में 20 अन्य विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेता रहा हूं।

दूसरा कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने और काम करने की वजह से मैं यह समझ सका हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इतने बड़े पैमाने पर शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शहरों में जाने का परिणाम यह हुआ कि शहरों के गिर्द अपने-आप ही छोटे-छोटे शहर बस गए हैं और स्थिति इतनी विकट है कि चिन्ता का विषय बन गई है।

कुछ लोगों ने इस समस्या के नए-नए समाधान सुझाए हैं, जैसे कि शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए और कुछ ने यह सुझाव तक दिया कि गांवों में ही आधुनिक विचारों का प्रचार हो, आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जाएं और उद्योगों की स्थापना की जाए और इस प्रकार गांव की जीवन-पद्धति को ही बदल दिया जाए।

मेरी समझ से तो इन सब तरीकों से न तो ग्रामीण क्षेत्रों का पुनरुत्थान ही होगा और न गावों से गए हुए लोगों को वापस गावों की ओर खींचा जा सकेगा। एक बार अगर उन्हें विश्वास हो गया कि गांव पिछड़पन और गंवारू सभ्यता के प्रतीक हैं तो वे गांवों की बजाय शहरों की गन्दी बस्तियों में रहना ज्यादा पसन्द करेंगे, और भले ही गांवों में बिजली, ट्रैक्टर और उद्योग पहुंच जाएं, वे वापस लौटकर नहीं आएंगे।

शहरों का आकर्षण

एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गांवों के लोगों को एक बार शहर की हवा लग गई, तो वे हमेशा के लिए हाथ से निकल जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार लोग प्रकटतः तो अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने के लिए विदेशों को जाते हैं, लेकिन लौटते है ज्यादा शिक्षित होकर। बल्कि सच तो है कि इनमें से अधिकांश लोग अपने देश के लिए सर्वथा निकम्मे होकर लौटते हैं और उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है कि वे अपने को भारतीय जीवन-दशाओं के अनुकूल नहीं बना पाते। तथापि यह हानि इतनी गम्भीर नहीं है जितनी कि देहाती क्षेत्रों से कौशल-निष्क्रमण के रूप में होने वाली हानि है। देहातों से जाने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बढ़ईगीरी, चमड़े के काम में, राजगीरी और दस्तकारी आदि में पारम्परिक कौशल प्राप्त है। ये लोग गांवों में काम और सुरक्षित रोजगार के अभाव में शहरों में जाने पर मजबूर होते हैं और वहां की भीड़भाड़ में अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही होगा, क्योंकि अन्ततः इनका सम्बन्ध 40 करोड़ लोगों के जीवन से है।

मेरी राय में, इस बात के पक्ष में कई सशक्त तर्क हैं कि आधुनिक विचारों को देहातों तक पहुंचने और देहाती लोगों की मनोवृत्ति पर अपना प्रभाव डालने से रोका जाना चाहिए, अन्यथा उन कुटीर उद्योगों को हानि पहुंचेगी जो परम्परागत कौशल के बल पर जीवित है।

देहातों के जीवन-मूल्य शहरी जीवन-पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ग्रामीण संस्कृति बहुत हद तक अभिज्ञा व्यक्तित्व (आइडेंटिटी पर्सनेलिटी) पर निर्भर करती है। आजकल के ग्रामीण व्यापार में विनिमय पद्धति का विशेष महत्व है। इन सभी को आमूल-चूल परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा और इससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, उन्हें सोचकर दिमाग चकरा जाता है।

गलत पूर्व-धारणाएं

यही रफ्तार रही तो महात्मा गांधी का जो यह स्वप्न था कि 'अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए' उसे मनुष्य तो नहीं, कम्प्यूटर ही पूरा कर सकेंगे। अभी ही यह हाल है कि जो ग्रामवासी लोग शिक्षा प्रणाली और सिनेमा के प्रभाव में आ चुके हैं वे गावों के लिए एक बोझ साबित हो रहे हैं।

उनका ऐसा विचार है कि जब तक डिग्री न लो तब तक कोई आदमी पढ़ा-लिखा नहीं होता और पढ़े-लिखे आदमी को खेत में काम करना शोभा नहीं देता। वे यह भी सोचते हैं कि चरखे का अब कोई उपयोग नही है और हथकरघे की जगह अब बिजली के करघे होने चाहिएं। वास्तव में इसके लिए हम शहरों में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अन्ततोगत्वा हमें खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूट्ठी भर-जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने बल-बूते पर गांवों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकेंगे। वे चूंकि उन्हीं गांवों में रहे-बसे हैं, इस लिए वे अलग ढंग से सोच ही नहीं सकते। खण्ड-विकास अधिकारी, स्कूल, औषधालय, डाक-घर और पुलिस थाना, उपयोगिता की दृष्टि से इन सब के मूल्य में ह्रास का भी यही कारण है। ये संस्थाएं वास्तव में परिवर्तन के साधन होनी चाहिएं थीं: किन्तु वे व्यर्थ हो रहे साधनों का दुखद दृष्टान्त बनकर रह गई हैं।

तब फिर यह किस प्रकार सम्भव है? पुनरुत्थान का काम दो ही स्तरों पर हो सकता है, पहले तो उत्प्रेरित तत्वों की सहायता से आन्तरिक विकास हो। ये तत्व हैं अभिप्रेरित व्यवसायी लोग, व्यावसायिक बैंक और कृषि सेवा एजेंसियां, एक सर्वथा भिन्न वातावरण से आने वाले अनुसंधानकर्त्ताओं के दल, आदि। इन उत्प्रेरक तत्वों का उद्देश्य

यह होना चाहिए कि वे गांव वालों को उनके साधनों और सम्भावनाओं से अवगत कराएं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वे गांव वालों को अपनी पृष्ठभूमि पर गर्व करना सिखाएं।

पुनरुत्थान सम्भव है

मेरी समझ से पुनरुत्थान तभी सम्भव है जब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति और उनकी समस्याओं के प्रति ज्यादा सहानुभूति और समझ का परिचय दिया जाए, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए। किताबों, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों से या उच्च योग्यतावाले विशेषज्ञों से वह काम सम्भव नहीं होगा जो ग्रामवासियों के साथ रहकर उनके बीच काम करने से हो सकता है। गांव वालों के बीच रहने से पता चल सकता है कि गावों में मानवीय और गैर-संस्थागत साधनों के रूप में कितना कुछ छिपा पड़ा है जिसका अभी तक उपयोग ही नहीं किया गया है। अभी तक शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और कृषि के क्षेत्रों में शहरी शिक्षाप्राप्त विशेषज्ञों की यही मनोवृत्ति रही है। गावों में ताजा खून की आवश्यकता है। इन लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं की है कि गांवों में यह ताजा खून पहले से ही कितनी मात्रा में मौजूद है।

गांव के किसी पुजारी या शिक्षित किसान को अध्यापक के रूप में काम करने का मौका दीजिए तो शायद वह इतना अधिक सफल सिद्ध होगा, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तिलोनिया में हमारे प्रयोग ने यह दिखाया है कि वे ज्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं और उनमें नए विचारों के प्रति ज्यादा ग्रहणशीलता है। स्वास्थ्य-शिक्षा कार्य, परिवार नियोजन कार्य, प्रौढ़-शिक्षा का कार्य, खाद के लिए गड्ढे खोदने के कार्य, वृक्षारोपण करने का कार्य प्रौढ़-शिक्षा की कक्षाएं चलाने का कार्य, दवाएं देने का कार्य, सभी इन कामों को कर सकने वाले बहु-उद्देश्य कार्यकर्ताओं को गावों में ही अल्प-वेतन पर प्रशिक्षित करके देखिए। ऐसा पाया गया है कि उन्होंने व्यावसायिकों से भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखा दिया है।

इन नए विचारों का सबसे ज्यादा विरोध प्रशिक्षित शिक्षकों, प्रमाणीकृत डाक्टरों, योग्यताप्राप्त इंजीनियरों और कृषि-स्नातकों की तरफ से किया जाता है, यह बात जरा ध्यान देने की है। वे इन कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाने के बजाय उन्हें अपने व्यवसाय के लिए खतरा समझते हैं, यह बात निश्चय ही शिक्षा-प्रणाली पर एक लांछन स्वरूप है। वे न केवल योजना के दोष ढूंढने का समय निकाल लेते हैं, बल्कि प्रबन्ध लिखने का समय भी निकाल लेते हैं, जिनमें यह तो बताया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता है कि सचमुच कार्य क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। उसके लिए तो उनके पास समय ही नहीं है।

दूसरे स्तर पर, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के द्वारा मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों के अवसर प्रदान करके ग्रामों का पुनरुत्थान किया जा सकता है।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विभिन्न बजारों में खपत के लिए चमड़े के सामान और हथकरघा कपड़ों की डिजाइनें सुधारने के अवसर कारीगरों को प्रदान किए जा सकते हैं और ज्यादा अच्छे किस्म का कच्चा माल उत्पादन करने की व्यवस्था करके और माल की खपत के लिए महत्वपूर्ण बिक्री के जरिये उपलब्ध किए जा सकते हैं जिससे कि ग्रामीण कारीगरों के परिवार की आमदनी बढ़े।

गांव वालों के लिए मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना भी बहुत जरुरी है, क्योंकि इनके जरिए उनको अपनी सम्भावनाओं का ज्ञान होता है और अपनी पृष्ठभूमि के प्रति आदर की भावना पैदा होती है। लेकिन इसको भी यों ही पड़ा रहने दिया गया है, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताओं की सूची में इसका महत्व आनुषंगिक ही माना गया है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समूहों और जातियों को एक-दूसरे के निकट लाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। ग्रामीण समाजों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रचुर मात्रा में और सामयिक चिकित्सा और शिक्षा-सेवा की व्यवस्था करना बहुत महत्व रखता है, और यह एक ऐसा तत्व है जो जो ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर अभिमुख होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके प्रति भी मनोदृष्टि में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

स्कूल की इमारत खड़ी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षा सेवाएं भी उपलब्ध की जा रहीं हैं; इसी तरह चिकित्सा भवन का निर्माण हो जाने का मतलब यह नही हो जाता कि गांववालों के लिए उचित, तत्काल और योग्य चिकित्सा सेवा सुनिश्चित हो गई। ऐसा नहीं है, और यह बात स्पष्ट रूप से तब देखी जा सकती है, जब हम इतने सारे मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-चिकित्सालयों में जाने के बजाय स्थानीय डाक्टरों के पास जाता देखते हैं। अत: मुझे कहना होगा कि इन भवनों के बन जाने मात्र से ऐसा मानने लगना गलत है कि ग्रामीण लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की ये बुनियादी जरुरतें प्राप्त होने लगी हैं।

जिस परिवर्तन की अभी हाल तक जरुरत रही है वह परिवर्तन है समस्या के प्रति स्वयं हमारे दृष्टिकोण में। ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सकें और कम से कम उपकरणों की सहायता से ही परिणाम दिखा सकें, जो ग्रामीण दशाओं में आसानी से रह सकें, जिन्हें गांव वालों के साथ अपना समय व्यतीत करने की फुरसत हो, क्योंकि अधिकांश काम दफ्तर के समय के बाद चाय की दूकानों में, भजन कीर्तन के समारोहों और समाजिक समारोहों के दौरान किया जाता है।

अधिकांश अत्यन्त योग्यताप्राप्त विशेषज्ञ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के योग्य नहीं होते। वे मामूली से मामूली

समस्या को भी बहुत ही पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त तकनीक की समस्या को ही लें। कितने लोगों को पता है कि अनेक क्षेत्रों में ऐसे साधारण औजार और उपकरण प्रयुक्त किए जा रहे हैं जिनका दूसरे क्षेत्रों को—कभी-कभी बिल्कुल पड़ोस के क्षेत्र को—कोई ज्ञान ही नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों में किसान लोग जिन देसी औजारों और उपकरणों का उपयोग पीढ़ियों से अपनी खेती की समस्याओं को हल करने के लिए करते आ रहे हैं, अगर उनकी सूची बनाई जाए तो मुझे विश्वास है कि यंत्रों की ऐसी अनेक डिजाइनें मिलेंगी जिनकी नकल करने की कोशिश ग्रामों में स्थापित अनुसंधान संस्थाएं कर रही होंगी। आज अफ्रीका या योरूप या दक्षिणी अमेरिका में प्रयुक्त होने वाले औजारों के उपयोग का सुझाव देने की प्रवृत्ति है, गोया कि हमारे देश के किसान कल्पना-शक्ति में बिल्कुल दिवालिए हैं। हमारे किसानों की जो व्यावसायिक पुश्तैनी पृष्ठभूमि है, आखिर हम उसकी कदर करना कब सीखेंगे? जब सहानुभूति और समझदारी वाले विशेषज्ञ को और गांव के मामूली किसान को, जिन दोनों की पृष्ठभूमि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होगी, आमने-सामने किया जाएगा, तब गावों के पुनरुत्थान की दिशा में पहला कदम उठेगा।

नई चेतना

ऐसा विशेषज्ञ गाँव वालों को हथ-करघा उद्योग और कुटीर उद्योगों में एक नई गरिमा का अनुभव करा सकेगा। वही विशेषज्ञ गांव के पुजारी और शिक्षित किसान की बुद्धिमत्ता को उनकी नजरों में एक नई गरिमा प्रदान कर सकेगा, और उन्हें समझा सकेगा कि वे लोग गांव के बच्चों को उनके क्षेत्र के बारे में, देश के इतिहास के बारे में और उनकी देखभालों के बारे में कुछ बता सकते हैं।

यह विशेषज्ञ गांव वालों की अपनी सहज बुद्धि और व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित ग्रामीण विज्ञान के प्रति-जैसे जमीन के नीचे पानी का पता लगाने वालों, वैद्यों, दाइयों और बेशक किसानों के प्रति सम्मान प्रकट करके गांव वालों को अपने यहाँ की इन विधाओं की कदर करना सिखा सकता है। गांव वाले को कृषि सम्बन्धी समस्याओं का जो ज्ञान होता है-मसलन पशु और पौधों के लक्षणों से यह पता चला लेना कि वर्षा कब आने वाली हैं, तब विभिन्न वनस्पति, पशु और मनुष्य के रोगों का देहाती इलाज, आदि-उनके मुकाबले कोई शहरी ग्रेजुएट अपढ़ जैसा प्रतीत होगा।

इनका प्रभाव प्रकट होने में कई साल लग सकते हैं। इन प्रक्रियाओं में बहुत समय और बहुत साहस तथा अध्यवसाय की जरूरत होती है, क्योंकि गांव में हमेशा एक वर्ग ऐसा होगा जो इस परिवर्तन की मुखालफत करेगा, क्योंकि इस परिवर्तन से गांव के लोगों पर इसके प्रभुत्व को खतरा पैदा होता है। एक बार हम यह प्रक्रिया शुरू कर दें, फिर तो समय हमारा ही साथ देगा।

ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई है, क्योंकि नए राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के प्रभावों ने ग्रामीण-स्तर तक के लोगों की मनोवृत्ति को निश्चित रूप से बदल दिया है। लेकिन जो चीज ज्यादा उत्साहवर्द्धक है वह यह कि युवा व्यावसायिक और विशेषज्ञ में गांवों में जाकर काम करने की इच्छा प्रकट हो रही है। और यह चीज ग्रामीण क्षेत्रों के पुनरुत्थान की क्रिया में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा सकती है। ★

निजी-रोजगार के लिए डेरी परियोजना

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल ने ग्रामीण महिलाओं को निजी-रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रयोगात्मक डेरी परियोजना आरंभ की है।

यह योजना मूलरूप से युद्ध में शहीदों की विधवाओं के पुर्नवास के लिए आरंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इन महिलाओं में से ज्यादातर पढ़ी-लिखी नहीं थीं तथा मुख्य रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई थीं। बाद में इस योजना का लाभ अन्य नि:सहाय और जरूरतमंद महिलाओं को भी दिया जाने लगा।

इस योजना के अंतर्गत, उपयुक्त जिला अधिकारी द्वारा योग्य समझी गई जरूरतमंद स्त्रियों को दुधारू पशु दिए जाते हैं। जरूरतमंद स्त्रियों का चुनाव राज्य समाज मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल प्रत्येक मामले की जांच करता है। इसके अलावा दूध रखने के लिए बर्तन आदि खरीदने के लिए प्रत्येक महिला को 200 रु० भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, दो महीनों तक चारा खरीदने के लिए 230 रु० का तत्काल अनुदान दिया जाता है। इन अग्रिम राशियों की वसूली दूध व दूध उत्पादक से प्राप्त आय से मासिक किस्तों में की जाती है।

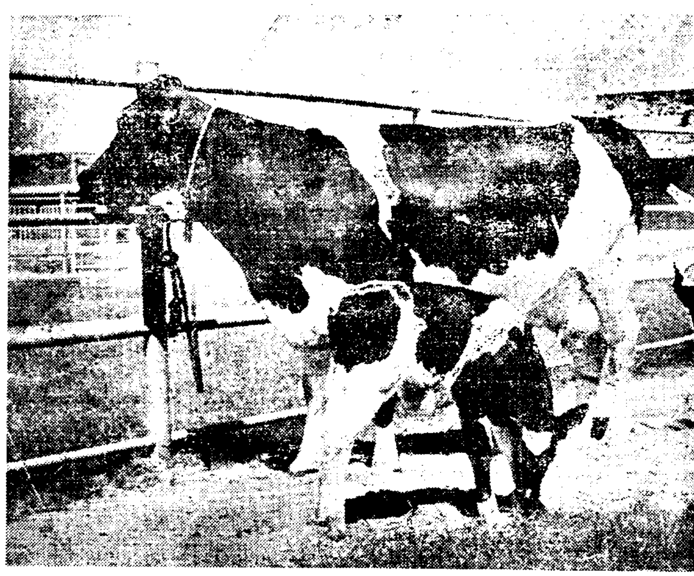

हरियाणा की गाय-होल्स्टीन गाय

गांवों में रोजगार के लिए मछली पालन ★ डा० बी०आर०पी० सिन्हा

आजकल यद्यपि छोटे बड़े अनेक तालाबों में विभिन्न तरीके से व्यवसाय रूप में मछलियों का पालन किया जाता है तो भी गांवों के पुराने तालाब आज भी उपयोगी बने हुए हैं जहां पर आमतौर पर हर तरह की मछलियां पाली जाती हैं। इन तालाबों में से अधिकांश तालाब वैज्ञानिक कसौटी पर, जैसे इनकी उचित भौगोलिक स्थिति, पानी की सप्लाई और मछली पालने के लिए मिट्टी की उचित किस्म का होना, पूरी तौर से खरे नहीं उतरते ; फिर भी इन का इसी रूप में या इनमें थोड़ा बहुत सुधार लाकर मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत, चीन और दूसरे देशों में, खास तौर पर उन देशों में जहां चीनी लोग आकर बस गए हैं इन तालाबों में कार्प और दूसरी अन्य प्रकार की मछलियों का जो जल्दी ही बढ़ जाती और बड़ी हो जाती हैं और जो खाने में ज्यादातर पसन्द की जाती हैं, सैकड़ों वर्षों से पालन किया जा रहा है। इस तरह मछली पालन से व्यावहारिक ज्ञान संचित होता रहा है। इस ज्ञान के आधार पर मछली पालने की वैज्ञानिक तकनीक का विकास किया गया है।

हाल में केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान ने अधिक से अधिक मात्रा में मछलियां पैदा करने के लिए भारतीय और चीनी मछलियों को एक साथ मिलाकर पालने की एक प्रक्रिया खोज निकाली है जिसे सम्मिश्र मछली पालन कहते हैं। इसमें आम तौर से तीन प्रकार की भारतीय मछलियों अर्थात् कतला, रोहू और मृगल और इतने ही प्रकार की चीनी मछलियों अर्थात् सिलवर कार्प, ग्रास कार्प और कामन कार्प मछलियों का पालन किया जाता है।

इस तकनीक में विभिन्न अवस्थाओं में कई कार्य किए जाते हैं जैसे पानी में पैदा होने वाली जंगली घास और ऐसी मछलियों व कीड़े-मकोड़ों की सफाई जो परजीवी होते हैं, मिट्टी और पानी के उपजाऊपन को देखते हुए तालाबों को और उपजाऊ बनाना, प्राकृतिक रूप से मछलियों के लिए प्राप्त भोजन की मात्रा को देखते हुए तालाबों में मात्रा और संख्या के अनुपात में विभिन्न प्रकार की कार्प मछलियां रखना और इन तालाबों में इन मछलियों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था करना तथा अन्ततः हर प्रकार की मछलियों को उनकी वृद्धि के अनुसार उचित समय पर तालाबों में से निकालते रहना।

हमारे देश में जहां-जहां सम्मिश्र मछली पालन तरीके से मछली पालन किया गया है वहां एक हैक्टेयर में प्रति वर्ष छह से नौ टन तक मछली पैदा की गई है। इस तरह गांवों में जिस तालाब से 600 किलोग्राम मछली पैदा हो सकती है, उचित व्यवस्था अपनाकर उसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। यह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :—

यहां हमें यह समझ लेना चाहिए कि सम्मिश्र मछली पालन का उन्नत तरीका उन्हीं तालाबों में अपनाया जा सकता है जहां पहले से ही पुराने तरीके पर मछली पालन किया जा रहा है। चूंकि इन तालाबों में पहले से ही मछली पालन होता रहा है, इसलिए हो सकता है कि इनमें विकास का कोई भी नया काम नहीं किया गया हो। लेकिन हर दस वर्षों के लिए प्रति हैक्टेयर के लिए 1,000 रुपए रखे जा सकते हैं। जाल आदि कुछ उपकरणों की जरूरत हो सकती है, जिनके लिए हर पांच साल बाद 1500 रुपयों की जरूरत होगी क्योंकि जाल सिर्फ पांच साल तक ही चल पाते हैं। इस तरह विकास कार्यों, जाल आदि के लिए प्रतिवर्ष 400 रुपयों की जरूरत होगी। महुआ की खली आमतौर पर शुरू में जंगली मछलियों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह प्रति हैक्टेयर मीटर पानी में लगभग 2500 किलोग्राम इस्तेमाल होती है और यह तभी इस्तेमाल की जाती है जबकि तालाबों में पानी कम से कम होता है। इसे हर साल इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। जो मछलियां दूसरी मछलियों को मार कर अपना पेट भरती हैं ऐसी मछलियों को मारने के लिए दस साल में महुए की खली का तीन बार इस्तेमाल करना पर्याप्त होता है। इस पर मौजूदा कीमत के आधार पर 4500 रुपए खर्च होगा। इस खर्च को दस साल में बांटा जाए तो प्रतिवर्ष 450 रुपए बैठता है। लेकिन यह 500 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। मछली पालन में काम आने वाली विभिन्न सामग्री में पोषक भोजन पर खर्च ज्यादा होता है जो एक बार में कुल खर्च का 70 से 80 प्रतिशत या इससे भी ज्यादा बैठता है। जबकि मछलियों के बच्चों और उर्वरक दोनों पर यह 20 से 30 प्रतिशत बैठता है। अनुभव के आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छह प्रकार की मिली-जुली मछलियों का 3000 किलोग्राम तक उत्पादन करने के लिए, जो अनुभवी व्यक्ति द्वारा संभव है, लगभग छह टन चारे अर्थात् चावल की भूसी 3 टन और 3 टन खली की जरूरत होगी। इस प्रकार लगभग 4500 रुपए खर्च होंगे। उर्वरक और मछलियों के बच्चे खरीदने पर 1500 रुपयों की और जरूरत होगी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुराने तरीके

से किए जाने वाली मछली पालन में जैविक खाद डालने के समय को छोड़ कर तालाब तैयार करने की सबसे खास बात उर्वरक डालने ग्रौर पानी को उपजाऊ बनाने पर ध्यान लगभग नहीं जाता है। लेकिन सम्मिश्र मछली पालन में एक दूसरे के साथ रह सकने वाली उचित मछलियों और उनके अनुपात के ग्रलावा इन मछलियों के लिए चारे के साथ-साथ पूरक भोजन ग्रौर तालाबों के उपजाऊ बनाने पर भी ध्यान दिया जाता है। ग्रास कार्प मछलियों के लिए तालाबों में पानी उगलने वाली घास का भी ग्रगर मौजूद न हो तो प्रबन्ध किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो यह एक तरह से ऐसा रोजगार बन जाता है जिसमें हम पूरे समय लगे रहते हैं। इसके ग्रलावा समय-समय पर जाल डालने ग्रौर मछली पकड़ने के लिए दिहाड़ी पर मजदूरों को रखने की जरूरत होती है। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार मछली पालने वाला व्यक्ति ग्रपने साथ एक मछुग्रारे को रख कर मछलियों को चारा देने व तालाब को उपजाऊ बनाने व मछलियों पर चौकसी रखने के काम को बखूबी कर सकता है जिस तरह कि एक किसान ग्रपने खेत का काम करता है। फिर भी ग्रामतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि दो हैक्टेयर वाले यूनिट के लिए एक कुशल मछली पालक व दो मछुग्रों ग्रौर दो चौकीदारों की जरूरत होती है।

आदर्श योजनाएं

हमने ऊपर तालिका में पुराने तरीके से और सम्मिश्र तरीके से मछली पालन से होने वाली ग्राय के ग्रन्तर को स्पष्ट किया है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि समझ कर ही मछली पालने वाले लोग अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर चला सकते हैं। फिर भी जो लोग वर्षों से मछली पालते ग्रा रहे हैं ग्रौर जिन्हें इसका पर्याप्त ग्रनुभव प्राप्त हो चुका है लेकिन जिन्हें इस क्षेत्र की नवीन टेकनीकल जानकारी नहीं है, उन्हें ग्रौर ग्रधिक कुशल बनाने और नई से नई टेकनिकल जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम की बड़ी ग्रावश्यकता है जिससे कि वे ग्रपने व्यवसाय को ग्रौर बड़े पैमाने पर शुरू कर सकें। इस दिशा में केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली अनुसंधान संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन अनेक उपयोगी कार्य किए हैं। इस संस्थान द्वारा मछली पालने वालों के प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के ग्रतिरिक्त मछली पालने की रीति में भी खोज की गई है जिससे कि क्षेत्रीय आधार पर विकास कार्यक्रम बनाये जा सकें। इस संस्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा के सहयोग से उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के गांवों में अनुसंधान व विकास के लिए ग्राम मछली पालन कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके अन्तर्गत वैज्ञानिक रीति से मछली पालने के लिए तालाब चुने गए हैं और इसके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे निःसन्देह हमारे ग्रामवासियों को सम्मिश्र मछली पालन से होने वाले लाभ तथा इस बात को समझने में काफी सहायता मिलेगी कि उनके तालाबों से अधिकाधिक मात्रा में मछली उत्पादन हो सकता है। कृषि विज्ञान और प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र से भी इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिलेगी। यह केन्द्र भारतीय अनुसंधान परिषद् द्वारा केवल मछली पालने के लिए खोले गए हैं। भारत सरकार ने भी सारे भारत में मछली पालन की विकास एजेंसियां स्थापित की हैं। इन एजेंसियों का मुख्य कार्य गांवों में मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंध करना है। केन्द्रीय सरकार से हमें जमीन खरीदने, कर्मचारियों को वेतन देने, उपकरणों और काम में आने वाली अन्य सामग्री आदि का खर्च पूरा करने के अतिरिक्त नए तालाबों को खोदने पर आने वाले खर्च में 25 प्रतिशत सहायता मिलती है तथा बाकी 75 प्रतिशत धन बैंकों से उधार के तौर पर मिल सकता है। हर जिले में एक एजेंसी और मछली फार्म होता है। इस फार्म में मछलियों के बच्चे पाले जाते हैं। यह फार्म संबंधित राज्य तैयार करता है जहां एजेंसी स्थापित होती है। आशा है कि इस योजना से मछली पालन के भावी विकास कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

वैज्ञानिक तरीके से मछली पालने की रीति की एक उल्लेखनीय विशेषता

इन्दिरा जी के विचार

गरीबी दूर करने का एक ही जादू है—
कड़ी मेहनत, दूर दृष्टि, पक्का इरादा ग्रौर कड़ा अनुशासन। हम में से हर एक को अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथी नागरिकों के लिए ग्रौर अधिक काम करने का इरादा बना लेना होगा। सरकारी सम्पत्ति के लिए और अधिक आदर होना चाहिए। इसके नष्ट करने पर दन्ड की व्यवस्था है। हमें संयम को ज्यादा ग्रपनाना होगा। सरकार का कर्तव्य है कि वह अधिक खपत पर नियन्त्रण रखे, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्र के जीवन को सुधारने का यही सही रास्ता है।

सबसे जरूरी तो यह है कि हम सब मिलकर लाचारी की भावना को समाप्त कर दें। पिछले कुछ महीनों से दोषदर्शिता बढ़ रही थी, जिससे राष्ट्र विश्वास की क्षति हुई, यही स्थिति का सबसे बुरा लक्षण रहा है। अब मौका है कि राष्ट्र के साहस की ग्रात्मा को पुनः प्राप्त किया जाए। ग्राओ हम काम में जुट जाएं। ★

यह है कि इसके द्वारा ऐसे लोग भी मछली पालन को अपना व्यवसाय बना लेते हैं जिन्होंने कभी भी मछली पालन नहीं किया होता है या जो मछुओं से भिन्न होते हैं जिनका व्यवसाय केवल मछली पकड़ना होता है। इसके अतिरिक्त यह विधि ऐसी है जिसमें किसी विशिष्ट कारीगरी के सीखने की जरूरत नहीं होती और ज्यादा लोग इस व्यवसाय में खप सकते हैं।

अधिक रोजगार

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली संस्थान के निदेशक डा० वी० पी० झिंगरन ने यह अनुमान लगाया है कि जितने तालाबों में इस समय मछली पालन हो रहा है उनमें से अगर 6 लाख हैक्टेयर से ही सम्मिश्रण विधि से मछली पालन किया जाए तो कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

सकते हैं। इसके बदले में मुर्गियों के लिए मछलियों का गोश्त और सूखी मछलियां प्राप्त होती हैं। इस तरह गांवों के विकास में कृषि, पशुपालन और मछली पालन से एक दूसरे को काफी मदद मिलती है। जो किसान सुअर या अन्य पशु पालने को धंधे के रूप में में अपनाए हुए हैं या धान की खेती करते हैं, वह भी मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। इससे न केवल उनको आर्थिक दशा सुधरेगी वरन् उनको उचित पौष्टिक आहार भी प्राप्त होगा। कृषि के साथ-साथ मछली पालन का व्यवसाय खास तौर से लाभप्रद है। छोटे-छोटे किसान भी, जो केवल कुछ बत्तखें या जानवर ही पाल सकते हैं, मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह हर स्थिति में मछली पालन ग्राम विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। मछली पालन से

रोजगार की संभावना

मदें	श्रमदिवस लाख की संख्या में — शुरू में	श्रमदिवस लाख की संख्या में — प्रतिवर्ष	व्यक्ति लाख की संख्या में — शुरू में	व्यक्ति लाख की संख्या में — प्रतिवर्ष
भारी मदें	157.50		0.43	—
बार-बार काम में आने वाली सामग्री	—	192.00	—	0.53
अनुरक्षण, भारी मदों को बदलने पर	—	15.75	—	0.04
मछली पालन (पूर्ण कालिक)	—	438.00	—	1.20
मछली पालन (अंशकालिक)	—	135.00	—	0.36
विपणन	—	47.82	—	0.13
		986.07 लाख श्रमदिवस	0.43	2.26

गांवों में मछली पालन से हमें प्रोटीन और रोजगार दोनों ही भारी मात्रा में प्राप्त होता है जिसकी हमारे गांवों में रहने वाली जनता को भारी जरूरत है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि गांवों में हमें मछलियों के लिए पूरक भोजन जैसे खली और चावल या गेहूं की भूसी प्राप्त होती है और गोबर और मुर्गों की बीट वगैरह मिलती है, जिससे हम अपने तालाबों को उर्वर बना

न केवल भारत के सामुदायिक विकास क्षेत्रों में वरन् कांगो (ब्राजविले) के समन्वित ग्राम विकास परियोजनाओं में भारत, इंडोनेशिया, कोरिया गणतंत्र, लेसोथो और श्रीलंका के प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रमों में भी जहां अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है वहां ग्रामवासियों को आर्थिक लाभ भी हुआ है तथा इससे गांवों में बसी जनता को आवश्यक पोषक आहार भी प्राप्त हुआ है।

अनु० डा० देवेश चन्द्र

संतोष की आभा

पूँजी के अभाव में रोज-रोज बांस खरीद कर उससे टोकरी बनाना तथा शाम तक बनाई गई टोकरियों को लाभ या हानि में बेच देना। फिर दुकान से खाने का सामान खरीद कर भोजन पकाने की जिन्दगी से थके-हारे एवं उदासीन आजमगढ़ जिले के वेलइसा कस्बे में बसे हुए गरीब के चेहरों पर अब सन्तोष की आभा देखी जा सकती है।

ये गरीब सड़क से थोड़ी दूर पर खर-पतवार से बनाई गई झोंपड़ियों में रहते हैं और पूरा परिवार टोकरी बनाने के काम में सवेरे से शाम तक लगा रहता है। लेकिन इन्हें अब रोज-रोज अपनी टोकरियों को औने-पौने दामों पर बेचने की चिन्ता नहीं रहती और हर दिन टोकरियों को बेचने में इनका जो समय नष्ट होता था वह भी बच जाता है जिससे वे पहले से अधिक टोकरियां बना लेते हैं। उन्हें अब प्रतिदिन दुकान से खाने का सामान खरीदने की समस्या से भी छुट्टी मिल गई है।

इन गरीबों की बस्ती से एक फलांग की दूरी पर 11 मास पूर्व स्थापित ग्रामीण बैंक की कमजोर वर्ग की सहायता की उदार नीति ने गरीबों की बोझिल जिन्दगी में यह परिवर्तन ला दिया है और अब वे दुखड़ों का रोना न रोकर आत्म-विश्वास के साथ बात करते हैं।

गरीबों के 65 वर्षीय मुखिया श्री शिवपूजन का कहना है कि 9 मास पूर्व ग्रामीण बैंक से 300-300 रु0 का कर्ज पा जाने से उनकी जिन्दगी में यह बेहतरी आई है। अब वे 15 दिन लगातार टोकरी बनाकर इकट्ठे किसी बाजार में ले जाकर टोकरियां अच्छे दामों में बेच लेते हैं और टोकरी बेचने से प्राप्त पैसे से वे एक पखवाड़े की आवश्यकता का बाँस व खाने का सामान खरीद लेते हैं। मुखिया ने बताया कि अब हमारे परिवारों को दोनों समय खाना तो मिलने ही लगा है, पखवाड़े में एक-दो दिन हम बढ़िया खाना भी पका लेते हैं।

गरीबों की इस मदद के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मुखिया ने कहा कि लोगों को बैंक से प्राप्त कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकता कर देने की बराबर चिन्ता बनी रहती है। सभी ने कुछ न कुछ कर्ज चुका भी दिया है।

राष्ट्रीय एकता : कुछ अछूते प्रश्न ★ एस० पी० शुक्ल

भारत की सांस्कृतिक एकता एक शाश्वत सत्य है जो हमें विरासत में मिली है। यह हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। भाषा, धर्म, सम्प्रदाय जाति एवं भौगोलिक विभिन्नता के बावजूद हमारी संस्कृति सदा से एक रही है। जो साहित्य, संगीत, कला एवं स्थापत्य के माध्यम से परिलक्षित होती रही है। भारत पुराकाल से ही तमाम जातियों, धर्मों एवं भाषाओं का संगमस्थल रहा है जहां एक मिली-जुली संस्कृति का निर्माण हो पाया। इसके पीछे वह अदृश्य शक्ति रही है जो सदियों से ऋषियों, मुनियों, विचारकों, कवियों एवं कलाकारों की चेतना में व्यक्त होती आई है। समय-समय पर राम-कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों, अशोक, अकबर और नेहरू जैसे राजपुरुषों एवं शंकराचार्य, कबीर, नानक, दयानंद और विवेकानन्द जैसे संतों एवं समाज-सुधारकों का महत्वपूर्ण योगदान इसे मिलता रहा है। इस एकता की अभूतपूर्व परिणति हुई हिन्दुस्तान की आजादी के रूप में जिसे समूचे देश ने एक सूत्र में बंधकर अनवरत संघर्ष, त्याग और कुर्बानी करके प्राप्त किया। कहना न होगा कि एकता से ही राजनीतिक आजादी मिली और एकता से ही इस महान उपलब्धि को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखा जा सकता है।

विघटन की प्रक्रिया :—सबसे पहले हमें उन कारणों एवं तत्वों की खोज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। भाषा, धर्म और सम्प्रदाय जहां राष्ट्रीय एकता के माध्यमहैं वहां वे संकुचित, स्वार्थपूर्ण एवं साम्प्रदायिक स्वार्थपूर्ति के साधन भी बनाए जाते है। ऐसे संकुचित दृष्टिकोण राजनीतिक असंतोष के रूप में उभारे जाते हैं, और प्रायः हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। जातिवाद, आर्थिक विषमता तथा कुछ अन्य राजनीतिक ऐसे तत्व हैं जिनसे सामाजिक तनाव बढ़ता है। सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति रुक जाती है। अलगाव व बिखराव की भावना को बढ़ावा मिलता है। स्वाभाविक है कि ऐसे लोग अपने स्वार्थ-साधन के लिए जनता की भावना को भड़काते हैं। हिंसा आगे बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता पर पहला आघात होता है।

ठोस कदम: कदाचित ऐसी ही चुनौतियों एवं खतरों को ध्यान में रखते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1961 में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया था। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रेरणा पर राष्ट्रीय एकता की कार्यसमिति द्वारा साम्प्रदायिक सामञ्जस्य को बढ़ावा देने के लिए सात-सूत्रों की रूपरेखा बनाई गई है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह ठोस कदम सामयिक एवं सराहनीय कहा जा सकता है। इसके मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. जनता के कुछ वर्गों में व्याप्त सुधार-विरोधी एवं प्रतिवादी तत्वों के प्रभाव में कमी, 2. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता के निश्चयात्मक तत्वों को प्रोत्साहन, 3. अल्पसंख्यकों के प्रति शंका व पक्षपात का उन्मूलन, 4. राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को बढ़ावा, 5. फिरकापरस्ती का विरोध, 6. विभिन्न व्यवसायों एवं धर्मों के लोगों का एक दूसरे से मिलना, और 7. विभिन्न वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने वाली शक्तियों को प्रकाश में लाना आदि हैं।

इनके अलावा, कार्यसमिति ने कुछ सुझाव और भी दिए है जो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में हिंसा की प्रवृत्ति रोकना, औद्योगिक संबंधों, अल्पसंख्यकों के हित, हरिजन उत्थान, आदिवासियों के विकास तथा क्षेत्रीय सामञ्जस्य से संबंधित हैं।

समिति के इन सुझावों को काफी व्यापक, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं व्यावहारिक कहा जा सकता है। लेकिन इन सुझावों को बिल्कुल नया नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इनमें से अधिकांश, जैसे धर्म-निरपेक्षता, सामाजिक एवं आर्थिक समानता, सामाजिक भेदभाव का मिटाना तथा शिक्षा संबंधी बात हमारे संविधान में ही समाविष्ट है। महात्मा गांधी व प० नेहरू ने इनमे से अधिकांश सुझावों को कार्यरूप में परिणित करने पर शुरू से ही जोर दिया था।

अछूते प्रश्न: राष्ट्रीय एकता एक सामूहिक प्रयास द्वारा न कि जोरजबरदस्ती द्वारा किसी वर्ग विशेष पर थोपने से प्राप्त हो सकती है। फिरकापरस्त एवं संकुचित दृष्टिकोण के लोगों को प्रगतिशील विचारधारा से अवगत कराने एवं उनके हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है।

शिक्षा का माध्यम: राष्ट्रीय एकता के प्रचार में बुद्धिजीवियों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्बाध रुप से बौद्धिक आदान-प्रदान आवश्यक होता है। एक ओर तो समिति के सुझावों के अनुसार स्कूल-स्तर पर सभी व्यवसायों एवं मतों के लोगों को मुक्त रूप से एक दूसरे से मिलना

चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से विरोधाभास एवं विसंगति की स्थिति पैदा हो गई है। माध्यम की विभिन्नता के कारण बंगाल या मद्रास का विद्यार्थी अपने प्रदेश से बाहर उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्-राज्य गतिशीलता समाप्त होने पर क्या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है? विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं। शिक्षण एवं विद्यार्थी को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर नहीं मिलता। क्षेत्रीय संकीर्णता बढ़ती है। देश में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई एवं खालसा नामधारी स्कूल और कालिजों में क्या एकता बढ़ सकती है?

अनिवार्य सेवा: उच्च स्तरीय शिक्षण-संस्थाओं एवं केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में अन्तर्राज्यीय विनिमय, स्थानांतरण तथा नियुक्तियों को सेवा का आवश्यक अंग बना दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों से कम से कम दूसरे प्रदेश में 5 वर्ष अनिवार्य सेवा अपेक्षित होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रादेशिक संकीर्णता में स्वतः कमी होगी। विभिन्न प्रदेशों की भाषा, संस्कृति एवं खानपान का विनिमय अपने आप होगा और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता पुष्ट होगी।

नैतिक आचरण: भ्रष्टाचार के पीछे जीवन व समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास बड़ा महत्वपूर्ण कारण हुआ करता है। किसी भी सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए कुछ आवश्यक एवं अपरिहार्य नैतिक मूल्यों एवं मानदंडों की स्थापना आवश्यक होती है। बिना इसके प्रगति स्थायी नहीं रह पाती। इतिहास इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है—चूंकि राजनीति किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता व समाज का नियामक तत्व है, इसलिए राजनीति में अनैतिक आचरण व्याप्त होने पर समाज के सभी अंगों में कैंसर की तरह भ्रष्टाचार का विष फैल जाता है। शायद इसलिए प्लेटो ने दार्शनिक राजनेता की कल्पना की थी जो जनता के लिए अनुसर-[illegible] रहे। [illegible] संघ-राज्यों के परिचालन में नैतिक आचरण, अपरिहार्य हो जाता है। राजनीति से संबंधित व्यक्तियों के जीवन में सादगी, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं दूरदृष्टि अनिवार्य गुण होने चाहिए। इससे जनता में आत्मविश्वास तथा देश समाज के प्रति निष्ठा जाग्रत होती है जो राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य शर्त होती है।

अतः ऐसे ही कुछ अछूते प्रश्नों पर फिर से विचार कर उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। जैसा पहले कहा चुका है कि एकता का प्रश्न सामूहिक प्रयास का है लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेदारियां कुछ अधिक ही हैं। ऐसी आशा की जाती है कि कार्यसमिति की एकता संबंधी योजनाओं को निष्ठा एवं संयम पूर्वक लागू करने से राष्ट्रीय एकता को एक नई शक्ति मिलेगी। एकता में ही हमारे देश की उन्नति, और सुरक्षा का अस्तित्व है।

शिवाजी कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय,
रिंगरोड, नई दिल्ली

अभियान हमारा

घर में होंगे जब कम बच्चे मात-पिता का भार घटेगा।
अधरों पर मुस्कान खिलेगी सन्तानों पर प्यार बढ़ेगा।
अच्छा भोजन, ऊंची शिक्षा ले पाएंगे देश के बच्चे
बच्चों का व्यक्तित्व बनेगा कहलाएंगे मानव अच्छे
जनता के मन को हरषाएं है दिल का अरमान हमारा
जन-जन का उत्थान करेगा नसबन्दी अभियान हमारा।

हरिओम निकेतन
कस्बा जेवर (बुलन्दशहर)

सारे देश की एक ही आस देहातों का हो विकास

ओमप्रकाश 'मतवाला'

टेक्नोलाजी गांवों की ओर ※ विश्वम्भर प्रसाद

अभी तक हमारी सारी टेक्नोलाजी अधिकतर पश्चिम की नकल ही रही है। इसका बुरा नतीजा हमारे सामने है। कीटनाशी दवाओं और रासायनिक खादों का बुरा असर तो गांव के अनपढ़ किसान भी अनुभव करने लगे हैं। खानों की धूल और धुएं से दिल और दिमाग के रोगों और तपेदिक का गहरा सम्बन्ध है। पेट्रोल-पम्पों पर काम करने वालों पर पेट्रोल-वाष्प में मौजूद बेंजीन का बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए प्रयोग से, खाद्य-पदार्थों में मिलावट से और बड़े-बड़े उद्योगों से निकले अपशिष्ट (वेस्ट) से हमारी तन्दुरुस्ती पर कैसा घातक प्रभाव पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। शहर कूड़ा-घर बन रहे हैं। शहरी सभ्यता का आनन्द उठाने वाले तो इने-गिने ही होंगे, ज्यादातर लोग तो बीमार, कमजोर, असहाय और विकलांग ही दिखाई पड़ते हैं। फिर भी इस शहरी सभ्यता की चकाचौंध हमारे ग्रामवासियों को उसी प्रकार आकर्षित करती है जैसे मोमबत्ती पतिंगों को लुभाती है और वे बेचारे शहरों में जाकर अपना स्वास्थ्य और संस्कृति सभी गंवाते जा रहे हैं।

गांवों से शहरों की ओर भारी संख्या में लोगों के आने का कारण है गांवों का पिछड़ापन, वहां जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। यह चिन्ता का विषय है। राष्ट्र-पिता बापू ने कहा था "यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा; भारत फिर भारत न रहेगा; संसार में उसका लक्ष्य ही खो जाएगा।" भारत-माता ग्रामवासिनी है। यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। देश की आय का लगभग आधा भाग वही जुटाती है। इसलिए गांवों को नष्ट होने से बचाना बहुत जरूरी है। पिछले साल स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की बैठक में प्रधानमन्त्री ने भी यही सलाह दी थी कि शहरी समस्याएं शैतान की तरह बढ़ रही हैं; इन्हें समाप्त करने के लिए हमें गांवों की ओर जाना होगा, क्योंकि इन की जड़ें वहीं हैं।

सरकार ने पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कई आर्थिक और औद्योगिक कार्यक्रम तैयार किए हैं। किन्तु ये कार्यक्रम भी बहुधा शहरों में या उनके इर्द-गिर्द केन्द्रित होते जा रहे हैं। फल होता है वही शून्य। गांवों को नगर बनाने से नहीं, बल्कि रहने योग्य गांव ही बनाने से समस्याएं हल होंगी। शहरों की भी बहुत-सी समस्याएं इसी से हल होंगी। हमारी शिक्षा-संस्थाओं पर, शोध-संस्थाओं पर, शोध के फलस्वरूप नई तकनीकें विकसित करने पर जितना खर्च हो रहा है, उसका लाभ गांवों को नहीं मिल रहा। कृषि-विद्यालय भी शहरों में हैं। जो विद्यालय शहरों से दूर बने, वहां भी धीरे-धीरे शहर बस गए। आदर्श ही हमने शहर बनाने और शहरी सभ्यता फैलाने का रखा। फल यह हुआ कि वहां पढ़ने वाले देहात में, खेतों में काम करने के बजाए नौकरी ढूंढते रहते हैं। सच बात तो यह है कि जब देश की आत्मा गांव में रहती है, देश की आधी आय भी गांवों से ही प्राप्त होती है, तो देश की सभी संस्थाओं, सभी शोध-शालाओं, सभी उद्योगों, विद्यालयों आदि में जो कुछ भी होता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं तो कम से कम आधा यह होना चाहिए कि किस प्रकार गांवों का सुधार हो, किस प्रकार उनके कार्य-कलाप से ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊंचा हो। हमारी सारी तकनीकें ग्रामोन्मुखी (विलेज-आरियंटेड) होनी चाहिएं। औद्योगीकरण की दिशा भी ग्रामोन्मुखी होनी चाहिए। भारत को भारत बनाए रखने का यही एकमात्र मार्ग है।

इस ग्रामोन्मुखी तकनीक का स्वरूप क्या हो, इस पर भी कुछ विचार करना है। भारत में जन-शक्ति की कमी नहीं है। किसान में श्रम और व्यावहारिक बुद्धि का अभाव नहीं है। हमारी खेती का इतिहास अधिक नहीं तो कम से कम दस हजार साल पुराना है। यह संसार का सबसे पुराना उद्योग है; और हमारा किसान इस उद्योग का मैनेजर है, जिसे हजारों साल का अनुभव है। सन् 1930 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कृषि-विभाग के अध्यक्ष पद से श्री जी० क्लार्क ने घोषणा की थी, "जब हम तथ्यों को देखते हैं, तब हमें भारत के किसान संसार के सभी किसानों से अच्छे मालूम होते हैं। वे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। इस प्रकार वे कनाडा के किसानों से अधिक कुशल हैं। उन्हें बरसाती पानी से बहुत कम नाइट्रोजन मिल पाता है, फिर भी उत्तर प्रदेश में वे सिंचाई द्वारा उतना ही गेहूं पैदा कर लेते हैं, जितना कनाडा के औसत किसान।" भूमि-रसायन के प्रसिद्ध विद्वान जे० ए० वोएलकर ने अपनी पुस्तक 'भारतीय कृषि में सुधार' में लिखा है, "यदि वे सब बातें ध्यान में रखी जाएं, खासकर वे दशाएं जिनमें भारतीय फसलें उगाई जाती हैं, तो भारतीय किसान उत्तम सिद्ध होता है। ऐसी मेरी धारणा है। भारतीय किसान कुछ मामलों में उतना ही श्रेष्ठ है जितना ब्रिटेन का मध्यम किसान और किन्हीं-किन्हीं मामलों में तो वह उससे भी श्रेष्ठ है।"

अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत की स्थिति पश्चिमी देशों से भिन्न है। यहां की समस्याओं के लिए पश्चिमी इलाज उपयुक्त नहीं हो सकता। हमें भारतीय परम्पराओं का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, जो बड़ी-बड़ी बातों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई के छोटे-छोटे साधन—कुएं, तालाब आदि उपेक्षित न रहें, पशुधन को उपयुक्त महत्व दिया जाए, हमारा ध्यान ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं बनाने या बड़े-बड़े नगर बसाने की ओर से हटकर देहात की ओर जाए, गांवों की दशा सुधरे,

किसानों को केवल मतदाता बनने का अधिकार ही नहीं, कुछ उन सुविधाओं का हक भी मिले जो नई-नई चीजें और नई-नई तकनीकें उन्हें दे सकती हैं। यहां मशीनीकरण और स्वचालन के बजाए हमारी मीठी, सरल और सादी तथा स्थानीय पद्धतियों का प्रयोग बढ़े, स्थानीय औजारों में सुधार हो, कुटीर-उद्योग के माल की क्वालिटी पर नियन्त्रण हो, जन-शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो, तो ये गांव ही स्वर्ग बन जाएं, देश की आत्मनिर्भरता बढ़े और बेकारी दूर हो।

हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-भाषण में सन् 1974 में अणु-शक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० एच० एन० सेठना ने ठीक ही कहा था कि हमें मिट्टी और लकड़ी के मकान बनाने की बात फिर सोचनी होगी। उन्होंने भारत की परंपरागत बैलगाड़ी के गुणों पर विचार करके उसमें सुधार करने का सुझाव भी दिया था। हर्ष का विषय है कि बंगलौर में इस सम्बन्ध में कुछ काम हो रहा है। किन्तु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का ध्यान इस ओर तीस-चालीस साल पहले गया था, फिर भी अभी तक विशेष महत्वपूर्ण परिणाम सामने नहीं आए और जो कुछ फल निकला भी, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हुआ, यह खेद का विषय है। शायद इसका कारण भी यही है कि हम पश्चिम की नकल करके औद्योगीकरण की अपनी दिशा ही गांवों की ओर से दूर शहरों की ओर मोड़ बैठे, और बैल-गाड़ी के बजाए अपनी सारी शक्ति ट्रक और मोटर बनाने-चलाने में लगाए रहे। यह दिशा अब फिर पलटनी होगी।

भारत के राष्ट्रपति ने भी दिसम्बर 1975 में इंस्टिटयूट आफ इंजीनियर्स के दिल्ली केन्द्र के वार्षिक अधिवेशन में संकट की चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि "विज्ञान और तकनीक का दोहन व्यापक जन-कल्याण के लिए होना है। मैं मानता हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा विश्वास करता हूं कि तकनीकी विकास ही हमारी राष्ट्रीय प्रगति का मूल मन्त्र है। हम गरीबी हटाने और जन-सामान्य का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने में तभी सफल हो सकते हैं जब इन्जीनियरी और तकनीकी कौशल और क्षमता का उपयोग जन-सामान्य के लिए लाभदायक परिणाम प्राप्त करने में हो।" इसके बाद जनवरी 1976 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 63वें अधिवेशन में प्रधानमन्त्री ने फिर जोर दिया कि भारतीय विज्ञान का ज्यादा लाभ देहात को मिलना चाहिए और देहात का जीवन इतना सम्पन्न होना चाहिए कि लोग शहरों की ओर न भागें। उन्होंने भी प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों को गांवों के अधिक करीब आने की आवश्यकता बताई। उस अधिवेशन के अध्यक्ष प्रो० एम० एस० स्वामीनाथन ने भी कहा कि भारत को उन अन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए जो बड़ी तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़े थे और अब पछता रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय विद्या-भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति जी ने फिर जोर देकर कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों की तरह औद्योगीकरण और नगरीय सभ्यता के दौर से गुजर रहा है; उसे आंख मूंदकर पश्चिम की नकल न करनी चाहिए, जहां भौतिक सुख तो बहुत है मगर मानसिक सुख-शान्ति बिलकुल नहीं।

संसार की अनेक असफलताओं का कारण यह है कि उसके विकास का माडल ही गलत बना है। इस सदी के आरम्भ में हमारी पृथ्वी एक ग्रामीण रूप धारण किए थी; किन्तु हम देख रहे हैं कि सदी के अन्त तक इसे बहुत-कुछ शहरी रूप मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार सन् 2000 ई० तक आधी दुनिया नगर-वासिनी होगी; और दो-तिहाई नगरवासी विकासशील देशों के होंगे। भारत के भी महानगरों में यह देखा गया है कि एक समस्या का हल मिला, तो उससे ही दो नई पैदा हो गईं। पश्चिम की अन्धा-धुंध नकल का ही यह परिणाम है कि हम समस्याओं से जूझते ही जूझते जीवन बिता देते हैं, जीवन का कुछ आनन्द नहीं उठा पाते। हम रोजी-रोटी की व्यवस्था-चिन्ता में ही दिन-रात बिता देते हैं, फिर भी सब को दो जून का भोजन नहीं जुटा पाते। कुछ नई-नई सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश में हम प्रकृति से मिली हुई सुविधाएं भी गंवाते जा रहे हैं। पूर्व को पश्चिम बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जो सरासर गलत हैं।

वास्तव में विकास का यह नमूना ही बदलने की जरूरत है और उसका एक मात्र तरीका है ग्रामोन्मुखी तकनीक अपनाना और उसके कार्यान्वयन का भार तकनीशियनों को सौंपना। हमारा कार्य-क्षेत्र कुछ नगरों में नहीं, बल्कि देश भर में फैले हुए गांवों में होना चाहिए। हमारा ग्रामीण केवल गिनती की इकाई नहीं, राष्ट्र का एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण इकाई हो, तभी हमारा जन-कल्याणकारी लोकतन्त्र आदर्श बनेगा।

62-सी, बंगला साहिब मार्ग,
नई दिल्ली-110001

★

नवःनिर्मित नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के मन्त्री सैयद मीर कासिम उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने के लिए इस आन्दोलन में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल देकर समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं। उपभोक्ता सहकारियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का राजधानी में उद्‌घाटन करते हुए उन्होंने दो बातों की तरफ इशारा किया जिन पर तत्काल ही ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर जनता की समुचित सेवा और वितरण की लागत में कमी तथा जो भी लाभ हो उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। हमारे राष्ट्र में आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने की व्यवस्था में उपभोक्ता सहकारियों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इनका महत्व अभी पिछले कुछ महीनों से 14,275 बुनियादी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की लगभग 2,500 शाखाएं हैं। 424 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार हैं। इनकी लगभग 2,400 शाखाओं में 175 विभागीय भण्डार हैं। 14 राज्य स्तर के उपभोक्ता सहकारी संघ हैं और इन सबके ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ हैं। लगभग 45 लाख परिवार या 20% शहरी जनता 17,000 उपभोक्ता सहकारियों की खुदरा दुकानों से माल प्राप्त करती है। गांवों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण 51,400 गांवों की सेवा सहकारी समितियों और 1,680 प्राथमिक विपणन समितियों द्वारा होता है।

पूरे देश के उपभोक्ता वस्तुओं के कुल व्यापार की वार्षिक खुदरा बिक्री लगभग 16,000 करोड़ रुपए की होती है, इसमें 900 करोड़ रुपए की वार्षिक बिक्री सहकारी भण्डारों द्वारा होती है। इस तरह सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का कारी कांग्रेस के उद्‌घाटन समारोह में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात का जिक्र किया और पूरे ढांचे के पुनर्गठन और उसे सरल और कारगर बनाने पर बल दिया ताकि अनावश्यक स्तरों को समाप्त कर शक्तिशाली एवं कुशल पद्धति का विकास किया जा सके जिससे छोटे उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। हाल में उपभोक्ता सहकारिता पर हुआ अखिल भारतीय सम्मेलन उसी की एक कड़ी थी।

सम्मेलन के सुझावों में से एक सुझाव सहकारी उपभोक्ताओं की व्यवस्था पद्धति से सम्बन्धित था। यह सुझाव नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय द्वारा किया गया था। इस सुझाव के अनुसार चार स्तर वाले शहरी उपभोक्ता सहकारी ढांचे के स्थान पर दो स्तर वाले ढांचे का विकास किया

आर्थिक व्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

बढ़ गया है, खासतौर पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और उसके अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के लागू होने से।

पिछले वर्ष जुलाई में प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम ने उपभोक्ता सहकारियों को तीन बड़े काम सौंपे हैं। वे निम्नलिखित हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना, जनसाधारण की कपड़े और आवश्यक वस्तुओं की जरूरत को पूरा करने के लिए वितरण की सुचारू व्यवस्था करना, जिसमें पुस्तकें और अन्य लेखन सामग्री विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराना भी शामिल है।

उपभोक्ता सहकारियों का आज देश भर में जाल फैला हुआ है। ये सहकारियां चार स्तर में हैं। इनमें बहुत सी शहरी इलाकों में हैं, खासतौर पर ऐसे कस्बों में जिनकी आबादी 50,000 या इससे अधिक है। इस ढांचे के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के पूरे व्यापार में 5% हिस्सा बनता है।

इसलिए सरकार सहकारी भण्डारों के विकास पर जो जोर दे रही है वह

एन० रामचन्द्रन

समीचीन है। इनका विकास सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के उन साधनों के रूप में करना है जो कीमतों को बढ़ने से रोक सकें और उपभोक्ताओं तक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर पहुंचा सकें।

उपभोक्ता सहकारियों का जो ढांचा पिछले 14 वर्षों में पनपा है वह चार स्तरों वाला ढांचा है जिसमें कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है। इस वर्ष के प्रारम्भ में हुए सातवें भारतीय सहजाए, जिनमें से एक स्तर थोक माल बेचने वालों का हो और दूसरा खुदरा माल बेचने वालों का।

दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या सम्मेलन के सम्मुख थी, वह थी खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली औषधियां और दवाइयां तथा सामान्य उपभोग की वस्तुओं, खासतौर पर घरेलू बिजली के सामान का घटिया स्तर का होना। एक सहकारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खरीदार गलत माप तौल के कारण एक वर्ष में 1,600 करोड़ रुपए तक ठगा जाता है। इसके अलावा, वस्तुओं का गलत विवरण देकर और गलत चिह्न लगाकर चीजों को बेचकर भी उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। यह बात सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा कानून पास कर देने या कोई अन्य तरीका अपनाने से स्थिति में सुधार करना सम्भव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपभोक्ता में जाग-

[illegible] पैदा की जाए और उसे ही इसे लिखकर बताना चाहिए। इस सन्दर्भ में उपभोक्ता संस्थाओं की भूमिका, जैसाकि सम्मेलन में कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण है।

उपभोक्ता सहकारी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं काफी योगदान दे सकती हैं। बिना महिलाओं के सहयोग के यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। इस का कारण मात्र यही नहीं है कि महिलाएं जनता का एक हिस्सा हैं बल्कि वह घर के बजट को नियन्त्रित करती हैं और यह निर्णय लेती हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। सम्मेलन में इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर परिषद् तथा सुझाव समितियां बनाने की सलाह दी गई जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं को उपभोक्ता सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाए।

सम्मेलन में यह बात भी उठाई गई कि उपभोक्ता सहकारियों के पास विद्यार्थियों के छात्रावास, विश्वविद्यालय तथा कालेज ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं को पहुंचाने का काम वह कर सकती हैं। अप्रैल, 1975 में, तत्कालीन नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ने शिक्षा मन्त्रालय के साथ सलाह करके सभी राज्य सरकारों को देश के चुने हुए 43 शहरों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को पहुंचाने का प्रबन्ध करने के लिए कहा। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद ही इस योजना को सभी शहरों और कस्बों, जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक थी, के विद्यार्थियों के छात्रावास, विश्वविद्यालय तथा कालेजों में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी भण्डार छात्रावासों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, मसाले, वनस्पति और अन्य खाने की वस्तुएं, तेल, चाय, काफी, साबुन, डबल रोटी, अण्डे, नियन्त्रित दर का कपड़ा, नमक, बुने हुए कपड़े, साइकिल टायर-ट्यूब, कागज तथा लिखने का अन्य सामान (जिसमें कापियां भी सम्मिलित हैं) और बैटरी के सैल पहुंचा रहे हैं। पिछले माह के अन्त तक आवश्यक वस्तुएं 4,000 छात्रावासों तक पहुंचाई गईं जिनसे तीन लाख 40 हजार विद्यार्थियों को लाभ हुआ। लगभग 340 उपभोक्ता सहकारी भण्डार और कुछ विपणन समितियां विद्यार्थियों के छात्रावासों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रही हैं। जुलाई, 1975 से मई 1976 के अन्त तक जितनी वस्तुएं छात्रावासों इत्यादि में पहुंचाई गईं उनका मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपए है।

राज्य सरकारें, जैसा कि उन्हें केन्द्र द्वारा सुझाव दिया गया है, पूरी कोशिश कर रही हैं कि विद्यार्थियों के खाने-पीने का खर्च कम हो जाए। सहकारियों को विद्यार्थियों के छात्रावासों में जरूरत की सभी आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है।

एक सक्रिय मूल्य नीति बनाकर उसे पूरी क्षमता से लागू करने की आवश्यकता है। आवश्यक वस्तुओं के सन्दर्भ में, जैसा कि सम्मेलन में कहा गया, उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य मूल्यों में अनुमानित उतार-चढ़ाव पर रोक लगाना होना चाहिए। वह एक चुनौती भरा काम है। वे ऐसे सामान, जिनमें किसी में अधिक और किसी में कम लाभ है, को बेचकर कमी को पूरा कर सकती हैं। बहुत जरूरी वस्तुओं के लिए हुए कम लाभ को इस भांति की मिलीजुली बिक्री और अधिक बिक्री के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कम आवश्यक और आराम की वस्तुओं तथा अधिक टिकाऊ वस्तुओं पर अधिक लाभ रखा जा सकता है। इस भांति सहकारी उपभोक्ता अपनी सारी खरीद पर अन्त में लाभ उठा सकते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद से इन सब बातों को तत्काल लागू कर देने की योजना है। नागरिक पूर्ति और सहकारिता का नया मन्त्रालय एक सक्रिय, व्यवहार्य सहकारी उपभोक्ता ढांचे का निर्माण करने की पूर्व सूचना है जो कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का अभिन्न अंग होगा।

★

उपलब्धि ★

'भैया'
बीस सूत्री कार्यक्रम से
क्या पाया तू ने ?
एक खेतिहर मजदूर से
एक दिन पूछा मैंने।
उत्तर में कहा उसने,
"थी न गांव में मढ़ैया
न हार में हरैया
थे फिर भी देने
दो हजार रुपैया
करता रहा जनम भर चाकरी
फिर भी न चुके रुपैया
उलटे हो गए पांच सौ के
दो हजार रुपैया।'
पूछा मैंने, 'भैया"।
कब लिए थे तुमने
पांच सौ रुपैया ?
'मैंने नहीं लिया कभी एक छदाम
बोला वह, सुनो भैया
महाराज
बाप के मरने पर निकले थे
पांच सौ रुपैया।
उन्होंने भी नहीं लिया था छदाम
किया काम जनम भर
उनके बाप के मरने पर
निकले थे पचास रुपैया।
उन्हीं पचास के हो गए
पांच सौ भैया।
लेकिन इन्दिरा जी की कृपा से अब,
बन गई गांव में मढ़ैया
मिल गई हार में हरैया
चुक गए पूरे रुपैया
थे हम जिसके चाकर
देख नहीं सकते थे
उसकी ओर आंख उठाकर
आज मिलाते हैं आंख में आंख
वे कहते नहीं हमको कलुआ
कहते हैं कालूराम भैया।

❋

ग्रामीण-विकास में उद्योगों का योगदान ★ आई० जे० नायडू*

उद्योग और कृषि की यह बात पूरे तौर पर मान ली गई है कि एक दूसरे पर निर्भर है। अत सामान्य ग्रामीण क्षेत्र का तथा विशेषतः कृषि का विकास उद्योग, व्यापारिक संस्थानों, तथा बैंकों के लिए विचार का विषय उतना हीं है, जितना कि सरकार के लिए।

किसी औद्योगिक, व्यापारिक या बैंकिंग संस्थानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के हेतु प्रोत्साहन या प्रेरणा के न होते हुए भी यह जानकर प्रसन्नता होती है कि उपर्युक्त प्रकार के अनेक संस्थानों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण-विकास, परियोजनाएं आरंभ कर दी है। परन्तु, फिर भी जब हम यह महसूस करते हैं कि भारत में साढ़े पांच लाख गांव हैं, तब इतने बड़े क्षेत्र को विकास के दायरे में शामिल करने हेतु प्रयत्नों में कई गुना वृद्धि आवश्यक हो जाती है।

यह स्मरण कर प्रसन्नता और सन्तोष होता है कि खासतौर से गत वर्ष ग्रामीण विकास में उद्योगों के सक्रिय सहयोग के प्रश्न पर विभिन्न गोष्ठियों में विचार-विमर्श हुए। केन्द्रिय कृषि तथा सिंचाई मंत्री ग्रामीण विकास के कठिन काम में औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा अधिक सार्थक योगदान पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास का यह कार्य-क्रम बहुत आवश्यक है और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री के बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सन्दर्भ में तो इस कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है।

अपने कार्यक्रमों का आधार अधिक व्यापक बनाने और बड़े क्षेत्रों में फैलाव करने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य-योजना पर विचार किया जा सकता है :—

1. कोई उद्योग उचित तकनीक विकसित करने में अपनी विशेष जानकारी उपलब्ध करा सकता है, जिसका उपयोग ग्रामों में छोटे तौर पर सीमान्त किसान कर सकते हैं।
2. एक विशेष सेवा, जैसे, ग्राम-विद्यालय, औषधालय अथवा अस्पताल, पंचायत गृह, बाल-वाड़ी, सम्पर्क रोड भूमिविकास तथा छोटी सिंचाई आदि के विकास तथा सुधार में गांवोंको सहायता प्रदान कराना।
3. एक या एक से अधिक ग्रामों का चुनाव कर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार समन्वित आधार पर समस्त सेवाओं के विकास का प्रयत्न करना।
4. गन्ना, तम्बाकू, कपास आदि जैसी किसी फसल को बढावा देने और उसकी किस्म में सुधार लाने में सहायता देना अथवा दूध की सप्लाई में सुधार लाना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित अथवा दूसरे सहायक उद्योगों का विकास करना, जिससे उन क्षेत्रों में सार्थक रोजगार दिया जा सके और साथ ही बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी की चुनौती का सामना किया जा सके।
6. गांवों में सामाजिक कल्याण उपायों की व्यवस्था करना, जिससे अधिक उद्योग, श्रम-शक्ति तथा कच्चा माल प्राप्त किया जा सकें।
7. कृषि-विस्तार तथा ग्रामीण विकास की मार्गदर्शी परियोजनाओं की स्थापना करना और बाद में दूसरे क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ाना आदि।

यह एक पारस्परिक लाभ की बात होगी यदि उद्योगों द्वारा किए जाने वाले ग्रामीण विकास एवं कृषि-संबंधी विकास के प्रयत्नों को समस्त ग्रामीण भारत में होने वाले ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए। लघु किसान और सीमान्त किसानों की योजनाओं में ही भारत सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है, ताकि राज्य सरकारों के प्रयत्नों को पूर्ण किया जा सके। सौ ग्रामों के प्रत्येक समुदाय में एक विकास खण्ड दल की व्यवस्था की गई है। इसकी देख-रेख विकास खण्ड पंचायत समिति करती है और विस्तार अधिकारी ग्राम-सेवक, ग्राम-पंचायतें, सहकारी समितियां, महिला मंडल तथा युवक मंडल इसकी सहायता करते हैं।

इसी प्रकार ऐसे प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य उपकेन्द्र होते हैं। चुने हुए क्षेत्रों जैसे सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों, कबायली तथा पहाड़ी क्षेत्रों म विशेष कार्य-क्रम चालू हैं ताकि इन क्षेत्रों की आवश्यताएं पूरी की जा सकें। छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि-मजदूरों, औरतों, बच्चों आदि के लिए विशेष एजेंसियों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था है, जिनके संचालन में पर्याप्त लचीलापन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों, कार्य करने वाले उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को विकास के हेतु खड़े किये गये ढांचे का सहयोग प्राप्त होगा। केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारी एजेन्सियों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे सब तरह से अपना सहयोग प्रदान करें। यह एक अच्छी बात होगी यदि उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के कार्य-क्रमों और सरकारी कार्यक्रमों का अच्छा तालमेल हो। सरकारी एजेन्सियों के संगठनात्मक ढांचे में अथवा ग्रामीण विकास के साथ सहयोग करने में बड़े उद्योग धंधे प्रबन्धकीय योग्यता तथा तकनीक को विशेष जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हम भी उद्योगों को

शेष पृष्ठ 22 पर]

*सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्रीय विभाग

युवक और राष्ट्रीय विकास

श्री शंकर घोष

भारत की शिक्षा प्रणाली इस समय विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से है। इस समय देश में लगभग 10 करोड़ विद्यार्थी हैं और पांचवीं योजना के अन्त तक यह संख्या 11 से 11.5 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। 1973-74 में विश्वविद्यालय स्तर की की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जहां 30 लाख थी, वह 1978-78 में बढ़कर लगभग 46 लाख 50 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा देश के सामने रखा गया राष्ट्र निर्माण का कार्य कृषि का आधुनिकीकरण करने और द्रुत उद्योगीकरण के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षा का विस्तार किए जाने और विज्ञान व प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से ही पूरा किया जा सकता है। आजकल विज्ञान की शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का भी काफी विस्तार किया गया है। इस दिशा में परिवर्तन की गति कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा तेज़ है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर इस क्षेत्र में काफी सुधार दिखाई पड़ता है। इस दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयत्नों की सफलता हमारे विद्यार्थियों व अध्यापकों की निष्ठा पर निर्भर करती है।

राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक उत्थान में विद्यार्थियों को आज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 1971 में की गई जनगणना पर नजर डालने से पता चलता है कि हमारे देश में 25 वर्ष से कम आयु के युवकों का ही आधिक्य है। देश की 54.5 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 32 करोड़ व्यक्ति 25 वर्ष से कम उम्र के थे। अपने देश के उत्साह से परिपूर्ण और जोश से पुलकित होते इन्हीं युवकों को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में अनेक रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। देश में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया है। 1969 में इस कार्यक्रम में 40,000 विद्यार्थी भाग ले रहे थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख तक पहुंच गई है। 1978-79 तक इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों और कालेजों के लगभग 3.3 लाख विद्यार्थियों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है।

श्री संजय गांधी द्वारा आरम्भ किए गए पांच सूत्री कार्यक्रम ने भी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया है। निरक्षरता दूर करने, सफाई रखने, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा को समाप्त करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने जैसे साधारण परन्तु महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यक्रमों को लागू किए जाने से देश तेज गति से प्रगति की राह पर बढ़ सकेगा। इन कार्यक्रमों को आम जनता आसानी से समझ सकती है और इन्हें लागू करने से प्रभावशाली परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए युवकों की निष्ठा की आवश्यकता है और यही कारण है कि इन कार्यक्रमों ने उनकी रचनात्मकशीलता को अपनी ओर आकर्षित किया हैं।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम ने योजना के उन तत्वों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जिनका दुहरा उद्देश्य उत्पादन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने और आपातकालीन स्थिति से बने अनुशासन और कुशलता के वातावरण से आर्थिक क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास हुआ है। इसके परिणाम सब के सामने हैं। अनाज का उत्पादन जो 11 करोड़ 80 लाख टन था, सर्वाधिक रहा। बिजली संयंत्रों के परिचालन और कोयला, इस्पात व उर्वरकों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वास्तविकता तो यह है कि अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में तो हमें कमी के स्थान पर अधिक उत्पादन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तेल के मोर्चे पर भी देश को बड़ी सफलताएं मिली हैं। बम्बई हाई की तेल क्षमता का पता लगाया जा चुका है और व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ किया जा रहा है। देश में मुद्रास्फीति को रोकने और निर्यात वृद्धि के लिए किए गए ठोस प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 1975-76 के दौरान निर्यात में 18 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा के भंडार में हुई वृद्धि भी स्वागत योग्य है।

पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देना इस बात का पक्का प्रमाण है कि देश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और देश तेजी से विकास के लिए तैयार हैं।

योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, आर्थिक मंदी के क्या परिणाम होते हैं या आर्थिक उन्नति के द्वारा जनता को, उनके परिवारों को और कुल मिलाकर देश को क्या-क्या लाभ मिलते हैं, यदि छात्र इन बातों को पहले स्वयं समझें और फिर जनता को साधारण शब्दों में इन्हें समझाएं तो देश के सामने पड़ा काम काफी सीमा तक आसान हो जाएगा। योजना कोई ऐसा गूढ़ विषय नही है जो विशेषज्ञों तक ही सीमित रहना चाहिए।

[शेष पृष्ठ 20 पर]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण-कार्यक्रम

हमारे देश की जनगणना 1971 के अनुसार देश भर में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 8 करोड़ है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 3.8 करोड़ है। इस प्रकार से मोटे तौर पर इनकी कुल मिलाकर जनसंख्या 12 करोड़ है, जो कुल आबादी का 22 प्रतिशत हैं। यह आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इन्हें अब बहुत दिनों तक आर्थिक और शैक्षिक रूप से उपेक्षित नहीं रखा जा सकता है।

अनुसूचित जाति की समस्या की जड़ पीढ़ियों से चली आ रही छूआछूत की परम्परा है। केन्द्र ने हाल में अस्पृश्यता (अपराध), अधिनियम 1955 का संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम में, जिसे अब नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, छूआछूत के अपराध के लिए अधिक कठोर सजा की व्यवस्था की गई है। छुआछूत सम्बन्धी सभी अपराध हस्तक्षेप योग्य हैं। अब ये अपराध गैर-राजीनामा वाले अपराध माने जाएंगे। जिन अपराधों के लिए तीन महीने से अधिक की सजा नहीं होगी उनका शीघ्र ही निपटान कर दिया जाएगा। पहले अपराध के लिए न्यूनतम सजा एक महीने की और जुर्माना 100 रु० का तथा अधिकतम सजा 6 महीने की तथा जुर्माना 500 रु0 तक का होगा। दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम सजा 6 महीने की तथा 200 रु० जुर्माना तथा अधिकतम सजा एक साल की तथा 500 रु० का जुर्माना। तीसरी बार तथा उसके बाद अपराध करने पर एक साल से लेकर दो साल तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माना 500 रु० से लेकर हजार रु० के बीच हो सकता है।

इस नियम को कड़ाई से लागू करने के बारे में सरकार वर्तमान व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसके अलावा, लोगों के मन से छुआछूत की भावना को समाप्त करने पर भी उपयुक्त कदम उठाने पर भी विचार किया जा रहा है।

निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में उपरोक्त दोनों वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7.08 करोड़ रु०, दूसरी योजना में 27.48 करोड़ रु० तीसरी योजना में 37.78 करोड़ रु०, 1966 से 1969 के बीच कुल 67.50 करोड़ रु० खर्च किए गए। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए इस अवधि में खर्च की गई राशि क्रमशः इस प्रकार है:- 19.83 करोड़ रु० 42.92 करोड़ रु०, 51.05 करोड़ रु०; 34.54 करोड़ रु० और 84.20 करोड़ रु०।

पांचवी योजना के दौरान अनुसूचित जाति के लिए 208.12 करोड़ रु० और अनुसूचित जनजाति के लिए 118.86 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, उनमें से एक है - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की योजना। दसवीं की परीक्षा के बाद कालेज में पढ़ाई के लिए सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के हकदार हैं, बशर्ते उनके अभिभावक माता-पिता की वार्षिक आय 9,000 रु० से अधिक न 26.47 करोड़ रु० तथा चौथी योजना में हो। 1975-76 में इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4 लाख थी, जबकि 1969-70 में यह संख्या सिर्फ 1.78 लाख थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लगभग पांच वर्षों में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो गई है।

संघ लोकसेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जैसे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परिक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सफल हो सकें इसके लिए भारत सरकार इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन भी करती है। अभी तक इसके लिए दिल्ली, इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर और शिलांग में अखिल भारतीय केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए अब तक इन केन्द्रों में प्रशिक्षित 450 उम्मीदवार चुने जा चुके हैं।

इस समय राज्य असैनिक सेवा के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित 11 राज्यों में हैं:—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य असैनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब सरकार इस योजना के विस्तार की योजना बना रही है जिससे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपरोक्त दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके।

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घूमन्तू जाति और अर्ध घूमन्तू जाति तथा उच्च अध्ययन के लिए इच्छुक गरीब वर्ग के छात्रों को विदेशों के विश्वविद्यालयों में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजती रही है।

इस योजना के अन्तर्गत 1954-55 से 1975-76 के बीच 218 छात्र विदेशों में अध्ययन के लिए भेजे जा चुके हैं। इस वर्ष विदेश में अध्ययन के लिए इन वर्गों में से 18 छात्र चुने गए हैं।

राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता, उनकी प्रगति के लिए

योजनाएं, स्वास्थ्य, आवास, पीने के पानी, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास, जैसे सिंचाई, खेती, लघु उद्योगों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम-बंगाल में वित्त निगम स्थापित किए गए हैं।

भूमि वितरण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी भूमि प्राप्त हो। प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम भूमि सीमा के पुराने नियम के अनुसार लगभग 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भूमि मिल चुकी है और अधिकतम भूमि के नए कानून से लगभग 2 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन देने का काम भी शुरू किया गया है। अब तक 70 लाख भूमिहीन मजदूरों, जिसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, को मकान बनाने के लिए भूमि दी जा चुकी है। कर्नाटक आंध्र-प्रदेश, राजस्थान और तामिलनाडु में आवास निगम की स्थापनाएं की गईं हैं और केरल ने मकान निर्माण का बृहत् कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकारी सेवाओं में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और साढ़े सात प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्थान-आरक्षण का यह नियम प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति वाले पदों, दोनों ही में लागू होता है। यह नियम काफी सफल रहा है और अब सरकारी नौकरी में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग काम कर रहे हैं। 1964 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षित सभी स्थानों में इन्हीं वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, वह है अनुसूचित जनजातीय समस्या की ओर नया दृष्टिकोण। अनुसूचित जाति के लोगों से नितान्त विपरीत अनुसूचित जनजाति के लोग कुछ विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पांचवीं योजना के दौरान 50 या 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति के आबादी वाले क्षेत्रों को उपयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र 16 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में घोषित किए गए हैं। इस उप-योजना वाले घोषित क्षेत्रों के लिए सरकार वहां के विकास की पूर्ण व्यवस्था करती है। यह पहला मौका है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में विकास-कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें उचित निर्देश देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पांचवी योजना में इन क्षेत्रों में 1450 करोड़ रु० लगाने का अनुमान है। इसमें 1000 करोड़ रु० राज्य योजनाओं, 200 करोड़ रु० विशेष केन्द्रीय सहायता और 250 करोड़ रु० केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों और संस्थानों के लिए दिए जाएंगे।

सम्पूर्ण उप-योजना क्षेत्रों को समन्वित विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। उप-योजना के समान विकास परियोजना भी इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों के सम्पूर्ण प्रयत्नों का द्योतक है। राज्यों को इन क्षेत्रों की समस्याओं का अलग-अलग पता लगाना है और उसी के अनुसार वहां की समस्याओं को देखते हुए अलग-अलग कार्यक्रम बनाना है। परियोजनाएं तैयार करने के समय कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं की मदद ली गई।

समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं की कुल संख्या 140 होगी जिसमें से राज्य सरकारों द्वारा 66 परियोजनाएं ही अब तक तैयार की जा सकी हैं। हाल ही में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में यह सहमति प्रकट की गई कि उड़ीसा को छोड़कर बाकी सभी राज्य अपनी परियोजनाएं शीघ्र प्रस्तुत कर देंगे। उड़ीसा को अपनी परियोजना भेजने के लिए और अधिक समय देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

जनजातीय उपयोजना के लिए 190 करोड़ रु० विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए हैं। इस व्यवस्था में से 10 करोड़ रु० आदिम जातियों के लिए रखे गए हैं और 180 करोड़ रु० उप-योजना क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या के अनुसार राज्यों को दिए जाएंगे। 1974-75 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 5 करोड़ रु०, 1975-76 में 20 करोड़ रु० और 1976-77 में 40 करोड़ रु० दिए गए। 1977-78 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 55 करोड़ रु० देने का प्रस्ताव है।

जनजाति वर्गों के शोषण की समाप्ति के लिए भी सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है।

नई नीति के अनुसार जनजाति-बहुल क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां उन लोगों को अपनी परम्परागत शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। यह शराब अब सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगी, इसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी।

जनजाति के लोग एक ही स्थान से अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुएं खरीद सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे जनजाति क्षेत्रों में ऋण और विपणन-व्यवस्था को पुनर्गठित करें। राज्य सरकारें बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां स्थापित करने को सहमत हो गई हैं। इन्हीं समितियों द्वारा खेती या खर्चे के लिए ऋण दिया जाएगा और इन्हीं के द्वारा खोली गई उपभोक्ता सहकारी समितियों से रोजाना खपत तथा खेती के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी। ग्रामीण ऋण की समाप्ति के उपरान्त ऋण देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय जब तक नहीं किया जाता, तब तक स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में ऋण देने का अधिकार दिया गया है। ★

आध्यात्मिक जीवन में प्रदूषण ★ डा० राजारमन्ना

अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्राय: मुझसे यह प्रश्न किया गया कि केवल भारत में ही क्यों ऐसे बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है जो विज्ञान के प्रतिकूल आत्मा के बल में अधिक विश्वास रखता है और कभी-कभी तो यह प्रतिकूलता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि विज्ञान की आधारशिला ही हिलने लगती है। मुझे मालूम है कि बहुत से भारतीय इस बात पर गर्व करते है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। ये लोग तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा विवेकसम्मत विज्ञान के सुदृढ़ नियमों की अपेक्षा आत्मा के बल की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के प्रयासों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के कारणों की जांच करने से पहले, शायद तथाकथित बुद्धिजीवी आत्मा और विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्तों को परिभाषित कर लेना ठीक रहेगा।

भारत में बुद्धिजीवी के अनेक अर्थ हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी शिक्षा-दीक्षा अरलुक्त भारत में लार्ड मैकाले द्वारा प्रचलित शिक्षण-शैली के अनुरूप हुई हो। दूसरे शब्दों में उसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो पश्चिमी साहित्य की पीठिका लिए है तथा जो अपनी विवेक शक्ति का तनिक भी उपयोग किए बिना हर एक बात को स्वीकार कर लेता है। बुद्धिजीवी से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसका प्रशिक्षण इस्लामी व संस्कृत संस्कारों के अनुसार हुआ हो और जो इस महान किंतु सम्भ्रान्त धरोहर का साथ छूट जाने के भय से अपनी विवेक शक्ति का उपयोग नहीं करता और परम्परा से चिपटा रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित किए जाने वालों में से सर्वाधिक विवाद उस व्यक्ति के बारे में है जिसकी शिक्षा की पीठिका तो है विज्ञान किन्तु वह किसी छोटी सी समस्या व लाभ की शंका की स्थिति में अपनी सारी शिक्षा-दीक्षा और सिद्धान्तों की बलि दे कर उस समाज का अंग बन जाता है जो एक गुरू के निर्देशन में आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए उसे उत्साहित करता है चाहे ऐसा करने से कुछ इतने स्पष्ट विरोध भी उत्पन्न हो जाते हों जिनके अनुसार एक और दो समान हो जाते हों। तथापि कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो वास्तविक आध्यात्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत होते हैं और वे अपने आत्मा तथा पदार्थ सम्बन्धी विचारों का अन्त: मिश्रण नहीं करते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी विचारधारा ही परिवर्तन व विकास को प्रेरित करती है क्योंकि आत्मा के अस्तित्व का कारण कोई भी क्यों न रहा हो।

पदार्थ एवं आत्मा : विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से सोचने पर यह बात सर्वमान्य हो गई है कि आज इस प्राणधारी जीव का व्यवहार विशुद्ध भौतिक नियमों द्वारा नहीं जाना जा सकता जिसका निर्माण कुछ जीवाणुओं के अन्त: संयोग से होता है। यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है कि यह [illegible] की प्रक्रिया हमें आध्यात्मिक कार्यों के प्रति सचेत करती है अथवा ऐसी चेतना को जन्म देती है जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उस [illegible] पदार्थ में निवास करती है। इसका जो भी अर्थ ग्रहण किया जाए, हमारे ज्ञान के अनुसार स्वाभाविक चेतना से प्रेरित भौतिक संसार के क्रियाकलाप कोई भी वैज्ञानिक विरोध उत्पन्न नहीं करते। प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले सभी प्रयोग जो भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में किए जाते हैं, ऊर्जा-संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पाए गए हैं। बेशक आत्मा तो पदार्थ के रूप में ही जीवित रहती है तथापि ऐसा किसी भी बात से स्पष्ट नहीं होता कि पदार्थ-अध्ययन के काम में आत्मा भौतिक जगत के नियमों का उल्लंघन करती है। हम इसे भौतिक जगत से अधिकाधिक लाभ उठाने के कार्य में उपयोग कर सकते हैं। अत: अब मुख्य समस्या यह है कि हम अभी तक यह निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि प्रकृति ने जो मार्ग वास्तव में अपनाया है उसके क्या कारण थे। अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का यह मत है कि जीव-प्राणियों के पूरे विकास की प्रक्रिया एक मात्र संभावना और संयोग है।

'विज्ञान प्रकृति में कोई उद्देश्य, वैयक्तिक मनोरंजन का साधन तथा संरचनात्मक प्रक्रिया को देखने में असमर्थ है, वह तो केवल क्रमबद्ध विकास के नियम को मानता है।'

विज्ञान की इन्हीं सीमाओं के कारण ही हम अपनी रचनात्मक प्रक्रिया के अधिकांश भाग को आत्मा व चेतना से प्रेरित मानने को विवश हैं। विकास एवं चेतना के इन नियमों को आधार मान लेने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामूहिक जीवन यापन के लिए नैतिकता के नियम तथा व्यवहार-संहिता अति आवश्यक हैं। मेरे विचार में तो किसी भी संयोजित धर्म के लिए यह एक प्राथमिक आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने इन सब बातों को बहुत पहले ही हमारे सामने रख दिया था।

इन्द्रजाल व हाथ की सफाई : अब हम विज्ञान की आधार-शिला और उसके स्थायी तत्वों का निरीक्षण करेंगे। थोड़ा सा सोच-विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम गणित के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं कर सकते और यदि कोई सिद्धान्त हमें यह बताता है कि दो विभिन्न संख्याएं समान हैं तो वह सिद्धान्त निश्चित रूप से गलत होगा। यदि एक

और दो को आपस में बराबर मान लिया जाए तो गणित, वाणिज्य आदि के सब क्रियाकलाप ठप्प हो जाएंगे। अब तक के मानवीय अनुभवों ने तथा अर्जित ज्ञान ने इस वक्तव्य की सत्यता को भली-भांति स्थापित कर दिया है। अब हम यह प्रदर्शित करेंगे कि चमत्कार और भौतिक जगत् में शून्य से स्थूल वस्तुओं का उत्पादन इस आधारभूत सिद्धान्त के सीधा विरूद्ध है। इस कार्य के लिए भौतिक-विज्ञान के असंख्य सिद्धांतों में से मैं केवल एक को यानी ऊर्जा-संरक्षण के सिद्धान्त को प्रयुक्त करूंगा। विज्ञान के जन्म से लेकर अब तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, उन सबके द्वारा इस बुनियादी सिद्धान्त की पुष्टि हो चुकी है। आरम्भ में इसे पदार्थ के संरक्षण का सिद्धान्त भी कहा जाता था किंतु जब से आइंस्टाइन से यह सिद्धान्त दिया है कि द्रव्य और ऊर्जा समान होते हैं, तब से द्रव्य-संरक्षण का सिद्धान्त अधिक विस्तृत सिद्धान्त-ऊर्जा संरक्षण सिद्धान्त में समाहित हो गया है। यह साफ शब्दों में हमें बताता है कि शून्य से ऊर्जा व द्रव्य पैदा नहीं किए जा सकते और यदि ऐसा हो सकता है तो यह कल्पना भी निराधार न होती कि एक और दो आपस में बराबर होते हैं। यदि हम भौतिकी के अन्य सभी सिद्धान्तों को छोड़ भी दें तो भी इस विशेष सिद्धान्त को नकारना असम्भव है चूंकि इसके बिना न तो अंतरिक्ष अनुसंधान और न किसी प्रकार के तकनीकी विकास तथा आणविक अन्वेषण का कार्य सम्भव है।

ऊर्जा का सिद्धान्त जीव और निर्जीव दोनों प्रकार के प्राणियों पर एक जैसा ठीक उतरता है। हमें यह भी ज्ञात है कि दोनों प्रकार के पदार्थ अणु व परमाणुओं से बने हुए हैं। अतः किसी भी वैज्ञानिक को इस बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, जिसका भौतिक जगत् में कोई मूल्य नहीं, घड़ियां व भस्म आदि पैदा करना सम्भव है। मेरी समझ में यह बात अब तक नहीं आई कि हिन्दू धर्म में 'भस्म' को इतना महत्व क्यों दिया गया है। पौराणिक कथाओं में तो इसका मूल्य समझ में आता है किन्तु रसायन शास्त्र के ज्ञाता के लिए 'भस्म' उस पदार्थ के आक्सीकृत रूप के अलावा कुछ नहीं जिसमें से ऊर्जा को अलग कर दिया गया है। इस बात को समझना तो आसान है कि अच्छी प्रकार की घड़ियों के अभाव में अधिकाधिक लोग बिना मूल्य की घड़ियां प्राप्त करना चाहेंगे। घड़ी को दहेज के अनिवार्य अंग के रूप में रखने का आग्रह मध्यम-वर्गीय हिन्दू की विशिष्ट लालसा है। यह बात कि केवल इस प्रकार की वस्तुएं ही आध्यात्मिक भौतिकीकरण द्वारा सम्भव हैं, किसी प्रकार के तर्कसंगत विवेचन के आधार को समाप्त कर देती हैं। विकल्प में इस बात का सीधा स्पष्टीकरण यह है कि हाथ की सफाई अथवा सुनियोजित जादू के कार्य का प्रदर्शन जैसा कि मेरे मित्र डा० काबूर भी, बिना किसी दैवी-प्रेरणा के, बड़े सुचारू ढंग से कर दिखाते है। हमें प्रतिक्षण लाभ देने वाले विज्ञान में नियमों को नकारने की डा० काबूर की बात में विश्वास करना निश्चित रूप से बेहतर होगा।

प्रत्येक बात को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में, कुछ लोग यह कहते हैं कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में चार-परिमाण वाले अन्तरिक्ष से प्रेरित अन्तः निर्भरता के सिद्धान्त से बहुत से विरोध उत्पन्न हो गए थे उसी प्रकार किसी अधिक परिमाण वाले अमूर्त सिद्धांत की सहायता से चमत्कारों की व्याख्या संभव है। इसके विषय में मुझे केवल यह कहना है कि अन्तः निर्भरता के सिद्धान्त से तो विज्ञान की सभी बुनियादी बातों को बल मिला है किन्तु चमत्कारों की व्याख्या में हेतु जिसमें विशिष्ट भौतिक पदार्थों का उत्पादन (शून्य से) भी शामिल है, अमूर्त सिद्धान्तों का आश्रय लेने का अर्थ होगा विज्ञान की जड़ों को खोखला करना।

नकली इलाज: मुझे अधिक सहानुभूति तब होती है जब मानसिक रोगों के इलाज के लिए तथाकथित आध्यात्मिक तरीकों को अपनाया जाता है। मानसिक रोगों को भली-भांति जानने के क्षेत्र में, अभी विशेषकर ऐसी स्थिति में जब यह बात पर्याप्त प्रमाणित होती जा रही है कि इन रोगों के मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं, जब कभी भी ऐसे रोगों की उचित पहचान हुई है तभी किसी योग्य डाक्टर द्वारा सुझाया गया इलाज सन्तोषजनक रहा है और आध्यात्मिक बातों व तरीकों से स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ऐसी जानकारी मुझे उन वैज्ञानिकों ने दी है जिन्होंने मानसिक रोगों के इलाज की प्रक्रिया को नजदीक से देखा है। सैकड़ों बार इन आध्यात्मिक इलाजों का कोई लाभ नहीं हुआ और इनमें रोगियों तथा उनके सम्बन्धियों को झूठी आशा से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। वास्तव में यह बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग प्रमाणित वक्तव्यों के जाल में फंस कर शपथ तक लेने को तैयार हो जाते हैं चाहे उनके लिए अमुक चमत्कार-स्थल पर शारीरिक दृष्टि से उपस्थित होना असम्भव रहा हो। यदि कभी कोई मानसिक रोगी किसी मनोवैज्ञानिक आघात के कारण अपने रोग से छुटकारा पा ही ले तो इसे उसका सौभाग्य कहना ही अधिक उचित होगा चूंकि मुझे इस बात में तनिक भी विश्वास नहीं कि ऐसे इलाजों से समाज को हानि कम और लाभ अधिक होता है। इसी दृष्टि से, बंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे आंकड़ों के संग्रह और परीक्षण के कार्य का हम सबके लिए पर्याप्त महत्व हो सकता है। इस प्रकार के कार्य को आरम्भ करने में जो उत्साह उन लोगों ने दिखाया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह तो सर्वथा उचित है ही कि एक विश्वविद्यालय नौजवानों को आध्यात्मिक दूषण और शोषण से बचाने के लिए आगे आए।

वास्तिविक आध्यात्मिकता: इस विषय में दो राय नहीं कि रोज-मर्रा के जीवन के चलाने के लिए आध्यात्मिक सहायता की भी जरुरत पड़ती है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सौन्दर्य और कला की कृतियां आध्यात्मिक प्रेरणा

से ही सम्भव हो पाई हैं। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति के समय अपने इष्टदेव के बुत के सामने एक नारियल तोड़ कर आत्म-तुष्टि प्राप्त करता है तो वह भी अनुचित नहीं। यद्यपि वेदों के अनुसार जो एक अमूर्त व दूरगामी वस्तु हैं जो निश्चित रूप से किसी लाभ या इच्छापूर्ति का साधन नहीं, तथापि मेरा सुझाव है कि मूर्ति और मनुष्य के आकार और आकृति में जितनी असमानता हो उतना ही अच्छा है और व्यक्तिगत रूप में तो मुझे गणेश की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ लगती है। हम नश्वर प्राणियों में अपने ही विषय में प्रश्न पूछने की विशिष्ट चेतना व योग्यता है तो फिर हम किसी भय के आवेग में संदिग्ध प्राणियों व जादूगरों के चक्करों में क्यों पड़ें? हमारे पुराण-साहित्य में, वेदों में तथा महान आचार्यों की रचनाओं में हमारे मार्गदर्शन हेतु और हमें दार्शनिक उल्लास प्रदान करने के लिए तथा भय से बचाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

मानवता का कल्याण इसी में है कि हमारे आध्यात्मिक नेता भोले-भाले बुद्धू लोगों को छिछले जादू से प्रभावित करने की अपेक्षा उन्हें वेदों तथा शास्त्रीय रचनाओं में वर्णित महान तथ्यों से परिचित कराएं। लोगों पर अपने इस प्रभाव को वे कमजोर और निम्न वर्ग के प्रति आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे समाज का विभिन्न वर्गों में प्रचलित अन्याय बहुत भयावह है। गन्दी बस्तियों में और मध्यम वर्गीय समाज में भी जो अत्याचार ढाए जाते हैं, वे अविश्वसनीय हैं। वास्तव में अधिकांश लोगों के कष्टों, अन्यायों तथा निराशाओं का निवारण कर जिसमें वे रहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग-दर्शन द्वारा दुःखी मानवता की दशा को सुधार कर चमत्कारिक कार्य किए जा सकते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारे आध्यात्मिक नेता उन दिशाओं में क्यों अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करते जहां उनकी जरूरत सबसे अधिक है। क्या छिछले जादू का प्रदर्शन ही लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन है? हमारा देश एक महान और आध्यात्मिक सम्पदा से समृद्ध देश है। क्या यह आवश्यक है कि हम अपने सामने और संसार के सामने यह प्रदर्शित करें कि हमारी जनता इतनी पिछड़ी हुई है जो चमत्कारों की क्रियाओं की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देती है और निम्नतम कोटि के भ्रमों से ग्रसित हैं?

(बंगलौर विश्वविद्यालय में 'समाज विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण' पर आयोजित भाषण शृंखला के अन्तर्गत दिया गया एक भाषण)

—अनु० दर्शनकुमार पब्बी
अंग्रेजी विभाग
रामलाल आनन्द कालेज,
आनन्द निकेतन मार्ग, नई दिल्ली

युवक और राष्ट्रीय विकास......... [पृष्ठ 15 का शेषांश]

योजना के कार्यक्रमों में जनता, विशेषकर छात्रों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास करना है, तो वे योजना को सफल बनाने में दिलचस्पी लेंगे और इसके लिए वे अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

कोई भी योजना अधिक समानता प्राप्त करने की जनता की अदम्य इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकती। योजना का उद्देश्य व्यक्तियों व क्षेत्रों के बीच की असमानताओं को कम करना है। योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ-साथ एक समयावधि के भीतर सभी वर्गों के निर्धन लोगों, विशेषकर आदिवासियों, हरिजनों, पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना है।

पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान बनाना बड़ी सीमा तक सामाजिक न्याय प्रदान करने का एक सुनिश्चित तरीका है। मुझे पूरा विश्वास है कि युवक देश द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार व निजी रोजगार के विभिन्न अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और अन्य एजेंसियों को युवकों को अपना रोजगार चलाने के लिए यथासम्भव सहायता देनी होगी।

युवकों ने स्वैच्छिक सेवा करने की जो पेशकश की है, वह सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इन कार्यों द्वारा युवक राष्ट्रीय विकास के प्रयत्नों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अपने फालतू समय में लाभदायक काम करने के लिए और अपनी परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद पूर्णकालिक आधार पर कुछ काम करने के लिए विद्यार्थियों को स्थानीय जनता के सहयोग से गांवों, ब्लाकों या अन्य उपयुक्त स्थानों का चुनाव करना चाहिए। इससे वास्तव में ही सामाजिक-आर्थिक प्रगति होगी और युवकों की शक्ति, उत्साह और आदर्शवादिता से राष्ट्र-निर्माण के कार्य में भी सहायता मिलेगी। ★

खेल है यह तारों का ✶ अनिल भारती

गत वर्ष मैं अपनी पत्नी तथा बाल बच्चों के साथ 'न्यू एरा आफ प्रोग्रेस' प्रदर्शनी (जनपथ, नई दिल्ली) को देखने गया। इस प्रदर्शनी में भारत में पिछले दस वर्षों में जो उन्नति हुई, उसकी सही व सुन्दर झांकी में व्यापक रूप से बढ़ते हुए कल के भारत का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया गया था। उसे देखकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। तीन घण्टों तक मंडप देखने के पश्चात् हम एक छोटे से स्टाल के सामने खड़े हो गए और बड़े ध्यान से चीजें देखने लगे। मेरी पांच वर्षीय पुत्री बड़ी रूचि से सब ओर देखने के बाद मेज पर सजे एक तार से बने हुए सजावट के सामान (वन पीस डेकोरेशन) को देखकर चिल्ला उठी, 'पापा,...पापा, मम्मी...अरे यह देखो मोर।' फिर कुछ आगे होकर बोली, 'गांधी जी भी है,...मम्मी अरे मम्मी देखो साइकिल...मुझे ले दो। पापा ले दो ना। यह सब सुन्दर खिलौने मैं लूंगी। 'बच्ची तो सब खिलौने लेना चाहती थी। सच। मैं भी उस कलाकार की कला को देखकर चकित हो उठा। वहां पड़ी सब चीजें सचमुच जानदार लग रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से बच्ची को समझाया कि कोई एक खिलौना ले लो। बच्ची सोच में पड़ गई और फिर बड़े प्यार से बोली, 'पापा। मोर और गांधीजी ले दो न। गांधीजी बड़े अच्छे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मोर तो सचमुच का लगता है'। मैंने बच्ची को दोनों खिलौने खरीद दिए। कीमत भी कोई ज्यादा न थी। मैं फिर खिलौने को देखने लगा। मेरी भी उत्सुकता बढ़ती चली गइ। मैंने स्टाल के स्वामी से पूछा, यह खिलौने आप खुद बनाते हैं ?

वह हंसते हुए, उंगली से इशारा करके बोला, 'यह सब खिलौने सैय्यद मंनजूर हुसैन जी बनाते हैं।'

श्री हुसैन मेरी ओर आगे सरक कर वोले, 'फरमाइए, क्या आपने मुझसे कुछ कहा ?'

'यह खिलौने आप बनाते हैं ?

आधे बने हुए साइकिल का तार हाथ से लपेटते हुए पलास मेज पर रख कर श्री हुसैन बोले, 'जी हां।...मैं ही बनाता हूं।'

क्या मैं...आपसे इस दस्तकारी के बारे में कुछ पूछ सकता हूं ?'

'जरूर...जरूर...'

प्रश्न: ये खिलौने आप किस तार से बनाते हैं। इस काम में किस किस वस्तु की आवश्यकता है और खर्च क्या आता है ?

उत्तर: क्या यह काम अपनाने का विचार है ?

प्रश्न: नहीं। भाई साहब।...ऐसी तो कोई बात नहीं ? मैंने तो वैसे ही अपने और अन्य लोगों की जानकारी के लिए पूछा है।

उत्तर: 40-50 रु० में काम बन जाता है। यानि एक किलो अल्युमिनियम तार, 16.00 रु०, एक छोटा पलास नोकिल 5.00 रु०, एक कैंची नम्बर 913, 8.00 रु०, एक कपड़े का थैला 3.00 रु०, एक चटाई बड़ी 8.00 रु०।

प्रश्न: बस 40.00 रु०, इतनी कम पूंजी से काम शुरू हो जाता है?

उत्तर: जी हां।

प्रश्न: आप सब खर्चा निकाल कर कितने रु० रोज कमा लेते हैं ?

उत्तर: 20-25 रु० आसानी से कमा लेता हूं।

प्रश्न: यह काम आपने कब और किससे सीखा ?

उत्तर: तीन वर्ष पूर्व...स्वयं ही सीख लिया था। बात दरअसल यह है कि एक दिन कनाट प्लेस में एक बुजुर्ग को यह काम करते देखा।...और...कई दिन आते जाते देखता रहा और समझता रहा।...पलास चल रहा है और कैसे तार सम्भालते हुए हाथ आगे पीछे जा रहे है। मैंने उनसे एक साइकिल और मोर खरीद लिया। बस।...फिर क्या था...घर में फालतू समय में तारों का खेल चलने लगा और नुक्ते दिमाग में जमाने लगा, कारीगर बनकर मार्किट में कूद पड़ा और आगे से आगे बढ़ता ही चला गया।

प्रश्न: इससे पहले आप क्या काम करते थे ?

उत्तर: मैं टरनर था और खराद पर काम करता था। इधर-उधर प्राइवेट छोटे-बड़े कारखानों में कई वर्ष तक काम करता रहा बस।...कुछ न पूछिए, कारखाने वालों के रहम-करम पर था। वेतन कम देते थे। और काम अधिक लेते थे। सच.. गुजर भी बहुत तंगी से होती थी और नौकरी का भी हर समय डर बना रहता था। मेरे इस काम में किसी खास चीज की जरूरत नहीं और न ही किसी दुकान की। जहां भी चाहो...चटाई बिछा दो...काम शुरू कर दो... चल कर बेचो या खड़े होकर, गली कूचे बाजार में...गांव-गांव में...शहर में। विदेशी मेरे खिलौनों को बड़े चाव से लेते हैं। माल बनाने वाला चाहिए...दिल लगाने वाला चाहिए...फिर किसी चीज की कमी कभी नहीं हो सकती।

यह खेल है सब तारों का
हंसती-खिलती बहारों का
अपने पर भरोसा बना कर देखो
तारों का जादू जगा कर देखो

मैं श्री हुसैन की कविता सुन कर झूम उठा और बोला, 'वाह-वाह बहुत सुन्दर-मनोहर, आप की कविता है।...मेरे दिल के तार भी हिल उठे हैं। हां, हुसैन साहब...दो तीन प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं।'

प्रश्न: इन सब खिलौनों को बनाने में कितना समय लगता है और आप किस-किस कीमत पर बेचते हैं ?

उत्तर: हां, सुनिए, साइकिल 3.00 रु०, पूरा टांगा 10.00 रु०, मोर 4 रु०, गांधी जी, 4.00 रु०, नेहरूजी 4.00 रु०, और इन्दिराजी 4.00 रु०। और भी बहुत-सी चीजें हैं। इन सब खिलौनों, पर। से 3 घंटे बनाने में लग जाते हैं। इनमें रंगदार तारों तथा जाली का भी प्रयोग हो सकता है, बस मूल्य में 50 पैसे से 2.00 रु० तक बढ़ जाएगा। मैंने कहा, बहुत खूब...बहुत खूब...आप तो महान कलाकार हैं। बहुत सुन्दर डेकोरेशन पीस बनाते हैं।

प्रश्न: आप प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कुछ बतलाने का कष्ट करें।

उत्तर: सच। 20 सूत्री कार्यक्रम ने ग्राम गरीब आदमी के लिए सुख के द्वार खोल दिए हैं। हम सब देख रहे हैं कि इस पर भली प्रकार से अमल हो रहा है। महंगाई, लापरवाही, भ्रष्टाचारी, चोरबाजारी आदि सब धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। काले धन्धे करने वालों की तो आफत आ गई है और सब वस्तुएं काफी मात्रा में आसानी से प्राप्त हो रही हैं। गरीबों के अच्छे दिन आ रहे हैं। चीजों के भावों में भारी कमी आ गई है, हां-हां...देखिए। एमरजेंसी ने लोगों का भारी सुधार कर दिया है।

प्रश्न: पढ़े लिखे लोगों में बेकारी बढ़ रही है। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं ?

उत्तर: इसका एक ही कारण है—हमारे देश के नौजवान अपने हाथों से काम करने से घबराते हैं। मेहनत से दिल चुराते हैं। बस पढ़ लिखकर सफेद-कपड़ों वाला बाबू बनना चाहते हैं और बहुत ऊंचे ख्वाब लेना शुरू कर देते हैं।'

प्रश्न: बेकारी को कैसे समाप्त किया जा सकता है ?

उत्तर: बिल्कुल बेकारी को पूरे रूप से समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने हमें रास्ता दिखा दिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम पर हम स्वयं अमल करें और दूसरों को अपने साथ मिलाकर कमर कस कर कार्य क्षेत्र में उतर आएं... यानि छोटी-से-छोटी दस्तकारी को अपना लें। जैसे मैं यह तारों का खेल अपने मन में बिठा कर अपनी रोजी कमा रहा हूं और किसी भी बेकार नौजवान को यह काम बगैर किसी पैसे, फीस या चन्दे के सिखलाने को तैयार हूं, ताकि वह भी जल्दी से जल्दी अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी रोजी कमा सके।

प्रश्न: कृपया, अपने घर का पूरा पता बता दें ताकि अगर कोई बेकार नौजवान आपसे यह काम सीखना चाहे तो आप तक पहुंच सके और अपने लिए मार्ग पा सके।

उत्तर: सैय्यद मनजूर हुसैन सुपुत्र स्वर्गीय सैय्यद इक्तेदार हुसैन, कर्मचारी क्वार्टर नं० 1, हैदराबाद हाउस, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001।

अच्छा हुसैन साहब, मैं चलता हूं...मैंने आपका काफी समय ले लिया है।'

'भाई जान। ऐसी तो कोई बात नहीं...मुझे आप से मिलकर खुशी हुई। अच्छा खुदा हाफिज। फिर भी किसी समय मिलिएगा। श्री हुसैन हाथ मिला कर बोले।'

मैंने अपना कार्ड श्री हुसैन के हाथो में थमा दिया और अपनी डायरी को बन्द करके ब्रीफ केस में डाल कर बोला, 'आप भी आइए ना...मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गया। बहुत-सी यादें लिए।

[एच-32, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली-110014]

ग्रामीण-विकास में उद्योगों का योगदान — [पृष्ठ 14 का शेषांश]

सहायता प्रदान करने का विचार कर सकते हैं और सारे देश में फैले सामुदायिक विकास तथा कृषि-विस्तार के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं। इससे उद्योगों के कर्मचारी ग्रामों और विकास-खण्ड स्तर के समस्त साधनों को समझ कर अपने काम में उचित ढंग से तालमेल कर सकेंगे।

हमने अपने जन-सहयोग प्रभाग में एक सूचना सेल की स्थापना की है। इस केन्द्र का प्रमुख कार्य है:—ग्रामीण विकास तथा कृषि की विभिन्न परियोजनाओं के विषय में सूचना एकत्रित करना, सूचना विनिमय करना तथा ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करना, जिनसे संबंधित उद्योग और व्यापारिक संस्थान प्राप्त करना चाहते हैं।

सरकारी विस्तार एजेंसी और जन-संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धधों की उन्नति तथा कार्यों को प्रभावशाली रूप से पूरा करने में आवश्यक सहायता तथा सहयोग करेंगी। ★

[अनु० शकुन्तला पाठक]

मेरे हाथ-मेरी भैंस

जगदीश नरायाण महरोत्रा

काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस दहाड़ती हुई स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई तेज गति से भागती जा रही थी। आध्यात्मिक नगर स्टेशन निकल गया था और हापुड़ पहुंचने में 25 मिनट बाकी थे। नई दिल्ली में कई दिनों के प्रवास के कारण काफी रकम खर्च हो गई थी, इसलिए वहां से चलते समय लखनऊ का प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने टिकट-घर पहुंचा तो चन्द पैसे कम निकले। लामुहाला द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर लखनऊ के लिए चल पड़ा। डिब्बे खचाखच भरे थे। किसी तरह बैठने की जगह मिल गयी थी। गाड़ी खुलने पर डिब्बे के लोगों ने इत्मीनान की सांस ली कि अब कोई सवारियां नहीं चढ़ेंगी और जो खड़े थे वह भी किसी तरह से जगह का समायोजन करके बैठने का उपक्रम करने लगे।

आकाश में बादल छाये हुए थे, हल्की-हल्की फुहार पड़ रही थी। डिब्बे में भरी पूरी भीड़ में कुछ लोग समय काटने के लिए अनेक प्रसंगों पर चर्चा कर रहे थे। आध्यात्मिक नगर पार करते ही बाहर खेतों में दूर-दूर तक धान की रोपाई देखते हुए एक सज्जन का ध्यान किसानों की ओर गया और उसी पर चर्चा छिड़ गई। "देखिए छोटे किसानों की हालत भी कितनी गयी-बीती है। कितनी मुशक्कत करते हैं ये बेचारे, लेकिन जिन्दगी दूभर होकर बीत रही है।"

"दिन भर खून पसीना ये बहायें और मौज उड़ायें व्यापारी।" एक अन्य सज्जन की आवाज थी।

किसानों की चर्चा आने पर मैं भी संभल कर बैठ गया और कान उधर ही लगा दिये। "मजा तो यह है कि हरित क्रान्ति की चर्चा खूब की जाती है, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि कुछ बड़े और चलते-पुरजे काश्तकारों ने ही इससे फायदा उठाया है। छोटे किसानों के लिए कोई सोचता भी नहीं है। गांव में तैनात सरकारी कारिन्दे भी गांव प्रधान और सरपन्च से मिलकर कागज की इन्दराज दुरुस्त कर देते हैं और इसी के सहारे अधिकारियों का मुआयना पूरा हो जाता है। कहने को तो आपात स्थिति चल रही है और 20 सूत्री कार्यक्रम की भी हवा बंधी है लेकिन देहात का गरीब तबके का काश्तकार बहुत परेशान है। आखिर सरकार ने इनके लिए क्या किया है ?"

एक महाशय जो वकीलों का लिबास पहने हुए थे, काश्तकारों की वकालत कर रहे थे। मैंने सोचा, मैं भी कुछ बोलूं और वस्तुस्थिति से इन्हें और दूसरे लोगों को कुछ बताऊं कि एकाएक एक अधेड़ व्यक्ति, जो ग्रामीण लग रहा था, बात काट कर तेजी से बोल पड़ा, "बाबू जी, आप लोग सब सहरुआ मालूम होते हैं।" वकील की ओर मुखातिब होकर उसने पूछा, 'बाबू जी, लगता है आप मेरठ में वकालत करते हैं। कचहरी में मैंने आपको देखा है।"

"हां, तुम ठीक कहते हो।"

"अच्छा सच बताइए, आप कब से गांव नहीं गये ?"

यह प्रश्न सुनकर वकील महाशय कुछ सकपका गये, बोले, "भई, देहात तो मैं करीब तीन साल से नहीं गया, लेकिन मेरे बहुत से मुवक्किल देहात के बारे में बताया करते हैं।"

"बाबू जी, आप लोग केवल सुनी हुई बातों पर यकीन कर लेते हैं। कुछ लोग खामखाह बे सिर पैर की उड़ाया करते हैं। आप मेरे गांव में आइए, हापुड़ रोड पर मेरठ से 10 किलोमीटर दूर 'काजीपुर' मेरा गांव है। मेरा नाम भुल्ले है। आप देखेंगे कितनी हालत बदल गयी है और पिछले साल से, जब से छोटे किसानों का काम हमारे यहां शुरू हुआ, घी-दूध की नदियां बहती हैं।"

हापुड़ प्लेटफार्म पर गाड़ी धीरे-धीरे पहुंच गई थी। छोटे किसानों के हिमायती वकील, काजीपुर का भुल्ले तथा कई और मुसाफिर स्टेशन पर उतर गए। "मेरठ, हापुड़ रोड पर 10 कि० मीटर दूर काजीपुर, भुल्ले और घी-दूध की नदियां," मेरी विचारधारा इसी में खो गयी। मुझे लगा उस काश्तकार ने अपने

गांव की हालत बखान करने में अतिशयोक्ति की है। लेकिन वकील का मुंह बन्द हो गया था।

गांव में आने-जाने का मेरा सिलसिला बहुत पुराना है। जहां कहीं जाने का मन जम गया, निकल पड़ता हूं। कितने सहज स्वाभाव से भूल्ले ने वकील साहब को बुलाया था। लेकिन उसके स्थान पर एक पत्रकार का वहां पहुंच जाना भुल्ले को तनिक न अखरा। प्रातः के 9 बजे थे और जब मैं उस क्षेत्र के विकास अधिकारी के साथ अनेक कीचड़ भरी पगडण्डियों से होता हुआ काजीपुर पहुंचा तो भुल्ले का साफ सुथरा मकान अच्छा खासा लगा। वह अपनी स्त्री के साथ मिलाकर भैंस को नहला रहा था। जब मैंने अपना पूरा परिचय देते हुए रेल की बात उसे याद दिलायी तो वह मुस्करा उठा।

"यह शहर के लोग गांव के बारे में बहुत कम जानते हैं। आंधी-पानी में कौन आता है गांव की हालत देखने के लिए। बी० डी० ओ० साहब और सिन्डीकेट बैंक के लोग अक्सर आकर गांव वालों की हाल-चाल पूछ लेते हैं। वैसे अप्रेल के महीने में दिल्ली से एक मंत्री जी भी आये थे और हम लोगों की हालत देखकर बहुत खुश हुए थे।"

क्षेत्र विकास अधिकारी, श्री शर्मा ने बताया, "21 अप्रेल 1976 को श्री शाहनवाज खां गांव में आये थे और उन्होंने छोटे किसानों की योजना के अन्तर्गत यहां पर दूधारू भैंस बांटने का जो काम हुआ है, उसकी बहुत सराहना की थी।"

फोटोग्राफर ने तब तक अपना काम पूरा कर लिया था जिसका मुझे पता ही न लग सका। छोटे किसानों की एजेन्सी से सहायता प्राप्त कर खरीदी गयी मेदपुर मेले की यह भैंस भूल्ले की बड़ी चहेती निधि थी। रोजाना 12 लीटर दूध प्राप्त कर उसका परिवार फूला न समाता था। सवा दो एकड़ भूमि में काश्त करके उसकी हैसियत इतनी न बन पायी थी कि वह भैंस या अच्छी गाय खरीद सके। तभी अप्रैल 1975 में वहां लघु कृषक विकास एजेन्सी के सहायक पहुंच गये।

मेरठ के 26 विकास खण्डों में से 10 में, जो रजपुरा, जानी, रोहटा, भवाना, हस्तिनापुर, माचरा, परीक्षितगढ़, सरधना, सरुरपुर तथा मेरठ हैं, लघु कृषक एजेन्सी का काम शुरु किया गया है जो आगामी पांच वर्षों तक सम्पादित होता रहेगा। इस पर डेढ़ करोड़ रुपय का व्यय होगा जो प्रमुखतः छोटे, सीमान्त और कृषक श्रमिकों के उत्थान के लिए उन्हें ऋण पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अनुदान देने के रुप में प्रयुक्त किया जायेगा। सिन्डीकेट बैंक छोटे काश्तकारों को दुधारु पशु, कृषि यंत्र और डनलप माड़ियों की खरीद के लिए निर्धारित कर्ज देकर भरसक उनकी मदद कर रहा है।

काजीपुर के अनेक काश्तकारों से भी भेंट की गयी। यहां कुल 435 परिवार हैं जिनमें 322 खेतिहर है। गांव की कुल आबादी 2273 है। सीमान्त और खेतिहर श्रमिकों की संख्या 229 है, 75 छोटे काश्तकार हैं तथा 131 हरिजन व इसी श्रेणी के कृषक परिवार हैं। गांव की कुल कृषि योग्य भूमि 497 एकड़ है जिसमें से केवल 2 एकड़ ही असिंचित है। इस जानकारी से बड़ा हर्ष हुआ। गांव में 35 निजी और एक सरकारी नलकूप है। 15 काश्तकारों के पास अपने पम्पिंग सेट, 11 के पास ट्रैक्टर और 27 के पास निजी थ्रेशर्स तथा 12 के पास भैंसा बुग्गी (डनलप कार्ट) है। कुछ लोग भैंसा बुग्गी किराये पर भी उठाते हैं जिससे औसतन 20-25 रुपए की दैनिक आमदनी हो जाती है।

दुबले पतले कृषक मजदूर चेतराम को भैंस के लिए 2000/- रुपए का ऋण हाल ही में मिला था। बाबू और कर्णी सिंह अपनी भैंस की तारीफ करते नहीं थकते। मंडिहाई व सरधना के मेले से जो हर मंगल को लगता और मेदपुर की पेंठ से जो हर बृहस्पतिवार को लगती है, गांव के 36 लोगों ने मन पसन्द भैंस खरीद कर गांव की आर्थिक स्थिति में क्रान्ति प्रस्तुत कर दी है। जहां दूध के दर्शन नहीं होते थे वहां इस गांव में दूध की उपलब्धि इतनी बढ़ गयी है कि भुल्ले उर्फ भोले ने इसे 'दूध की नदी बहने' की संज्ञा दी है। गांव में दूधिये आकर डेढ़ रुपए लीटर के हिसाब से दूध ले जाते हैं और शहर में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। गांव वाले दूध में पानी मिलाना अपराध समझते हैं इसलिए ईमानदारी को बलाये ताक रखने वाले दूधियों की पौ बारह है।

"क्यों भाई भोले, सब दूध बेच देते हो या कुछ अपने लिए भी रखते हो?"

"सरकार झूठ क्यों कहें, एक लोटा दूध बच्चों के लिए रख लेता हूं। भगवान की दया से तीन लड़के हैं, अब सबको थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है। उनकी तन्दुरुस्ती पहले से अच्छी है और जोरु भी कभी-कभी पी लेती है। देखिए न चेहरा लाल हो रहा है।"

पहले तो भोले को 'सरकार' कहने पर मैंने हल्की डांट लगायी और फिर दोनों समय बच्चों को थोड़ा बहुत दूध पिलाते रहने का सुझाव दिया। "भगवान की दया से इतना हो गया है तो यह भी हो जायेगा।" यह कहते-कहते वह थोड़ा रुका और फिर संभलकर बोला, "सच पूछिए तो यह छोटे किसानों की योजना की बदौलत है और जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने हम छोटे काश्तकारों की हालत सुधारने के लिए यह सब किया है, जिसे देखने आप तकलीफ उठाकर हमारे गांव आये हैं। हर घर में बंधी भैंस ऐसी खुशी दे रही है जिसको लोग सोच नहीं सकते हैं।"

भोले की वाणी में मुझे पर्याप्त सत्यता दिखायी दी। काजीपुर का पूरा चक्कर लगा चुका था और साफ सुथरे घरों में बंधी स्वस्थ नस्ल की भैंस और गांव की बदली हुई आर्थिक सम्पन्नता से मन हर्षातिरेक से भर गया था। तभी मुझे याद आया कि द्वितीय श्रेणी में कभी-कभी रेल-पेल में असुविधा तो होती है लेकिन कुछ कारगर जान-कारी भी पल्ले पड़ जाती है। काजीपुर का यह संस्मरण इसी श्रृंखला में एक अनायास घटना है, जो विस्मृत न की जा सकेगी।

भूमि-सुधारों की प्रगति

आजादी के तुरन्त बाद देश में भूमि सुधारों की दिशा में कदम उठाए गए। योजनाकारों ने भूमि सुधार नीति के ये लक्ष्य निर्धारित किए थे—अतीत से विरासत में मिले कृषि-ढांचे में निहित उन संस्थानिक और उद्देश्यपूरक अवरोधों को दूर करना जो कृषि के आधुनिकीकरण के रास्ते में बाधक थे, और कृषिगत अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज में मौजूद गहरी असमानताओं की खाई पाटना, जो कि जमीन के असमान के कारण पैदा हुई थी।

इन उद्देश्यों को निम्नलिखित कार्यक्रमों का रूप दिया गया :

(अ) बिचोलिया-व्यवस्था की समाप्ति, जो राज्य और जमीन जोतने वालों के बीच मौजूद थी।

(आ) काश्तकार अपने कब्जे की जिस जमीन को जोतते हैं उस पर उन्हें स्वामित्व के अधिकार देना।

(इ) भू-स्वामित्व की अत्यन्त विषम स्थिति को ठीक करने की दृष्टि से यह फैसला किया गया कि कृषि-भूमि पर हृदबंदी लागू की जानी चाहिए। क्योंकि इसी के कारण आर्थिक असमानता पैदा होती थी, और यही ग्रामीण समाज में पनपने वाली सब असमानताओं का मूल कारण था। यह भी महसूस किया गया कि इस तरह कृषि के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे भूमि पर जमींदारों का परजीवी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो कृषि क्षेत्र में अपना कुछ भी योगदान नहीं देते थे, बल्कि पट्टेदारों, बंटाईदारों और खेत मजदूरों की मेहनत पर मजे मारते थे।

(ई) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी था कि भूमि अधिकारों के रिकार्डों को ठीक किया जाए क्योंकि वे न सिर्फ पुराने पड़ गए थे, बल्कि प्राय: ही उनसे पट्टेदारों, बंटाईदारों और अन्य प्रकार के असुरक्षित भू-स्वामियों के अधिकारों के बारे में पता नहीं चल पाता था।

(ए) औसत जोत का क्षेत्रफल न सिर्फ बहुत छोटा था, बल्कि वह ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था जिन पर कृषि की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। न ही वहां विश्वसनीय सिंचाई प्रणाली आदि का प्रबन्ध हो सकता था। इसलिए चकबन्दी अभियान को इस कार्यक्रम का एक मुख्य मुद्दा बनाया गया।

इस तरह सरकार द्वारा पूरे जोर-शोर से भूमि-सुधार अभियान छेड़ दिया गया और अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

बिचौलिया

इस समय तक जमीन की बिचौलिया पट्टेदारी का, जिसे जमींदारी, जागीरदारी, इनाम आदि नामों से जाना जाता है, पूरे देश में उन्मूलन कर दिया गया है। अब सिर्फ कुछ छोटी जागीरें और इनाम बाकी रह गए हैं और उन्हें समाप्त करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। भूतपूर्व बिचौलिए जमींदारों को नकद और बांडों के रूप में 6 अरब 70 करोड़ रु० की क्षतिपूर्ति दी गई है। 2 करोड़ से अधिक पट्टेदारों और उप-पट्टेदारों को सीधे सरकार में ले आया गया है। इसके अलावा लाखों एकड़ (लगभग 1 करोड़ 90 लाख एकड़) बेकार, परती और अन्य प्रकार की भूमि सरकारी कब्जे में आ गई है।

हालांकि बिचौलिया प्रणाली के उन्मूलन से जमीनों पर पलने वाले परजीवी लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया, लेकिन इस नीति का अंतिम लक्ष्य जमीन को असली जोतने वाले को देना पूरा नहीं हुआ। यह माना गया था कि इस लक्ष्य को कई वर्षों में क्रमिक रूप से काम करके पूरा किया जा सकता है। ख्याल यह था कि पट्टेदारी को एकदम इस तरह युक्तिसंगत बनाया जाए, जिससे वह स्थायी, हस्तान्तरणीय और वंश-परम्परा से प्राप्त होने वाला अधिकार बन जाए तथा पट्टेदार अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकें।

पंजाब और हरियाणा में उचित लगान कुल उपज का 33½ प्रतिशत है, तमिलनाडु में यह कुल उपज के 33½ प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच है। आंध्र प्रदेश में उचित लगान कुल उपज के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच रहता है। देश भर में कहीं कानून उन स्थितियों को नियमित करता है जिनके तहत ही एक काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। भू-स्वामियों द्वारा एक सीमित अवधि के दौरान प्रयोग किया जा सकने वाला पट्टा बदलने या पुनरारम्भ करने का अधिकार अब करीब-करीब पूरे देश में समाप्त हो गया है। बस, अब यह एक सीमित रूप में असम, बिहार, हरियाणा और पंजाब में मौजूद है। पश्चिम बंगाल में बंटाईदारों के पास मौजूद जमीन में से भूस्वामियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा 3 हैक्टेयर भूमि का ही पुनरारम्भ किया जा सकता है। इसमें भूस्वामी के पास दूसरी जमीन भी शामिल होती है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग करने से पहले भूस्वामी को पहले बंटाईदार के पास कम से कम एक हैक्टेयर भूमि ऐसी छोड़नी होती है जिसका पट्टा बिलकुल नहीं बदला जा सकता। पुनरारम्भ करने के अधिकार के इन अन्तिम अवशेषों का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एक दर्जन से अधिक राज्यों में भूमि जोतने वाले काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार देने वाले कानून लागू कर दिए हैं। इनमें प्रमुख हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तीन या चार राज्यों में काश्तकारों को खुद काश्त जमीन को खरीदने का वैकल्पिक अधिकार मिल गया है, जिसके अन्तर्गत वे भूस्वामी को नजराना देकर भूमि खरीद सकते हैं। नजराना कितना हो यह बात उचित अधिकारी द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार तय की जाती है। सब जगह नजराना इस तरह तय किया जाता है कि वह इतना ज्यादा न हो जिसे काश्त-

कार अदा ही न कर पाए। भूमि जोतने वाले काश्तकारों को स्वतः स्वामित्व के अधिकार देने वाले वाले कानून लागू करने के लिए बाकी राज्यों से कहा जा रहा है।

उपरोक्त वैधानिक उपायों को लागू करने की दिशा में कितना कुछ काम किया जा चुका है, यह कहना तो कठिन है, फिर भी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पट्टेदारी प्रणाली लगभग समाप्त की जा चुकी है। यहां उल्लिखित अधिकांश बाकी राज्यों में इस दिशा में काफी काम किया जा चुका है। कोई इस बात का एकदम सही हिसाब तो नहीं लगा सकता कि कितने काश्तकारों को उन जमीनों पर स्वामित्व के अधिकार मिल गए हैं जिन पर वे खेती करते हैं। फिर भी, अब तक जो आंकड़े जुटाए गए हैं उनसे पता चलता है कि लगभग 40 लाख काश्तकारों को 17 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार मिल गए हैं।

वैसे, छठे दशक के अन्त में और सातवें दशक के प्रारम्भिक काल में देश के अनेक भागों में भूमि हदबन्दी के कदम उठाए गए थे, पर बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भ में, सातवें दशक के अन्तिम दिनों से भूमि-सुधार लागू करने के काम में नए सिरे से प्रयास किए गए। इनमें भूमि हदबन्दी के बारे में एक नई राष्ट्रीय नीति का जन्म हुआ। यह नीति जुलाई, 1972 में मुख्यमंत्री-सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर तय की गई थी। इस नीति के मुख्य मुद्दे थे—पांच सदस्यों के परिवार के लिए पहले की तुलना में हदबन्दी की सीमा काफी नीचे रखना, हदबन्दी से बहुत कम छूटें, भूतपूर्व जमीन मालिकों को बाजार दर से काफी कम दरों पर क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था जिससे फालतू जमीन के आवंटी उन्हें कई वर्षों मे आसानी से भुगतान कर सकें। कानूनों को पिछली अवधि से लागू करना, ताकि जिन भूस्वामियों ने इन कानूनों के प्रावधानों की वंचना करने या उनसे बचने के लिए जमीनों का जो लेन-देन किया था, उसे अवैध करार किया जा सके। और एक स्पष्ट घोषणा करना कि अधिकांश फालतू भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, खासतौर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों से सम्बन्धित लोगों को बांटी जाएगी।

अब तक देश के सभी राज्यों ने इस नीति को पूरी तरह प्रतिबिंबित करने वाले कानून बना दिए हैं। केवल नागालैंड और मेघालय में भूमि हदबन्दी कानून नहीं हैं, क्योंकि इन राज्यों में भूमि का स्वामित्व सामुदायिक है। सिक्किम के भूमि-सुधारों को भी भूमि-सुधारों के राष्ट्रीय स्वरूप के अनुरूप बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान हदबन्दी व्यवस्थाओं को अदालती चुनौती के विरुद्ध संरक्षित करने की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि इन कानूनों पर अमल से उभरने वाले विवादों पर दीवानी अदालतें विचार नहीं कर सकेंगी। अधिकांश कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है जो कि उन्हें मूलभूत अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर किसी कानूनी अदालत के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखता है।

अब तक इन कानूनों को लागू करने से 26 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा चुकी है। इसमें से लगभग 17 लाख एकड़ भूमि को तो सरकार ने वास्तव में अधिग्रहीत कर भी लिया है। 10 लाख एकड़ से कुछ ज्यादा भूमि अब तक 5·7 लाख लोगों को बांटी जा चुकी है। यह काम अभी चल रहा है। जल्दी ही और अधिक भूमि मिलने की उम्मीद है।

भू-अधिकारों के रिकार्डों को अद्यतन बनाने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि उनमें स्वामित्व के अभिलेखों के अलावा पट्टेदारों, बंटाईदारों तथा दूसरे असंरक्षित भूमिधारियों के अधिकारों के बारे में भी विवरण रखा जाए। भूतपूर्व स्थायी बंदोबस्ती वाले इलाकों में और कुछ दक्षिणी राज्यों में रिकार्डों की स्थिति खास तौर पर खराब है। वहां पट्टेदारी, बंटाईदारी व ऐसी ही अन्य व्यवस्थाएं ज्यादातर मुंहजबानी तय कर ली जाती हैं। इस वजह से पट्टेदारों, बंटाईदारों और दूसरी तरह के असंरक्षित भूमिधारियों की स्थिति बहुत अनिश्चित हो गई, जो कि भूस्वामी और महाजन के दुहरे शोषण के चक्कर में पिस रहे हैं। ग्रामीण समाज की स्थिति में, जहां ये गरीब लोग कई तरह से भूस्वामी-महाजन के बंधुआ हैं, उनके लिए यह मुश्किल है कि वे आगे बढ़कर यह मांग करें कि उनके अधिकारों का भी लेखा-जोखा रखा जाए। अधिकतर राज्यों में पुनर्सर्वेक्षण और पुनर्बन्दोबस्ती अभियान के दौरान या तदर्थ उपायों के जरिए पट्टेदारों व बंटाईदारों के अधिकारों के विवरण दर्ज करने के लिए जरूरी कानूनी आधार बनाने के वैधानिक कदम उठाए गए हैं।

अब तक देश में खेती योग्य भूमि के एक-चौथाई भाग से अधिक भाग की चकबन्दी की जा चुकी है (1 करोड़ 40 लाख से कुछ ज्यादा)। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह काम पूरा हो गया है। देश के अधिकांश राज्यों में स्वैच्छिक या अनिवार्य चकबंदी के लिए वैधानिक कदम उठाए जा चुके हैं। वैसे इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में चकबंदी अभियान शुरू होने से पहले वहां भूमि सम्बन्धी अधिकारों का सही रिकार्ड किया जाए। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक पट्टेदार या बंटाईदार और भी अधिक असुरक्षित हो जाएंगे।

ऊपर बताए गए उपाय लागू करने के अलावा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश परती व अन्य प्रकार की जमीनों के बढ़े चक बांट रहे हैं, जिन्हें थोड़ी कोशिशों से खेती योग्य बनाया जा सकता है। अनुमान है कि पिछले 15-20 वर्षों में इस तरह 1 करोड़ 60 लाख एकड़ से अधिक भूमि बांटी जा चुकी है। ☐

बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिकारी-जिम कार्बेट

कैलाश चन्द्र मिश्र

जिम कार्बेट का कुमाऊं और उत्तराखण्ड पर अकूत ऋण है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में जिम कार्बेट ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में नर भक्षियों का शिकार ख्याति अथवा पारिश्रमिक की प्राप्ति हेतु न कर अपितु असहायों की सहायता के लिए कर उन्होंने जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, उसकी नीव पर जन संरक्षण का भव्य प्रासाद खड़ा हुआ।

जिम कार्बेट का नाम आज समस्त शिकारी संसार में प्रसिद्ध है। उनकी शेरों सम्बन्धी जानकारी अद्वितीय मानी गई है। विशेषतया कुमायूं के छोटे-छोटे गांवों में तो उनके नाम से बच्चा-बच्चा भी परिचित है। आज भी कालाढूंगी और मोतिया पाथर के ग्रामीणों के मुख कार्बेट का नाम सुनते ही प्रफुल्लित हो उठते हैं।

नैनीताल में उनके पुराने मित्र श्री दया कृष्ण पाण्डेय ने बताया कि वन्य पशुओं की अन्त: प्रेरणाओं और वाह्याकृतियों का इतना सूक्ष्म अध्ययन किसी अन्य शिकारी ने आज तक नहीं किया जितना जिम कार्बेट ने किया था। उनकी शेर की बोली सुन कर कोई भी व्यक्ति भय से कांप उठता था। जंगल की बातों को पढ़ने व उनकी व्याख्या करने का व्यसन जिम कार्बेट का था। जानवरों के पदचिन्हों को पहचानने की अद्भुत शक्ति उनमें थी। पाण्डेय जी ने अनेक कहानियां सुनाते हुए कहा कि चम्पावत का आदमखोर और मोहान का नरभक्षी मारने के बाद कार्बेट जानवरों को मारने की अपेक्षा उनके चित्र लेने में अधिक रूचि लेने लगे थे।

नैनीताल मे 25 जुलाई, 1875 को जन्मे जिम कार्बेट शुरू से ही प्रकृति प्रेमी थे। क्रिस्टोफर कार्बेट पोस्ट मास्टर कभी कल्पना भी न करता होगा कि जिम, जो कालाढूगी के जंगल में दिन भर अकेले गुलेल लिए घूमता था, एक दिन विश्व का सर्वोच्च शिकारी होगा। जिम कार्बेट की शिक्षा केवल दसवीं तक रही। युवावस्था में उसने प्रवेश ही किया था कि उसे मोकामा घाट में रेलवे में ईंधन निरीक्षक का पद मिल गया। जिम मोकामाघाट में जब काम कर रहे थे तभी कुमाऊं में उन्हें आदमखोर शेरों के आंतक की सूचना मिली। कर्तव्य की पुकार पर जिम कार्बेट कुमाऊं आए और दो आदमखोर मार कर चले गए। उन्होंने नरभक्षियों को मारने के बाद इतनी ख्याति अर्जित कर ली कि 60 वर्ष तक लोगों के अनुरोध पर आदमखोरों का सफाया करते रहे।

शिकारी जिम कार्बेट के हृदय परिवर्तन की कथा उसके शिकार की कहानियों से कम रोचक नहीं है। कहा जाता है कि एक बार कुमाऊं के किसी ताल के किनारे जिम कार्बेट मुर्गाबियों का शिकार कुछ सेनाधिकारियों के साथ कर रहे थे। शिकार के बाद उन्होंने देखा कि अकारण सैकड़ों बतखें मनोरंजन के लिए लोगों के मनोरंजन का निशाना बनी। इस घटना से उनके हृदय पर गहरी चोट पहुंची। उस दिन उन्हों ने संकल्प किया कि वन्य जीवन और वन्य जन्तुओं के बारे में जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसका उपयोग वह उनकी रक्षा और उन्नयन में लगाएगे। वन्य जीवन संरक्षण में वे इतने उत्साह से लगे कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री मालकम हैली की प्रेरणा से उन्होने वन्य जीवन संरक्षण के लिए एक सासायटी का भी गठन किया। नैनीताल नगरपालिका के वरिष्ठ सदस्य श्री जगदीश शाह तो अपने छात्र जीवन में कार्बेट के 'जानवर बचाओ' अभियान को अब तक नहीं भूले हैं। वह स्कूलों के बच्चों को जानवरों के स्वभाव के बारे में सरल अंग्रेजी भाषा में बताया करते थे। जगदीश शाह जी को तो अभी तक उनका दिया भाषण कण्ठस्थ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5258 वर्ग किलोमीटर में फैले राम गंगा पार्क का नाम बदल कर 1957 में कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख शिकारी तथा 'कुमाऊं के नरभक्षी' के सुविख्यात लेखक कर्नल जिम कार्बेट की स्मृति में कार्बेट नेशनल पार्क रखा। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन् 1935 में तत्कालीन राज्यपाल मालकम हैली के नाम पर हेली नेशनल पार्क के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसका नाम रामगंगा पार्क रख दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतवर्ष में पाये जाने वाले अधिकांश वन्य जन्तुओं का संरक्षण केन्द्र होने के अतिरिक्त प्रकृति की स्वाभाविक सुषमा का भी संरक्षण स्थल है। कार्बेट की इच्छाओं के अनुसार इस राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करना तो मना है ही, आग्नेयास्त्र ले जाना भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रकार के हिंसक और अहिंसक पशु यहां के स्वछन्द वातावरण में निर्द्वन्द्व विचरण करते देखे जाते हैं। अपनी सुरक्षित स्थिति का कदाचित कुछ ज्ञान यहां पर विचरण करने वाले पशुओं को भी हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे बिना आतंकित हुए मोटर गाड़ियों में घूमते हुए पर्यटकों को देखते-रहते हैं। 15 नवम्बर से 15 जून तक पार्क खुला रहता है। किसी भी समय काले चितकबरे, बड़े और छोटे, नर और मादा हिरनों के झुंड के झुंड दिखाई पड़ते हैं, जो इस संरक्षित प्रदेश में बिना किसी की परवाह किए स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस वन्य जन्तु विहार में बहुत बड़ी संख्या में हिरनों की कई जातियां तो देखने को मिलती ही हैं, इसके अतिरिक्त शेर, चीते, भालू, जंगली सुअर, हाथी, घड़ियाल और अजगर भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी

जिम कार्बेट अपनी पत्नी के साथ

पर स्थित इस पार्क में वन्य जन्तुओं के स्वच्छद विचरण का अवलोकन कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्वतीय विकास विभाग ने पर्यटकों को संचालित भ्रमण की सुविधा प्रदान की है। जिम कार्बेट की स्मृति में सप्ताहान्त शुक्रवार को एक त्रिदिवसीय भ्रमण का आयोजन चन्द्रलोक जनपटा से किया जाता है। कार्बेट पार्क में जन्म शती समारोह के उपलक्ष्य में ढ़िकाला, विजरानी, गैरल और सरण दुली के डाक बंगलों में आवासीय सुविधाओं को श्रेष्ठतर बनाया गया है। पार्क में आठ मचान बने हुए हैं, जहां से जानवरों के चित्र लिए जा सकते हैं। ढ़िकाला में पालतू हाथी भी है जिस पर बैठकर कार्बेट पार्क की सैर की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार के पर्यटक विभाग ने पर्यटकों को पार्क में घूमने के लिए मिनी बसों की भी व्यवस्था की है, जो रामनगर से वन्य जन्तु प्रतिपालक के कार्यालय से किराये पर ली जा सकती हैं। उत्साही वन्य जन्तु प्रतिपालक श्री ऋषि राम उपाध्याय ने पार्क में पर्यटकों के लिए भोजन आदि की भी व्यवस्था कर रखी है। उनका कहना है कि पर्यटकों की संख्या औसतन आठ हजार प्रतिवर्ष रहती है। इस वर्ष जिम कार्बेट की जन्म शताब्दी होने के कारण पर्यटक अधिक संख्या में आ सकते हैं। उसके लिए ढ़िकाला में तम्बुओं की कालोनी लगा दी गई है। यह पार्क पर्यटकों और पशु वैज्ञानिकों के लिए भी मनोरंजन व अनुसंधान हेतु सर्वोत्तम स्थान है, जहा वे जंगली जानवरों का अध्ययन कर सकते हैं।

जिम कार्बेट 1920 से 1944 तक नैनीताल नगर पालिका के सदस्य थे। इस वर्ष नगर पालिका नैनीताल ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र को नगर पालिका भवन में लगाकर उनकी याद ताजा कर दी। श्री दया कृष्ण पाण्डेय के साथ नगर पालिका के सदस्य के रूप में आपने नैनीताल के वन संरक्षण और वृक्षारोपण में अद्भुत कार्य किया। नगर की सफाई और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जिम कार्बेट बराबर प्रयत्नशील रहे। एक रोचक संस्मरण सुनाते हुए जिम कार्बेट के समय के एक छात्र बाके साह ने कहा कि एक बार वह कुछ साथियों सहित झील के किनारे बैठकर झील में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों से मछलियों को मार रहा था। कार्बेट माल रोड पर टहल रहे थे। इस दृश्य को देखकर कार्बेट ने बच्चों को बुलाया। अंग्रेज को देखकर बच्चे डर गए पर कार्बेट ने बड़े प्यार से समझाया कि बजरी ढालने से झील सूख जाएगी और मछलियों को अकारण चोट पहुंचाना ठीक नहीं। उनका इस नगर के प्रति असीम प्रेम था। उनके पड़ौसी श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी ने बातचीत के दौरान बताया कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए बराबर जोर देते रहे। श्री नेगी, जिन्हें कार्बेट ने गोद में खिलाया है, बतलाते हैं कि बच्चों के खेलकूद और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने नगर पालिका द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान करवाई थीं। वह उन लोगों को खेल का सामान भी देते थे। कार्बेट पशु पक्षियों को मारने के पक्ष में नहीं थे। श्री नेगी को एक दिन कार्बेट साहब की कोठी के पास एक कुत्ते ने काट लिया। कार्बेट ने उस कुत्ते को मारने नहीं दिया और 10 दिनों तक उसे अपने पास रखकर उसका अध्ययन किया। कुछ दिन पहले मुझे नैनीताल के गनी हाउस में जाने का अवसर मिला। वहां रखे सामान को देखकर उनके बहुरंगी व्यक्तित्व का पता चलता है। वहां अनेक जानवरों के सींग, हाथी दांत, नावें तथा अफ्रीका के ढाल को देखकर पता चलता है कि उन्हें नाव चलाने का शौक था और संगीत से भी प्रेम था। गनी हाउस में लगे चित्र और उस पर उनके हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण हैं कि वह चित्र कला के भी प्रेमी थे। उनकी तूलिका ने यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर चित्रण किया है।

जिम कार्बेट ने 'मैन ईटर्स आफ कुमाऊं' 1944 में लिखी और इसका अनुवाद 20 भाषाओं में हुआ। उनकी अन्य पुस्तकें भी शिकार की रोचक कहानियों से भरी पड़ी हैं। जिम कार्बेट के बड़े पुराने मित्र श्री अनिल देव मुकर्जी का कहना है कि 'माई इण्डियो' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद होना चाहिए और स्कूलों के बच्चों को पढ़ने को देना चाहिए ताकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके। जिम कार्बेट एक सहृदय व्यक्ति थे। कुमाऊं के अनेक निर्धन व्यक्तियों की वे आर्थिक सहायता किया करते थे। उनका कालाढूंगी का मकान एक छोटा मोटा अस्पताल था, जहां

शेष पृष्ठ 29 पर]

बन्दर का न्याय ★ रामकृष्ण सुधाकर

एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह रोज दूध बेचने के लिए शहर जाया करता था। दूध बेच कर वह दोपहर को लौटता था। लौटती बार वह रास्ते में नहर में स्नान करता था।

इसकी घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पास पहनने के लिए सुन्दर कपड़े न थे। रहने के लिए एक टूटा-फूटा घर था। उसका पड़ोसी अच्छा खाता पीता था। उसके पास नये-नये वस्त्र थे। रहने के लिए अच्छा घर था।

महीने भर दूध बेचने वाला वह ग्वाला केवल सौ रुपये जुटा पाता था। उसी से उसे निर्वाह करना पड़ता था परन्तु वह पड़ोसी के रहन-सहन को देखकर असन्तुष्ट हो उठता। वह सोचता काश! मैं भी ठाठ-बाठ से रह सकूं। मैं भी अपने पड़ोसी की तरह एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं।

वह चिन्तित रहने लगा। उसके साधन सीमित थे। वह शीघ्र ही धनवान् बन जाना चाहता था। उसे एक उपाय सूझा। उसने दूध में पानी मिलाने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं इस महीने आधा दूध और आधा पानी मिलाकर दो सौ रुपये कमाऊंगा। एक और गाय खरीद कर उसका दूध बेचूंगा। दो गायों के दूध में पानी मिलाकर बेचने से मैं प्रति मास चार सौ रुपये कमा लूंगा। एक और गाय भी खरीद लूंगा। इस प्रकार मैं अपने पड़ोसी के समान धनवान् बन जाऊंगा।

उस महीने उसने प्रतिदिन दूध में पानी मिलाया। महीने के अन्त में उसने अपने ग्राहकों से दो सौ रुपये इकट्ठे कर लिए। वह बहुत प्रसन्न था। वह घर लौट रहा था। रास्ते में प्रतिदिन की तरह उसने स्नान के लिए कपड़े उतारे।

स्नान करने के बाद जब वह पानी के बाहर आया, तो उसने अपने वस्त्र नहीं पाए। उसने इधर-उधर देखा। नहर के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक बन्दर उसके कपड़ों को लिए हुए बैठा था। बन्दर के हाथ में दो सौ रुपये थे। ग्वाला बड़ा घबराया। वह पेड़ के नीचे जाकर बन्दर को डराने धमकाने लगा। बन्दर उछल कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा बैठता।

अब बन्दर ने उसके नोटों का खोलना शुरू किया। वह एक-एक कर के नोटों को नीचे डाल रहा था। हवा के झोकों से कई नोट पानी के तल पर जा टिके। वह हर नोट को पकड़ने के लिए पीछे-पीछे भागता था। बन्दर के लिए यह एक खेल था। उसके कई नोट बन्दर ने फाड़ डाले। उसने कातर दृष्टि से देखा। वह अब उसके कपड़े फाड़ रहा था। ग्वाला बन्दर से आंखें न मिला सका मानों वह कह रहा हो, 'तुमने दूध में पानी मिला कर बेईमानी की है। तुम्हें दण्ड मिलना ही चाहिए।'

वह इकट्ठे किए गए नोटों को गिनने बैठ गया। केवल सौ रुपये थे। वह बहुत उदास हो गया। तभी वहां एक साधू स्नान करने के लिए आया। उसकी उदासी का कारण पूछा। ग्वाले ने सारी बात कह सुनाई। साधू ने कहा, 'बन्दर ने न्याय किया है। जो पैसे दूध के थे वे दूध को मिले जो पानी के बनते थे वे पानी को मिले। पड़ौसी के नये-नये वस्त्रों के लालच में तुमने अपने पुराने वस्त्र भी गवां दिए। अत्यन्त लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि अन्धी हो गई। सन्तोष ही पुरुषों का परम धन है। पुरुषार्थ से धन कमाना चाहिए, बेईमानी से नहीं।

ग्वाले ने बन्दर के न्याय को स्वीकार किया और फिर कभी दूध में पानी नहीं मिलाया।

डी-147, विवेक विहार,
शाहदरा, दिल्ली-110032

बहुमुखी प्रतिभा के धनी........[पृष्ठ 28 का शेषांश]

वे बीमारों को दवा दिया करते थे। उन्होंने कालाढूंगी में एक स्कूल का निर्माण भी कराया। नैनीताल के जिला परिषद् अध्यक्ष श्री सोबरन सिंह दरम्वाल ने 25 जुलाई को घोषित किया कि इस स्कूल का नाम जिम कार्बेट स्कूल कर दिया गया है।

नैनीताल से 18 मील की दूरी पर स्थित कालाढूंगी के उनके मकान को उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

जिम कार्बेट जन्म शताब्दी समारोह समिति ने 24 जुलाई, 1976 तक जिम कार्बेट वर्ष मनाने का निश्चय किया है। जिम कार्बेट के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए जिम कार्बेट ने जिन-जिन दिशाओं में काम किया था उससे सम्बद्ध विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की जाएं और इन गोष्ठियों में लिए गए निर्णयों को आधार बना कर कुछ ठोस योजनाएं बनाई जाएं और उनको क्रियान्वित करने के लिए देश और विदेश के वन्य जीवन विशेषज्ञों और संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाए।

[मण्डलीय प्रबन्ध (पर्यटन) उ०प्र०
पर्वतीय विकास निगम, नैनीताल]

कहानी

लाल मिट्टी ★ विजय शास्त्री

"फालतू वहां जा रहे हो। मायूस हो कर लौटोगे।" रेवतीशरण ने मुझ से कहा।

मेरी नियुक्ति पंचमहाल के एक गांव में हुई थी। प्रौढ़-शिक्षा का कार्यक्रम बड़े जोर-शोर से चल रहा था। गांव-गांव में शालाएं और रात्रि-शालाएं संचालित की जा रही थीं। विडम्बना यह कि लाल मिट्टी से बने उस प्रदेश को विद्या रास ही नहीं आ रही थी। हर साल वहां भेजे गए कार्यकर्ता असफल होकर लौट आते। दुबारा वहां जाने के लिए कोई तैयार न होता।

मैं नया-नया स्नातक हुआ था। उत्साही भी बहुत था। तिस पर, नौकरी नई-नई लगी थी। कार्य-स्थली को लेकर मैं नखरा करूं, भला यह कैसे सम्भव होता? मैंने वहां जाने के लिए तुरन्त हामी भर दी थी।

रेवतीशरण वहां मुझ से पहले हो आए थे। उधर के निराशाजनक वातावरण की बातें बता-बता कर उन्होंने मेरा हौसला खत्म करने का बहुतेरा प्रयास किया, किन्तु वह असफल रहे। प्रौढ़ अनपढ़ों को शिक्षित करने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में कब से सुलग रही थी, उन्हें अनुमान नहीं था।

मेरी दादी लिखना-पढ़ना नहीं जानती थी। उम्र के कारण उसे ठीक से दीखता नहीं था। मेरे पिता उन दिनों जवान थे और मैं इतना छोटा कि घुटनों के बल चलता था।

एक बार पिताजी और मां अहमदाबाद गए। मैं और दादी, घर में हम दो ही थे। उसी दिन वह मनीआर्डर आ गया, जो मेरे चाचा ने बम्बई से भेजा था। डाकिए ने दादी के अंगूठे का निशान लेकर रुपए दे दिए।

नोट सम्भाल कर दादी ने सन्दूक में रख लिए। मां और पिताजी ने अहमदाबाद से लौटने पर देखा कि मनीआर्डर पूरे साठ रुपयों का था, जबकि डाकिया देकर गया था 51 रुपए। नौ रुपए कम!

"डाकिए ने गिन कर दिए थे?" पिताजी ने पूछा।

"बिल्कुल!"

"किस प्रकार गिन कर दिए थे?"

दादी ने याद करते हुए सोच कर जो बताया; उस के अनुसार, डाकिया दादी के हाथ में एक-एक नोट रखता जाता और दस-दस के हिसाब से गिनता जाता। पांच नोट रखे और गिनती पचास तक पहुंचाई। फिर उसने, आखिरी नोट दस के बदले एक का ही रखा और कहा, "साठ!"

अनपढ़ दादी ने "साठ" तक गिने गए नोट सहेज कर सन्दूक में रख लिए थे। जब मैं बड़ा हो गया और यह किस्सा मुझे बताया गया, तो पहले तो मुझे उस डाकिए पर गुस्सा आया; और फिर मैंने फैसला कर लिया—प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़ने की आकांक्षा मेरे मन में तभी से कुलबुला रही थी।

यह बात जब मैं अपने साहब के सामने रख रहा था, तब रेवतीशरण तपाक से बोल पड़े थे, "तो जाओ; सबसे पहले दादी को ही पढ़ाओ न?"

"क्यों नहीं! दादी को मैं जरूर पढ़ाता, लेकिन...'।

"लेकिन-वेकिन कुछ नहीं! नेकी की शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए।"

"बेशक! लेकिन मेरी दादी तो कब की गुजर चुकी है। आज से आठ साल पहले।"

"ओह! सॉरी!" रेवतीशरण खिसिया कर रह गए थे।

एस. टी. बस ने मुझे उस कच्ची सड़क पर उतारा, जिस का मिलान गांव की मुख्य सड़क के साथ था। अप्रैल का महीना। धूप की बेरहमी अपने चरम पर थी। जहां तक भी नजर जा सकी; केवल लाल, कठोर मिट्टी का विशाल मैदान ही बिछा हुआ था। मुझे लिवाने के लिए कोई नहीं आया था। मंजिल तक मुझे अपने बूते पर पहुंचना था।

दो कमरों का एक मकान पाठशाला के रूप में अलग रखा गया था; और मेरा निवास-स्थान भी वही था। मकान की दशा जर्जर थी। फर्श कच्चा। बांस-पट्टी की दीवारें जगह-जगह से गिरने की तैयारी करती हुई। मुझे दिए गए कारकून चन्दूमल का आगमन अभी हुआ नहीं था। पाठशाला की काली तख्ती न जाने कब से इस्तैमाल नहीं हुई थी। गर्म हवा में उड़ती लाल धूल की बारीक पर्त उस पर आ लिपटी थी।

उस पर्त को अपनी उंगली से कुरेदते हुए मैंने लिख दिया, 'रेवा'।

लाल मिट्टी में रेवा का नाम कितने गौरव से चमक उठा! छह मास बीतते-बीतते...शादी के बाद...रेवा जब मेरी पत्नी बन कर यहां आएगी, तो लाल मिट्टी में वह ऐसे ही गौरव के साथ चमकेगी...किन्तु; मधुर कल्पना के इस सपने को मैं

पूरा देख सकता, इससे पहले ही चन्दूमल आ धमका।

"क्यों साहब ! मन तो लग जाएगा न ?"

"मन लगने में क्या है ! लेकिन...लोगों का रुख..."

"लोग तो यहां के..." चन्दूमल झिझक गया, "रेवतीशरण जी से आपकी मुलाकात हुई होगी..."

मैं समझ गया। लोगों के बारे में चन्दूमल की राय वही थी, जो रेवतीशरण की थी। यहां की जनता पढ़ना-लिखना चाहती ही नहीं।

"लोग यहां नियमित आते तो हैं न ?"

"नए मास्टर जी के आने पर, उन्हें देखने के लिए, पहले दिन तो सभी आते हैं ; फिर वही ढाक के तीन पात।"

"तब तो...कल सुबह सभी आएंगे ?"

"क्यों नहीं ! आठ साढ़े आठ बजते भीड़ जमा हो जाएगी। जाकर मेरे बताने की देर है। नए मास्टरजी का नाम सुनते ही सब दौड़ेंगे।"

"हुं..." सहसा मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा, "उसमें एक शीशा है। निकाल कर उधर लगा दीजिए न..."

चन्दूमल ने ट्रंक में से शीशा निकाला। खासा बड़ा था वह। कमर तक का शरीर उसमें आसानी से दीखता था।

"बड़ा जोरदार शीशा है, सा'ब !"

"हुं...किन्तु...लोग इतने विचित्र क्यों हैं ? रोज आने के लिए क्यों नहीं तैयार होते ?" मैंने पूछा।

"दरअसल ; हुआ यह सा'ब कि...पिछले साल रुखा सोमा का लड़का पढ़-लिख कर एक शहरानी छोकरी को ब्याह लाया। तब से सब के मन में डर बैठ गया है कि जिसने पढ़ाई-लिखाई की, वह गया हाथ से। पूछने पर हमेशा यही जवाब मिलेगा कि हमें रुखा के छोकरे की तरह बिगड़ना नहीं है। लाख समझाएं; पहले दिन के बाद दुबारा आने का नाम कोई नहीं लेता। बस; पहले दिन आकर मास्टर का चेहरा भर देख लेते हैं।"

"कोई हर्ज नहीं। कल सब को आने दीजिए। फिर देखेंगे।" कहकर मैं चीजें व्यवस्थित करने में जुटा।

अचानक ऐसा लगा, जैसे बाहरी कमरे का दरवाजा कोई भड़भड़ा रहा हो। मैं चौंककर जाग गया। अभी सुबह के सिर्फ साढ़े पांच बजे थे। बांस-पट्टी की दरारों में से अभी अन्धकार ही रिस रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ। थोड़ा डर भी लगा। इस वक्त कौन आया होगा ?

उठकर, आंखें मसलते हुए, मैंने दरवाजा खोला।

—और मैं हड़बड़ा कर दो कदम पीछे हट गया।

टार्च जलाकर देखा, तो एक मोटी-ताजी गाय दरवाजे पर सिर रगड़ रही थी। लाठी दिखाकर मैंने उसे दूर हकाल दिया, ताकि दुबारा नींद में डूब सकूं।

दूसरी बार चन्दूमल ने जब दरवाजा खटखटाया, तो पौने आठ बज चुके थे। सुबह की नींद में खलल पहुंचने के कारण लम्बी झपकी आ गई थी।

गाय द्वारा दरवाजा भड़भड़ाए जाने की बात मैंने चन्दूमल को बताई।

उसने कहा, "उस का तो ऐसा है, सा' ब; कि अभी परसों नरसों तक रेवतीशरण जी यहां थे न; वह हमेशा पांच बजे उठ जाते और गइया को रोटी डाला करते। इसी की उसे आदत पड़ी हुई है... लेकिन वह तो जा चुके और यह बेचारी..."

मैं समझ गया रेवतीशरण की परम्परा मुझे आगे बढ़ानी होगी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि कल से मैं भी रोज पांच बजे उठूंगा और गाय को नियमित रूप से रोटी डालूंगा।

बाड़े में एक चूला था। उस पर नहाने का पानी गर्म करने की गरज से मैं व्यवस्थाएं करने लगा।

आठ बजने वाले थे।

नए मास्टर की सूरत देखने के लिए आज सारा गाव जुड़ने वाला था। चन्दूमल ने सब को सवा आठ का वक्त दिया था; वे साढ़े आठ तक आ जाएंगे। मुझे उस से पहले नहा धो कर तैयार हो जाना होगा। घड़ी का कांटा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने केवल एक मोटी बनियान और घुटनों तक एक पहुंचती धोती पहन रखी थी। बड़ी पतीली में पानी भर कर मैं चूल्हे पर रखने जा ही रहा था कि देखा; चूल्हे का एक हिस्सा टूटा पड़ा है। नई मिट्टी को खोदकर लाए बिना उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी।

मिट्टी लाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरुरत नहीं थी। उसके लिए बाड़े में ही सिर्फ कुदाल चलाने की जरुरत थी। मैंने कुदाल उठा कर जल्दी-जल्दी उठाना शुरू किया। जमीन सख्त थी। मिट्टी खोदने में उससे कहीं ज्यादा समय लगा, जितना कि मैंने अन्दाजा लगा रखा था। झोंके आ रहे थे। कुदाल चलते ही जो मिट्टी उड़ती, वह मेरे कपड़ों और चेहरे पर लग रही थी।

मैंने झटपट चूल्हे की मरमम्त की। फिर सोचा कि मिट्टी जरा सूखे तो पतीली रखूं।

मगर उससे पहले ही—

"सा' ब ! लोग आ गए हैं। आप तुरन्त सामने आइए; वरना अगर बिखरना शुरू हुआ, तो देखते ही देखते सब खिसक जाएंगे। कोई नहीं ठहरेगा।" चन्दूमल ने चेतावनी दे दी।

मैंने सोचा कि आज, पहले ही दिन, जनता को ऐसा कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए; जिससे वह सहर्ष चलती बने। मैंने तुरन्त पाठशाला में—यानि, सामने के आंगन में—आकर सबको नमस्कार किया।

सब की नजरें ठहर गईं।

मैंने अपना परिचय दिया। दादी और मनीआर्डर की बात उन्हें बताई। कहा कि जो अनपढ़ रह जाता है, उसके साथ ऐसे धोखे कदम- कदम पर होते रहते हैं।

लोगों के सिर सहमति में हिलने लगे।

सब इतनी शान्ति और आत्मीयता के साथ सुन रहे थे कि मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। कोई पौन घन्टे तक मैं बोलता रहा।

अन्त में मैंने पूछा, "ऐसी ही एक और कहानी कल सुनाई जाएगी। आप लोग आएंगे न ?"

"आएंगे! आएंगे" सब एक स्वर में बोल उठे।

मेरी तरह चन्द्रमल भी आश्चर्य में डूब गया।

जनता के साथ मेरा वह पहला साक्षात्कार था। उसी में भला ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि सब मेरे आदेश के पालन के लिए इतने आतुर हो गए? रेवतीशरण जैसे अनुभवी शिक्षक को भी जहां मुंह की खानी पड़ी थी, वहां सब की आंखों में मेरे लिए मान-सम्मान और सहमति कहां से प्रकट हो गई?

स्वयं मुझ को इसका राज समझ में नहीं आ रहा था।

मैं भी भीतरी कमरे में वापस गया। शीशा एक तरफ तिरछा हो रहा था। मैंने उसे सीधा किया। इस चेष्टा में मैंने स्वयं के बिम्ब को शीशे में देख लिया—और देखते ही मैं चौंका।

स्वयं को मैं ताकता रह गया।

गफलत में मैं चेहरा धोए बिना ही लोगों के सामने आ खड़ा हुआ था। मेरे चेहरे पर जगह-जगह लाल मिट्टी लगी हुई थी। भौहों, पलकों, बरौनियों पर मिट्टी-मिट्टी। यहां तक कि मोटी बनियान और घुटनों तक पहुंचती धोती भी लाल मिट्टी से आच्छादित थी। इसी हालत में मैं उन मिट्टी जीवियों के सामने हाजिर हो गया था।

—और मैं लोगों की सहमति का रहस्य समझ गया।

लाल मिट्टी से मेरे रूप-रंग ने लोगों के दिलों में आत्मीयता जगा दी थी। उन्हें महसूस हुआ था कि मैं उन्हीं में से एक हूं। तभी तो मेरे सिर पर, मस्तक पर, आंखों में और बदन पर मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी।

यदि शरीर पर लगी सिर्फ मिट्टी से ही इतनी सफलता मिल सकती है, तब तो—

मैं अपने दिलोदिमाग को भी लाल मिट्टी से रंग कर न जाने कैसी जगमगाती सफलताओं का वरण कर लूंगा।

रेवतीशरण यहां बगुले के पंख जैसे सफेद कुरते-धोती में आए थे। उनके बाल जरूरत से ज्यादा स्वच्छ और सुघड़ थे। लाल मिट्टी से रंगी उन दीन-हीन आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए थे वह! यही वजह थी कि मिट्टीजीवियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। विवेक का बन्धन होने के कारण यह बात मैं रेवतीशरण को कभी न बता पाया।

अनुवाद—मनहर चौहान

साइकिल पर चलकर बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार

श्री राम ओझा

श्री कृपाल सिंह जाट ने बीस सूत्री कार्यक्रम का देश व्यापी प्रचार अभियान दिनांक 26.1.76 को प्रारम्भ किया तथा उसकी परिसमाप्ति 22.8.76 को हुई। श्री जाट को अपने इस पावन कार्य में 6 महीने 26 दिन लगे। इस मध्य श्री जाट ने 30,000 किलोमीटर यात्रा तय की। औसतन एक दिन में श्री जाट 100 कि० मी० साइकिल चलाते थे।

श्री जाट का 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार का तरीका अभिनव एवं अनुपम था। आपने आर्थिक कार्यक्रम के 20 सूत्रों को दो लकड़ी के पट्टों पर लिखवा कर एक अपनी सायकिल के आगे टांग रखा था और एक पीछे। सायकिल के फ्रेम के बीच में एक तीसरा पट्टा टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का देश-व्यापी प्रचार। इसके साथ ही श्री जाट अपने साथ ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रचार साहित्य वितरण के लिए रखते थे। प्रचार साहित्य के समाप्त होने पर रास्ते में पड़ने वाले राज्य सरकारों के सूचना कार्यालयों से प्रचार साहित्य एकत्रित करते जाते थे।

श्री जाट ने अपने इस पावन एवं महान् कार्यक्रम का प्रारम्भ मध्यप्रदेश के आदिवासीबहुलक्षेत्र मण्डला से किया। वहां से आप बनारस गए। बनारस से प्रयाग, कानपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली में आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट की। वहां पर हमारी प्रधानमंत्री ने श्री जाट की शारीरिक स्थिति देखकर उनके सायकिल पर देश-व्यापी प्रचार अभियान पर आश्चर्य व्यक्त किया तथा साथ ही शुभकामनाएं कीं। दिल्ली से श्री जाट हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र होते हुए बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा गए। वहां से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए श्री जाट मध्यप्रदेश के बीचों बीच से होते हुए जबलपुर वापस आये। अपनी इस प्रचार यात्रा के दौरान वे भारत वर्ष के दो प्रदेश सिक्किम तथा राजस्थान की यात्राएं नहीं कर सकें। इस दुबले पतले व्यक्ति को अपनी यात्रा के दौरान कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। केवल महाराष्ट्र में उनके पेट में कुछ गड़बड़ी हुई थी जो दवा लेने पर दूसरे दिन समाप्त हो गई।

उन्होंने अपने इस अभियान के मध्य शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में समान रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार किया। प्रचार की विशेषता यह थी कि श्री जाट की लगभग सात मास की यात्रा के दौरान सभी रातें हरिजनों, दलित वर्गों पिछड़े हुए लोगों के बीच बीतीं। अपने एक दिन की यात्रा की परिसमाप्ति पर श्रीजाट रात्रि में हरिजनों के मध्य निवास करते थे। उन्हीं के साथ भोजन करते थे तथा वहां के कार्यकर्त्ताओं की सहायता से वहां सभी हरिजनों को एकत्रित करके उन्हें महान् आर्थिक कार्यक्रम के बीस सूत्रों तथा उनके क्रियान्वयन से अवगत कराते थे।

हाल मे ही श्री जाट को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि जब उन्हें समय मिले वे दिल्ली आकर प्रधानमंत्री को अपने भ्रमण का अनुभव सुनाए। श्री जाट का विचार है कि प्रधानमंत्री से मिलने व पुनः सायकिल से ही जाएंगे।

[क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
जबलपुर (म० प्र०)]

साहित्य समीक्षा

चांदी का थाल: लेखिका, मनुहरि पाठक, प्रकाशक: विवेक प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली-32 मूल्य: चार रुपए।

श्रीमती मनुहरि पाठक द्वारा लिखित समीक्षा पुस्तक 'चांदी का थाल' में बालोपयोगी आठ कहानियां संग्रहीत की गई हैं। क्रमानुसार इन कहानियों के नाम हैं—चांदी का थाल, परी का वरदान, सुन्दर हाथ, जंगली लोग, राजकवि का चुनाव, साहसी सहेलियां, जेठी बाई की ओढ़नी, तथा मिट्टी का ढोल।

इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहानियां ईमानदारी, सचाई, प्रलोभन से दूर रहने, स्वाभिमान, साहस वीरता, और देशभक्ति की ओर प्रवृत्त करने वाली कहानियां हैं। बच्चों के नैतिक चरित्र और मनोबल को समृद्ध करने की दृष्टि से ये कहानियां निश्चित ही सफल सिद्ध होती हैं।

इन कहानियों की भाषा सरल है और प्रवाह बरकरार रहता है। पाठकों की रुचि को बांधे रखने में भी ये कहानियां समर्थ हैं। कहानियों के साथ दिए गए सम्बद्ध रेखांकन सुन्दर बन पड़े हैं तथा पुस्तक की छपाई भी साफ-सुथरी है।

लेकिन पुस्तक का मूल्य चार रुपए खलता है। हिन्दी के पाठकों, मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय बच्चों के अभिभावकों के लिए निश्चित ही यह कीमत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में इतनी सुन्दर पुस्तकें अपना व्यापक दायरा नहीं बना पाती और सिर्फ लेखकीय अहम् की तुष्टि के साथ लाइब्रेरियों की शोभा मात्र बन कर रह जाती हैं।

—भारती शर्मा द्वारा श्री जगदीश शर्मा
सोशलिस्ट भारत
3, रायसीना रोड नई दिल्ली-110001

कार्टून : सुशील कालरा के—'यह दिल्ली है' प्रकाशक-सुबोध पाकेट बुक्स, दरियागंज, नई दिल्ली-110006.

श्री सुशील कालरा के 101 कार्टूनों का संग्रह 'यह दिल्ली है' देखने को मिला। व्यंग्य के क्षेत्र में थोड़े शब्दों में मन को छूने वाली बात कह जाना ही व्यंग्यकार की विशेषता होती है। व्यंग्यचित्रों में भी यह बात आवश्यक है कि उपयुक्त चित्रों के साथ भाषा का प्रयोग भी सटीक हो, इसमें श्री कालरा पूरी तरह सक्षम रहे हैं।

हास्य व्यंग्य के साथ-साथ समसामयिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है जैसे रोजगारी की समस्या, हिप्पियों आदि की समस्या। इन व्यंग्य चित्रों में नग्नता को दिखाकर सस्ता मनोरंजन नहीं किया गया है अपितु चित्रों के माध्यम से पाठक के मन को अधिक से लुभाया गया है।

व्यंग्य चित्रों में सारे चित्र काली रेखाओं से बने हैं यदि मुखपृष्ठ की तरह कुछ चित्र रंगीन होते तब शायद पुस्तक और अधिक मनोरंजक बन जाती।

—कु० क्षमा शर्मा
बी-22 बी० कालकाजी, नई दिल्ली-110019

ग्राम-जन (मासिक) नवम्बर, 1976, हरियाणा विशेषांक, सम्पादक और प्रकाशक, उमा यादव, ए-43 साउथ, एक्स्टेंशन, नई दिल्ली, मूल्य एक रु० वार्षिक चन्दा 10 रु०

1 नवम्बर, 1976 के दिन हरियाणा वर्तमान भारत के मानचित्र पर सत्रहवें राज्य के रुप में उदित हुआ। श्री उमा यादव के सम्पादकीय में ही नहीं, देशों में देश हरियाणा-जहां दूध दही का खाणा, हरियाणा की वीर परम्परा और स्वातन्त्र्य-संघर्ष, मकडोली कलां एक आदर्श ग्राम पंचायत, नवीनतम जिला सिरसा, हरियाणा का हृदय स्थल- कुरुक्षेत्र, रोजगार प्रशिक्षण उपलब्धियों का सुष्टु आख्यान हुआ है। अन्त में "क्या आप जानते हैं" शीर्षक से लगभग डढ़ दर्जन बिन्दुओं में हरियाणा विषयक ताजा से ताजा जानकारी भी संक्षेप से दे दी गई है।

देश के अन्य भागों की तरह हरियाणा भी गांवों का प्रदेश है। इसकी आबादी का बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। हरियाणा के लोह पुरुष तथा कर्मठ नेता श्री बंसीलाल और श्री बनारसीदास आदि के नेतृत्व में यहां पिछले दस वर्षों में कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा पर्यटन आदि के क्षेत्रों में बेमिसाल तरक्की हुई है। आज तो यह प्रदेश केन्द्रीय भण्डार में भी 15-16 लाख टन अनाज प्रतिवर्ष दे रहा है। वर्ष 1975-76 में यहां 1966 के मुकाबले दो गुना अनाज पैदा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्राम जागरण के मासिक पत्र 'ग्राम-जन' के हरियाणा विशेषांक में 'एक चम्पा एक चमेली' (कहानी), अक्तूबर मास की खास-खास खबरें (स्वदेश-विदेश कर) नवम्बर, दिसम्बर में करने योग्य बातें (कृषि से सम्बद्ध) संविधान में संशोधन, लालच का फल (बाल जगत्) पं० नेहरू के जीवन की झलक और अमेरिका के नव-निर्वाचित मूंगफली की खेती करने वाले जार्जिया के एक किसान परिवार के जिम्मी कर्टर 39 वें राष्ट्रपति की चर्चा के साथ सम्पादक श्री उमा यादव ने निकट भविष्य में संभाव्य रोजगार सम्बन्धी जानकारी भी साधु संकलित की है।

40 पृष्ठों के लघु कलेवर में इतनी सारी सामग्री संजोने के लिए सम्पादक बधाई का पात्र है। इस पत्रिका के पृ० 4 पर 'विचार अपने-अपने' शीर्षक के अन्तर्गत डा० वी०के० दुबे ने उपयोगी सुझाव दिये हैं। यदि इस पत्रिका में संयोजक उनका सदुपयोग करेंगे तो निश्चय ही यह 'ग्राम-जन' पत्रिका वर्तमान समय में ग्राम-जागरण का एक मात्र मासिक पत्र सिद्ध हो सकती है।

—डा० वीरेन्द्रकुमार बड़सूवाला
बी-3/3, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027.

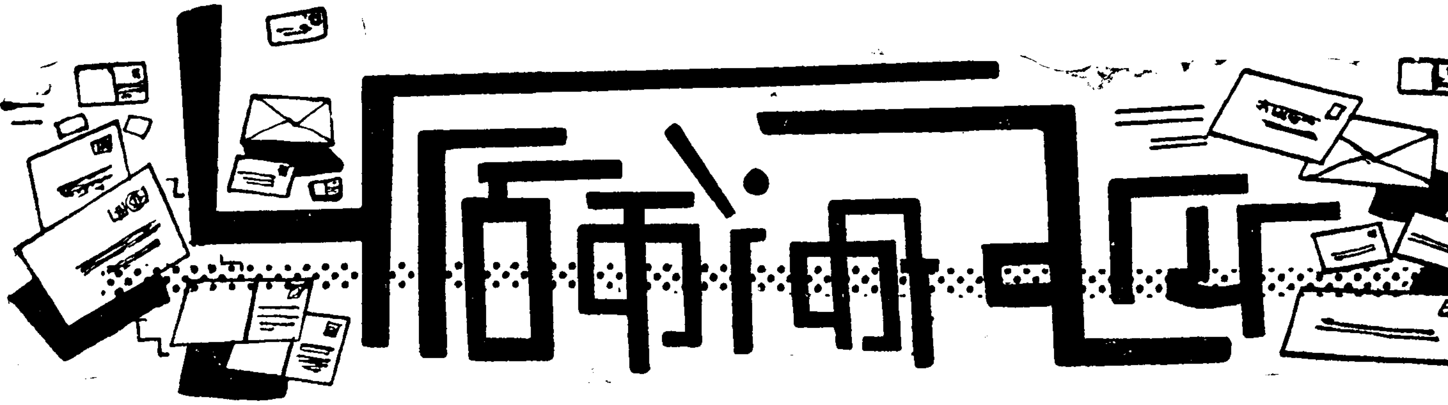

युवकों में जागरण से नई क्रान्ति का जन्म ★ पन्ना लाल शर्मा

जहां एक ओर प्रधानमन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश के सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में नई हलचल पैदा हुई है वहां दूसरी ओर संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक 'नई क्रान्ति' का जन्म हुआ है। हमारी युवा शक्ति जाग्रत हो उठी है और इस समय देश के हर प्रदेश के युवक कमर कस कर इस नई क्रान्ति को सफल बनाने के लिए मैदान में आ डटे हैं। अब हम उन पिछले दिनों को भूलते जा रहे हैं जब हमारे युवक अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पर थे, स्कूल और कालेजों में हुड़दंग मचाते थे, अध्यापकों पर चाकूओं से हमला करते थे, हड़तालें करते थे, आम जनता को अपनी गुण्डागर्दी से परेशान करते थे, पढ़ने-लिखने में रुचि नहीं लेते थे और परीक्षाओं में खुलकर नकल करते थे और यहां तक कि चोरियों, डकैतियों और तस्करियों में भाग लेते थे। आज हमारी यह युवा शक्ति काफी अनुशासित हो चुकी है और अब वह देश के निर्माण में जुट गई है।

छात्र और छात्राएं गांवों में जाकर अपने शिविर लगाते हैं और वहां के गांवों की सफाई तथा स्वच्छता के कार्यों में भाग लेते हैं, नालियां खोदते हैं, योजक सड़कें बनाते है और अपने श्रमदान द्वारा स्कूल और पाठशालाओं के भवन बनवाते हैं और ग्रामीणों की दवादारू की व्यवस्था करते हैं।

वैसे तो हमारे देश में पहले भी बहुत से युवक संगठन कायम थे जिनमें हम प्रमुख रूप से युवक मण्डल, नेहरू युवक केंद्र, भूमि सेना, युवा क्लब, आदि को गिना सकते हैं, पर आपातस्थिति के लागू होने से पहले इनकी कार्यवाहियां नहीं के बराबर थीं। अब इन संगठनों में एक नया जीवन आ गया है और अब ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में जोर-शोर से भाग ले रहे हैं। इन संगठनों की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप युवावर्ग में नेतृत्व विकसित हुआ है। युवकों में जातपांत, छुआछूत, दहेज आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति विद्रोह की भावना पनपी है। बहुत से युवकों ने सामूहिक रूप से दहेज न लेने-देने की शपथें ली हैं। गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक उद्योग धन्धों में भाग लेकर वे आर्थिक क्षेत्र में आगे आए हैं। मुर्गी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग भी गांवों में पनप रहे हैं और इसका श्रेय भी हमारे युवकों को है।

खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र में भी वे आगे आ रहे हैं। जगह-जगह व्यायामशालाएं और खेलकूद केन्द्र खोले जा रहे हैं। पिछले दिनों ओलम्पिक खेलों में हमें जो मुंह की खानी पड़ी उसका हमारे युवकों पर काफी बुरा असर हुआ है और अब वे इस दिशा में अपनी स्थिति सुधारने के लिए सजग हो उठे हैं। यदि हमारे युवकों में ऐसा ही उत्साह कायम रहा तो हमें आशा है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पुनः भारत को ऊंचा स्थान दिला सकेंगे।

जहां तक युवकों के हित के लिए सरकारी कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, सरकार ने स्कूल और कालेजों में उनके लिए तरह-तरह की साधन-सुविधाएं जुटाई हैं। बुक बैंक खोले है, किताबों व कापियों की कीमतें कम की हैं। छात्रवृत्तियां आदि भी दी जा रही हैं और छात्रों की अनेक शिकायतों को दूर किया जा चुका है।

आज हमारा युवक वर्ग अनुशासित है और कर्मपथ पर आरूढ़ है। हमें आशा है कि अब हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाएगा।

स्वतन्त्रता सेनानी
भू० पू० म्युनिसिपल कमिश्नर
विष्णुपुरी, अलीगढ़ (उ० प्र०)

सभी भारतीय सगे भ्राता।
नव भारत के हैं निर्माता।।

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया। इस अवधि में देश में 5 361 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और 34, 088 उपकेन्द्रों की स्थापना की गई जिनसे 5,247 सामुदायिक विकास खण्डों के लगभग 43 करोड़ 80 लाख ग्रामीण जनता को लाभ पहुंच रहा है। इन 5,361 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में से 4,230 केन्द्रों में दो या इससे अधिक चिकित्सक और बाकी केन्द्रों में एक-एक चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। 2 अक्तूबर 1952 को (नजफगढ़ को मिलाकर) सात प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र शुरू किए गए थे। 1951-56 के बीच इनकी संख्या 67 हो गई और दूसरी योजना में यह संख्या 2,498 तक पहुंच गई। इसके बाद से इसकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

आज इन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का इतना विस्तार हो गया है कि तीन दशक पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

इस अवधि से पूर्व कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र नहीं था। ग्रामों म सरकारी औषधालय या कुछ इने-गिने परमार्थ चिकित्सा संस्थाएं ही चिकित्सा के एकमात्र साधन थे। गांवों में वर्तमान चिकित्सा सुविधाएं इस दिशा में की गई प्रगति का सूचक हैं।

पांचवीं योजना के अन्तर्गत दीर्घावधि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की नीति से इस आन्दोलन में और अधिक तेजी आई है तथा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि करने पर अधिक बल दिया गया है।

इस पांचवीं योजना के अन्तर्गत हर सामुदायिक खण्ड में एक-एक प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र और 10 हजार जनसंख्या के पीछे एक उप-केन्द्र खोले जाएंगे और महामारियों तथा बड़ी बीमारियों की रोकथाम तथा यदि संभव हो तो उनके उन्मूलन के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवी योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 292 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व उप-केन्द्र को प्रति वर्ष क्रमश: 12,000 रुपए और 2,000 रुपए मूल्य की औषधियां दी जाएंगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक चार में से एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को बढ़ाकर 30 बिस्तरों वाला चिकित्सालय बना दिया जाए।

गरीबों के लिए मकान

देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास-योजनाओं को स्वीकृति देने पर आवास और शहरी विकास निगम ने काफी बल दिया है। अब तक देश भर के 136 नगरों में 1,41,300 कुल आवासों पर 251 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है। इसमें से 184 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निगम द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी। स्वीकृत मकानों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत 600 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों के लिए है।

लगभग 37,000 मकान पहले ही तैयार हो चुके हैं। इनमें से 21,000 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और 11,000 से अधिक निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हैं।

सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में ही ऐसी 40 से अधिक योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अनुमान है, इन योजनों पर 14 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी तथा 9,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 2,100 मकान बनाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त आवास और शहरी विकास निगम भोपाल में तीन तथा सतना और रेवा में एक-एक योजना आरंभ करने की सोच रहा है।

राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के दोनों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ 50 लाख मकानों का अभाव है और हो सकता है यह संख्या और अधिक बढ़ गई हो। राज्य सरकारों से हाल ही में प्राप्त आंकड़ो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों तथा मजदूरों को लगभग 70 लाख मकानों के लिए जमीनों का आबंटन किया गया।

सरकार आवास कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक ग्रामीण आवास निगम की स्थापना करने या आवास और शहरी विकास निगम में एक और खण्ड जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आरंभ की निर्माण परियोजनाओं के विषय में कहा गया है कि लगभग 18 करोड़ रुपए लागत की 11 परियोजनाएं या पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं। ये परियोजनाएं झांसी, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और खजुराहो में स्थित हैं।

भंडारगृह निगम को लाभ

केन्द्रीय भंडार गृह निगम ने एक करोड़ 70 लाख 2 हजार रु० का शुद्ध लाभ कमाया है जो कि अब तक का सबसे अधिक लाभ है। यह पिछले वर्ष कमाए गए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रु० के लाभ से 49.2 प्रतिशत अधिक है।

शेयर होल्डरों की 14वीं वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए निगम के अध्यक्ष श्री पी० सी० मैथ्यु ने कहा कि परम्परागत गोदामों में भंडार के लिए स्थान की भारी कमी होने के बावजूद स्थान उपलब्ध कराया गया। 1975-76 के दौरान निगम की भंडारण क्षमता 15 लाख 80 हजार से बढ़कर 17 लाख 60 हजार टन हो गई। चालू वर्ष में यह क्षमता और बढ़कर 22 लाख 10 हजार टन हो गई है। देश में निगम के 163 भंडार गृह हैं।

सिंचाई सुविधाएं

सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए 18 मझोली सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है।

ग्रामीण विकास के केन्द्रीय विभाग तथा राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई कई बैठकों के फलस्वरूप यह योजना स्वीकृत कर ली गई है। इस पर 26.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें से केन्द्रीय अनुदान 17.09 करोड़ रु० होगा।

ये योजनाएं 20-सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में शुरू की गई हैं। इससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी तथा मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा 50 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इन योजनाओं से पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 46,700 हेक्टर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।

इन योजनाओं से कृषि पैदावार बढ़ने के अतिरिक्त कमी वाले क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए रोजगार की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। छोटे तथा साभ्रांत किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां सिंचाई सुविधाएं कम हैं, उन्हीं क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। देश में ऐसे कम क्षेत्रों, जहां सूखे की आशंका रहती है उन्हें इस योजना से लाभ पहुंचेगा।

बिना दहेज की शादियां

गुजरात में बड़ौदा जिले के मुस्लिम समुदाय के एक विशेष वर्ग ने बिना दहेज की सामूहिक शादियों का एक आदर्श समारोह मनाया। जिले के अलग-अलग गांवों से 78 वर और वधुएं बड़ौदा में आए और बिना गाजे बाजे के शादियां कीं। दहेज प्रथा तथा शादी समारोहों में अपव्यय को समाप्त करने के लिए गठित समिति द्वारा इन शादियों का आयोजन किया गया।

इसी समिति ने इन शादियों का सारा खर्च स्वयं उठाया। इन सामूहिक शादियों के समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने बच्चों की शादियों में दहेज न देने और लेने की शपथ ली।

अग्रणी स्त्रियां

गढ़वाल की युवा नारियां अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला रही हैं। सबसे पहले उन्होंने शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया और उसके बाद गढ़वाल को नशाबंदी क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार को बाध्य कर दिया। अब वनों की रक्षा के लिए 'चिपको आन्दोलन' शुरू करके सरकार पर दबाव डाल रही हैं।

आदिवासियों को प्रशिक्षण

राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद ने केन्द्रीय दिल्ली की रोटरी क्लब की 'साधन हीन उद्यमकर्त्ता परियोजना' 26 जुलाई को शुरू की। इस परियोजना के अंतर्गत रोटरी क्लब ने रांची क्षेत्र के 20 युवा आदिवासियों को अपनाया। इन युवा आदिवासियों को 'युवा उद्यमकर्त्ता के राष्ट्रीय मैत्री संघ' और सैंट जेवियर समाज सेवा संस्थान की सहायता से उद्यमकर्त्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लघु उद्योग

केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय ने देश में पांच व्यापार केन्द्र स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ये केन्द्र लुधियाना (पंजाब), बंगलौर (कर्नाटक), पटना (बिहार), जयपुर (राजस्थान) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योगों के सतत विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए मंडियों का विकास, विपणन आधार-भूत ढांचा उपलब्ध कराना और लघु उद्योगों को बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना है।

ये व्यापार केन्द्र लघु उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन के अतिरिक्त भारतीय और विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं को वाणिज्य सूचनाएं देंगे तथा व्यावसायिक और निर्यात समझौतों की वार्ता के लिए उचित वातावरण तैयार करेंगे। ये केन्द्र संबंधित राज्यों के लघु उद्योग निगमों के नियंत्रण में काम करेंगे।

इन व्यापार केन्द्रों को कुल आवर्ती और अनावर्ती खर्च का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिलेगा। प्रत्येक केन्द्र के लिए वार्षिक सहायता की अधिकतम राशि 2,00,000 रु० होगी। शेष खर्चा राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। ★

ग्रामीण युवा शक्ति और रचनात्मक कार्य

आर० आर० वर्मा 'प्रेम'

देश में युवा शक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, एकता लाने के लिए अपने बढ़ते कदमों में तीव्रता लाई है। अब यह दृश्य देखने व सुनने में भी नहीं आते जब डाके, आगजनी और तोड़ फोड़ की घटनाऐं घटित होती थी। अब आज का युवा यह भी भली भांति जान रहा है कि देश की रचनात्मक प्रगति हमारे हाथों में हैं। यही एक ऐसी अवस्था होती है कि बुद्धि, ज्ञान, और बल के प्रभाव को जिधर प्रवाहित करना चाहो-कर सकते हो। हमारे देश में अनैतिकता और राष्ट्र विरोधी प्रचार की लहर ने युवा वर्ग को बरगला कर एक ऐसे कुपथ की ओर अग्रसर किया था जिसका परिणाम अन्धकारमय ही कहा जाना उचित था।

आज देश में अनुशासन रूपी त्रिबिध बयार ने इन कोमल नबांकुरों में चेतना की, निर्माण की सुगन्धि भर दी है। आज शहर हो या गाँव-नगर हो या बस्ती चारो ओर अपने और अपने समाज के हितों को देखते हुए रचनात्मक कार्यों में युवा शक्ति का परिचय मिलता है। दतिया जिले के सेवढ़ा विकास खण्ड के एक छोटे से ग्राम धरमपुरा का उदाहरण सामने है। भरग्रापुरा—प्राजनपुर मुख्य मार्ग से एक मील दूर बसे उस ग्राम को वहां की युवा शक्ति के सीकरों ने सजोया। गर्मी के चार माह छोड़कर शेष आठ माह दल-दल कीचड़, और पानी मे होकर आना जाना था। न जानें कितनीं पीढियां उस कीचड़ में लिपटती रहीं। लेकिन उस गांव के युवा उस परिपाटी को न सह सके। उस पर युवा शक्ति एक होकर जुट गई और श्रम की अपराजित शक्ति ने गांव को नया मोड़ दिया। वह एक मील का कीचड़, ईंट पत्थर की सड़क में बदल गया। विगत जनवरी 76 में ही सेवढ़ा क्षेत्र के युवा और उत्साही विधायक श्री शिवचरण पाठक के कर कमलों द्वारा उस सड़क का उद्घाटन कर ग्राम धर्मपुरा के युवकों की श्रम शक्ति को सराहा।

ऐसा ही एक उदाहरण है ग्वालियर के पास बसे ग्राम जलालपुर का। यहां के युवकों की श्रम शक्ति, गांव के कृषकों के लिए भगीरथ बनी। गाँव के पास से गुजरता, सारे ग्वालियर शहर का मल मूत्र लेकर आता, एक गंदा नाला, जिसे बांध कर सैकड़ों बीघा अनुपजायु भूमि में बिखेरा जो ग्राम जलालपुर के कृषकों के लिए विपुल उत्पादन और बहुफसली कार्यक्रम के लिए, वरदान सिद्ध हुआ। उसे 'स्वर्ण रेखा' नाम दिया गया। यहां के उत्साही एवं कर्मठ कार्यकर्त श्री गोपाल सिंह के मार्ग दर्शन में सूबेदारसिंह और पहलवान जैसे अनेक युवा अपनी शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में कर रहे हैं।

गांव में युवा शक्ति सेवा भाव से भी परे नहीं हैं। सेवा भाव का परिचय दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील में मिला। यहा बिगत दिनों मार्च 76 में सांई सेवा समिति की ओर से एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वहां दीन, असहाय व गरीब नेत्र हीनों की आत्मीयता व सेवा भाव, ग्रामीण युवक एवं संभ्रान्त परिवार की युवतियों मे देखा। शिविर में मरीजों की सेवा में लीन सेवढा निवासी श्री नारायण सिंह यादव और उनकी धर्मपत्नी श्री मती हरिन्दर यादव ने हमें बताया कि "हमें इन लोगों की सेवा करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। जब तक हम लोग इन्हें दवाई, नास्ता खाना, आदि अपने हाथों से नहीं खिला देते तब तक हम लोग भी भोजन नहीं करते" एक नहीं अनेक युवक इनकी सेवा में इतने प्रसन्न दिखाई दिए जो अकथनीय है। शिविर के संचालक हंस मुख और मधुर भाषी श्री ऋषि कुमार दुबे ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि नारायणों (गरीबों) की सेवा करना हमारी समिति का प्रमुख उद्देश्य है। शिविर में ऊंच नीच, भेद-भाव रहित ऐसे कार्य को देख दतिया जिले के जिलाधीश श्री कमल देवगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने इस समिति के संगठन व युवा शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

दहेज प्रथा रूपी सामाजिक कोढ़ के गहरे घाव आज जन जन को घ्रिणित ही नहीं कलंकित भी कर रहे हैं। इसे हमारी युवा शक्ति ही नष्ट कर सकने में सफल होगी। भिण्ड जिले की लहार तहसील में युवा कार्य कर्ताओं से मेरी भेंट हुई। समिति के सचिव श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने मुझे बताया कि हमने अपने क्षेत्र को इस बीमारी मे बचाने के लिए एक प्रतिबंधात्मक समिति का गठन किया है जिसमें सभी कार्यकर्ता युवा ही हैं। इसमें तय यह हुआ है कि हमारी युवा शक्ति दहेज लेने और देने वालों पर नियंत्रण रखेगी जिसके परिणाम स्वरूप विगत दिनो 4-5 शादियां ऐसे धनाढय लोगों के यहां हुई जिनमे दहेज न लिया गया और न दिया गया। साथ ही बिना कोई खर्च यानि एक ही मण्डल में अनेक विवाह सम्पन्न किए गए।

इस प्रकार हमारे ग्रामीण अचलों में युवा-शक्ति ऐसे अनेक रचनात्मक कार्यो मे प्रयत्नशील है, जिससे व्यक्ति, समाज और पूरे राष्ट्र के विकास म सहायता मिलती है।

एम-32 ठाटीपुर कालोनी
मुरार (ग्वालियर) म0 प्र0

★

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलेक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।

Regd. No. D(D)/98

केरल में कृषि पोलिटेक्निक ★ बी० के० मोउद्दीनकोया

केरल कृषि विश्वविद्यालय ने ग्रामीण संस्थान, तावानूर को कृषि पोलिटेक्निक में बदलने का काम हाथ में लिया है। इसका उद्देश्य कृषि के हर पहलू पर शिक्षित और अशिक्षित किसानों को प्रशिक्षण देना है।

प्रशिक्षार्थियों को खेती की मशीनों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। इन मशीनों में आयल इंजन, बिजली के मोटर तथा बिजली के छिड़काव यंत्र आदि हैं। प्रशिक्षण में पशुपालन, चारा कृषि, मुर्गी पालन आदि की भी जानकारी उन्हें कराई जाएगी।

पाठ्यक्रम दो या तीन महीनों तक चलेंगे और हर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 या 30 होगी। प्रशिक्षार्थियों को तीस रुपए प्रतिमास की दर से वजीफा भी दिया जाएगा। यहां का दूसरा आकर्षण 'पढ़ो और कमाओ कार्यक्रम'। प्रशिक्षार्थियों को अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।

बड़ौदा जिले में 20-सूत्री कार्यक्रम

गुजरात राज्य में बड़ौदा जिले के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरूप नया जीवन आया है। अपने जीवन में पहली बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लगभग दो हजार परिवारों को 11,115 एकड़ भूमि दी गई है।

पिछले 15 महीनों में 4,600 मजदूरों को घर बनाने के लिए आवास स्थान दिए गए और 1526 घर बनाए गए। खेतिहर मजदूरों को कम से कम निर्धारित मजदूरी का कानून लागू करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इस कानून के अन्तर्गत 602 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। 82 साहूकारों के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए गए हैं।

जिले के 1708 गांवों में से 598 गांवों में बिजली आ गई है। लगभग 88,000 एकड़ भूमि को हाल ही में सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। ★